

## (iii) LOKPAL AND LOKAYUKTAŞ BILL

SHRI M. B. RANA (Breach) : I beg to move :

"That this House do further extend the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, up to the second day of the second week of the Budget Session (1969).

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do further extend the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, up to the second day of the second week of the Budget Session (1969)".

*The motion was adopted.*

12-09 Hrs.

## MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

MR. SPEAKER : We shall immediately begin the discussion on the no-confidence motion.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : What about the time allotment? I suggest that 15 hours should be allotted.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, कुछ ध्यानाकर्षण के नोटिस हैं, खाम तौर से बनारस की स्थिति के ऊपर। उनको तो लिया जायेगा न।

MR. SPEAKER : When I am on my legs, the hon. Member should sit down. The motion of no-confidence will now be discussed by the House.

Yesterday, when I met the leaders of the Opposition Groups and some Congress Members and also Dr. Ram Subhag Singh, I suggested that in regard to floods and famine, the hon. Ministers would give the information to the House and the House could discuss those issues at a later date on a motion by the Minister. First, the Minister should place a statement, because that is very necessary. The whole country, including the Members of the Congress Party and other parties is interested in this matter. That should not be made a party issue. Therefore, those two items should be kept outside the purview of this motion. The other things could be discussed.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : What about the Banaras Hindu University?

MR. SPEAKER : Hon. Members can discuss whatever they like. It is a one-line motion.

AN HON. MEMBER : What about famine in various parts?

MR. SPEAKER : Famine in any part of the country could be discussed on that occasion.

The Business Advisory Committee will meet at 4 p.m. to-day and will decide how much time should be given. Now, we shall just begin. Any-way, it will not be over before 4 P.M. to-day.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

MR. SPEAKER : Can you not say in the Committee whatever you want to say?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। खास तौर पर बनारस विश्व-विद्यालय की बिगड़ती हुई स्थिति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

MR. SPEAKER : I am not prepared to discuss anything here. You raise Banaras, somebody else will raise Allahabad. It is not the time. Shri Gupta may start.

श्री राम सेबक यादव : लेकिन बनारस विश्वविद्यालय तो केन्द्र का विषय है।

श्री कंबरसाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहता हूँ :

“कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।”

प्रधान मंत्री की लैंटिन अमरीका की शानदार यात्रा के बाद इस सदन को उनका स्वागत करना चाहिये था। परन्तु मुझे खेद है कि पिछले ढाई महीने में हमारे देश में जो भयानक और गम्भीर घटनाएँ घटीं, उनके कारण न केवल हमारे देश को हानि हुई, बल्कि हमारे देश का माथा नीचे हुआ, हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा।

13-12 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

जलपाईगुरी में लगातार दो दिन तक आठ-दस फीट पानी भरा रहा, लेकिन कलकत्ता को इसकी सूचना नहीं मिली। उसी तरह आत्मान को रोआर्गनाइजेशन के बारे में सरकार ने जो बोज बोया, शायद उसका फल बहुत घातक होगा।

लेकिन आज मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। इन ढाई महीनों में जो सबसे भयानक घटनाएँ हुई हैं, आज मैं केवल उन्हीं का जिक्र करूँगा। वे घटनाएँ हुईं केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में। 19 तारीख को हड़ताल हुई और कानून की रक्षा करने वालों ने अपने हाथ से कानून की हत्या की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने परिवार का एक अंग कहा करते थे, गोलियों से भूना, दर्जनों आदमी मार दिये, हजारों आदमियों को ज़बर्न किया और लगभग आठ हजार आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उम हड़ताल के सम्बन्ध में 65 हजार

आदमियों को सस्पेंड किया गया। आखिर उन लोगों का कुसूर क्या था? उनकी तीन मांगें थीं—एक, राइज इन कास्ट आफ लिबिंग का फुल न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिये; दूसरे, डी० ए० को पे के साथ मिला दिया जाना चाहिये और तीसरे, उनको नीड-बस्ट कम से कम मजदूरी मिलनी चाहिये।

लेकिन उन लोगों ने इन मांगों को लेकर हड़ताल करने की बात कभी नहीं कही। उनका कहना था कि अगर सरकार समझती है कि उनकी ये तीन मांगें गलत हैं, तो उनको आरबिट्रेशन को भेज देना चाहिये। उनकी मांग यह नहीं थी कि उनकी ये मांगें पूरी की जानी चाहियें। बल्कि उनकी मांग यह थी कि इन मांगों को पंच फंसले के लिये भेजना चाहिये। जहाँ तक जायंट कनसल्टेटिव मशीनरी का सम्बन्ध है, पन्त जी, उम वक्त के लेबर मिनिस्टर नन्दा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार-बार कहा था कि इस मशीनरी की स्थापना के बाद देश में सरकारी कर्म-चारियों की हड़ताल हमेशा के लिये खत्म हो जायेगी। नन्दा जी इस समय सदन में बैठे हैं। वह सदन को बतायें कि क्या उन्होंने इस बारे में पूरी कमिटमेंट की थी या नहीं। उन्होंने पूरी कमिटमेंट की थी। जब इस मशीनरी का उद्घाटन हुआ था, तो आज के प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज में कहा था कि आशा करनी चाहिये कि अब शान्ति होगी और आपस में किसी प्रकार का मन-मुटाव नहीं होगा।

उस के बाद जब दोनों पार्टीज में मतभेद हो गया, तो सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों को पंच-फंसले के लिये भेज दिया जाये। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस स्थिति में यह जो हड़ताल हुई, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय कर्मचारियों पर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है और केवल सरकार पर है।

सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। वह कहती है कि इतना पैसा कहाँ से आयेगा। मैं सरकार की दिक्कतों को समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आज सरकार अपने कर्मचारियों को नीड-बेस्ट मिनिमम वेज दे, तो बम्बई में एक कर्मचारी को कम से कम 234 रुपये, दिल्ली में 191 रुपये और कलकत्ता में 240 रुपये मिलने चाहियें। शायद सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है। लेकिन जायंट कन्सल्टेटिव मशीनरी में इस बारे में भी व्यवस्था की गई है। अगर आरबीट्रेशन होने के बाद सरकार को कोई दिक्कत पेश आती है, तो इस बारे में पालियामेंट को ओवर-राइटिंग पावर्ज दी गई है। सरकार पूरे विवरण के साथ अपनी दिक्कतों को पालियामेंट के सामने रखे और उस बारे में पालियामेंट का निर्णय फाइनल होगा। मैं आपकी आज्ञा से धारा 20 को पढ़ना चाहता हूँ :

"In determining a dispute the Board of Arbitration shall examine the merits of the case presented by both the official and staff sides, and take into account all other relevant factors including the principles enunciated in any recent report of a Commission of enquiry etc.

अगर सरकार का पक्ष इतना कमजोर है कि आरबीट्रेशन यह फँसला कर दे कि सरकारी कर्मचारियों को नीड-बेस्ट मिनिमम वेज मिलनी चाहिये, तो सरकार धारा 21 के तहत पालियामेंट के सामने आ सकती है।

"Subject to the overriding authority of Parliament, recommendations of the Board of Arbitration will be binding on both sides.

If, for reasons to be recorded in writing, the Central Government is of opinion that all or any of the recommendations of Board of Arbitration should on grounds affecting national economy or social justice be modified, the Central Government shall, as soon as may be, lay before each House of Parliament the report of the Board containing such

recommendations together with the modification proposed and the reasons therefor, and thereupon Parliament may make such modifications in the recommendations as it may deem fit. Modification may extend to the rejection of a recommendation."

लेकिन उन कर्मचारियों की मांग क्या थी ? उनकी मांग थी कि उनका केस पंच-फँसले के लिये भेज दिया जाये। अगर पंच-फँसले के बाद सरकार के सामने कुछ दिक्कतें हों, तो उन्हें पालियामेंट के सामने रखना चाहिये। इस पालियामेंट में बहुमत सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी वह इस विषय पर चर्चा से भागना चाहती है। इसके बाद अगर हड़ताल होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? मैंने पहले भी कहा था कि अगर इन परिस्थितियों में हड़ताल होगी, तो उसकी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर नहीं होगी, बल्कि उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। प्रधान मंत्री ने भी कई बार इस बात को दोहराया है। मजदूरों की बात यह है कि जब पैसा देने की बात आती है, तो प्रधान मंत्री एक खास रवैया अपना लेती हैं और कहती हैं कि साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उनको कोट करना चाहता हूँ। यह मेरे पास हिन्दुस्तान टाइम्स का 21 सितम्बर का अंक है। जब बाहर जाने से पहले उन्होंने अपनी स्पीच ब्राडकास्ट की थी, तब कहती हैं :

"She spoke of the Government's efforts to stabilise prices and said, "Although the economic situation had improved over the last one year, the country was not out of the woods." She appreciated the difficulties faced by wives and mothers in balancing the family budgets but strikes and closures could only slow down development. She said Government could not ask the weaker sections of the people, the landless, the Harijans, the backward, the tribal and the hill people, to wait

[श्री कंचरलास गुप्त]

for long for their minimum basic needs. It was not possible to fulfil her obligations towards them unless the country's resources were developed and more wealth was created."

अब स्वयं प्रधान मंत्री इस बात को मानती हैं कि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी मिनिमम बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। ठीक बात है। अब उनका कहना यह है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रिविलेज क्यों मिलना चाहिये ? लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर करोड़ों लोगों की मिनिमम बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मेरा कहना यह है कि दुनिया के अन्दर 20 साल से लगातार एक ही पार्टी की हुकूमत अगर कहीं रही है तो केवल हिन्दुस्तान में है और 20 साल लगातार 32 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अगर यह सरकार बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकती, तो यहां बैठने का उनको कोई हक नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। इसी एक चीज पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा हम उनकी बेहतरी के लिये लगाना चाहते हैं। कौनसी गारन्टी है आपके पास ? आपको 20 साल लगे। आज भी कौनसी गारन्टी आप देते हैं ? अगर आज यह सरकार यह कहे कि जो लैंडलेस लेबर है, ट्राइबल है, हरिजन हैं, हम यह गारन्टी देते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी दो साल तक अपने वेतन की बढ़ोतरी नहीं मांगेंगे तो उनकी मिनिमम बेसिक नीड हम पूरी करेंगे तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन क्या यह सरकार उनके बारे में यह गारन्टी देने के लिये तैयार है ? मैं कहता हूँ कि नहीं। जो पैसा यहां से बचता है वह वेस्ट होता है। जैसा मैंने बताया कई योजनाएं पड़ी हैं। यह सरकार इन्वेस्टिशन की सरकार हमेशा से है। बैठे हैं, उसके ऊपर

सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, वेस्ट हो रहा है और चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या गवर्नमेंट के एड-मिनिस्ट्रेशन के अन्दर हो, टाय हैवी एड-मिनिस्ट्रेशन हो रहा है।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको रोटी नहीं मिलती। ठीक बात है। तो क्या आज तक सरकार ने 20 साल में मेशनस वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसके लिये कोई योजना बनाई है ? कोई योजना आपने अब तक नहीं बनाई। मोनोपली कमोशन की रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें जितना प्राइवेट सेक्टर में रुपया लगा है उसका 45 परसेंट केवल 75 बिजनेस हाउसेज के परिवारों का है। यह है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल वेल्थ का। किस मूंह से आप हरिजन की बात करते हैं, ट्राइबल की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं। यह तो बचने का एक तरीका आपने बनाया हुआ है। वास्तव में यह मांग और उनकी बहवूदी कोई अलग-अलग नहीं है। यह तो एक-दूसरे के साथ सप्लीमेंटिंग और काम्प्लीमेंटिंग हैं। अगर आज हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों के लिये मिनिमम वेजेज नीड बेस पर हों तो कल लैंडलेस के लिये भी लड़ेंगे और हरिजन और ट्राइबल के लिये भी लड़ेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार की नीति केवल बचने की नीति है। लोगों का सुधार करने की नीति नहीं है।

महंगाई के बारे में मैंने पहले ही कहा, प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य 21 तारीख का है। 21 तारीख को हिन्दुस्तान में अनाज का क्या भाव था ? दिल्ली और पंजाब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अन्दर गेहूँ का भाव 90 रुपये क्विंटल था, जब प्रधान मंत्री ने यह कहा कि मैं महंगाई रोकने की कोशिश करूंगी और तकलीफ नहीं होगी। और आज ढाई महीने के बाद दिल्ली में गेहूँ का भाव 115 रुपये क्विंटल पहुंच गया। जितना ही प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि मैं

कोशिश कर रही हूँ कीमतें कम करने की, महंगाई कम करने की, हम देखते हैं कि महंगाई उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती जाती है। आपने कौनसी योजना बनाई है जिससे यह कह सकें कि महंगाई रुकनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब मांगें थीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हड़ताल के साथ हैडलिंग किया, मैं यह समझता हूँ कि अगर प्रधान मंत्री और उनकी सरकार ठीक तरह से हैडलिंग करती तो यह स्ट्राइक नहीं हो सकती थी। पूरी तरह से यह सरकार विफल हुई है इस स्ट्राइक की हैडलिंग करने में और मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश भी नहीं हुई। 1950 में जो पहली हड़ताल हुई थी, तो मुझे याद है, मैं वह रेकार्ड देख रहा था, उस समय आज की प्रधान मंत्री के पिता जी प्रधान मंत्री थे, जिस दिन हड़ताल हो रही है उस दिन रात के बारह बजे तक भी फंसला नहीं किया गया, यह था कि हो सकता है कि कोई फंसला हो जाये। उन्होंने लेबर लीडर्स को बुलाया, सरकारी कर्मचारियों के लीडरों को बुलाया। उन्होंने आल इंडिया रेडियो पर अपील की, बार-बार कोशिश की कि किसी तरीके से हड़ताल टल जाये। लेकिन मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि डंडा पुलिस राइफल गोली आर्डिनंस और काले कानून को छोड़ कर के क्या उन्होंने खुद अपनी तरफ से एक बार भी सरकारी कर्मचारियों के नेताओं को बुलाया? क्या उन्होंने आल इंडिया रेडियो पर या प्रेस के द्वारा एक बार भी इस बात की अपील की कि हम आपकी बात को सोचेंगे, हम आपकी बात को कुछ पूरा करेंगे, आप आइये, बैठिये। हड़ताल नहीं होनी चाहिये। मुझे दुःख है, केवल डंडे के जोर से राज्य चलाने से इस देश में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि यह सरकार फेल हुई है, पूरी तरह से विफल हो गई है स्ट्राइक को एवर्ट कराने में, इसलिये भी इसको इस्तीफा दे देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने भोग गिरफ्तार हुए। इस एक दिन की हड़ताल के बाद क्या हुआ? यह भी रिप्रेशन और सप्रेशन की एक लम्बी कहानी है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह एक दूसरा जालियां वाला बाग था। दिल्ली के इतिहास ने इस प्रकार का गोलीकांड नहीं देखा था, इस प्रकार का पुलिस का अत्याचार कभी नहीं देखा था। जो कुछ दिल्ली में हुआ, पठानकोट में हुआ, बीकानेर में हुआ और भी दूसरी जगहों पर हुआ, मैंने इन्द्रप्रस्थ में स्वयं देखा, मेरे साथी श्रीमान मनोहर लाल जी सोंधी तो शुरू से वहां पर थे। हमने देखा कि जिस तरीके से औरतों के ऊपर हमला किया गया, वह औरतें जो दफ्तर में काम कर रही हैं, वह जब गुसलखाने के अन्दर घुस गईं तो गुसलखाने के किवाड़ों को तोड़ कर उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किये गये। जो बड़े-बड़े अफसर थे, जो स्वयं चाहते थे कि हड़ताल न हो और आपको आश्चर्य होगा कि उम दफ्तर में कोई भी हड़ताल पर नहीं था, लेकिन उनके कमरों में घुस-घुस कर पुलिस ने वह बर्बरता की कि जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलती। लड़कियों की और दफ्तर के लोगों की प्रडियां उतार ली गईं। उनकी जब से पैमे निकाल लिये गये। प्रेस वालों को पीटा गया। फोटोग्राफर्स के कैमरे तोड़ दिये गये और यह सब कुछ हुआ हमारे होम मिनिस्टर के सामने, जहां वह स्वयं विराजमान हैं वहां यह सब कुछ हुआ। . . . (व्यवधान) . . . मैं यह कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो ब्लैक आर्डिनंस जारी किया, मेरे ख्याल में जो कानून पहले से बना हुआ है और जो आर्डिनरी लाज हैं, उनके जरिये से भी काम चल सकता था। लेकिन स्पेशल पावर इस सरकार ने ले ली। एक दिन की केवल टोकन स्ट्राइक थी। मानो पाकिस्तान का हमला होने वाला था या चीन का हमला होने वाला था। मेरा ख्याल है उस समय इतनी तैयारी चव्हाण साहब नहीं करते हैं। लेकिन उस दिन तो जिधर देखो पुलिस ही पुलिस थी और इस

[श्री कंबरलाल गुप्त]

तरह का दिल्ली के अन्दर और बाहर पुलिस राज का सच्चा नजारा इस सरकार ने हमें दिखाया।

अब आखिर में चव्हाण साहब कहते हैं कि स्ट्राइक कामयाब नहीं हुई, फेल हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 65 हजार लोगों को सर्पेंड किया, टरमिनेट किया, इसका मतलब है कि कम से कम 65 हजार लोग तो उस दिन अपने दफ्तरों से बाहर थे। उपाध्यक्ष महोदय, इनके आर्डिनेन्स के बावजूद, आपने डर दिखाया कि सर्विस ब्रेक हो जायेगी, गिरफ्तार हो जायेंगे, पुलिस का दिखावा दिखाया गया, सरकार द्वारा इतना डराने के बावजूद लाखों लोग उस दिन गैर-हाज़िर रहे, हड़ताल पर रहे और जो अन्दर भी रहे होंगे, उनके मन, उनकी आत्मा बाहर थी, शरीर केवल अन्दर होंगे।

कितने लोग इस बात से दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसका नजारा, मुझे पता नहीं, प्रधान मंत्री जी जब विदेश से बाहर आईं, उन्होंने देखा या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त बैनर्जी साहब और दूसरे नेता जब उनसे मिलने के लिये गये, मैं समझता हूँ दिल्ली के अन्दर सरकारी कर्मचारियों का एक समुद्र ठाठें मारता हुआ पचास-साठ हजार की तादाद में उनके घर के सामने गया था.....

श्री स० मो० बनर्जी : डेढ़ लाख थे।

श्री कंबरलाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, अगर पचास-साठ हजार सरकारी कर्मचारी दिल्ली में इकट्ठे हो सकते हैं, तो उनकी फीलिंग कितनी तेज होगी आप इससे अन्दाज़ा लगा सकते हैं। आप गाँठों के जरिये किसी को दबा नहीं सकते, अब वह दिन चले गये हैं, इस तरीके को अब आउट-मोडेड समझना चाहिये। अगर देश प्रजातन्त्र को बनाये रखना है, तो लोगों के भावनाओं का आपको कद्र करनी पड़ेगी, बेल सिम्पटम्स से नहीं, जड़ नै जाना होगा, उनकी तकलीफें क्या हैं, उनको दूर करना होगा। जब तक आप उनको

दूर नहीं करेंगे—क्या आप यह समझते हैं कि यह सरकार कोई काम कर सकेगी? इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के आधार पर आप चलते हैं। एक भूखा सरकारी कर्मचारी, एक नंगा सरकारी कर्मचारी, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास तन ढांकने के लिये वस्त्र नहीं है, जिसका दिमाग सुबह-शाम इस बात से परेशान रहता है कि कल बच्चों को फीट देने के लिये पैसा कहाँ से लाऊंगा—इस प्रकार का फ्रस्ट्रेटेड सरकारी कर्मचारी सरकार के अन्दर एफिशियेन्सी नहीं ला सकता। आपको उनकी तकलीफों को देखना होगा। आज जो स्टूडेन्ट अनरेस्ट देखते हैं, घेराव होते हैं, चारों तरफ वायोलेंस मचा हुआ है—यह क्यों है? यह इकानॉमिक अनरेस्ट है, सरकार ने अब तक लोगों की आर्थिक अवस्था को ठीक करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा या चव्हाण साहब या मोरारजी देसाई भाई जाते हों, तो उनका शानदार स्वागत होता हो और उसको देख कर वह यह समझते हों कि सब कुछ ठीक है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वह गलती पर हैं। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि प्राइम-मिनिस्टर साहिबा भी कुछ शेर कहती हैं, मैं भी उनकी सेवा में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक शेर कहना चाहता हूँ—

उनको देखते ही चेहरे पर आ जाती है रीनक; वह समझते हैं कि मरीज का हाल अच्छा है। अगर प्रधान मंत्री जी कभी जायें और लोग उनको देख कर खुश हो जायें, उनके गले में माला डालें तो वह यह समझ लें, लोगों की हालत बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलतफहमी है।

अब यह स्ट्राइक ठीक तरह से हैण्डल हुई या नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा है। मैं चाहता हूँ कि चव्हाण साहब जरा इस तरफ ध्यान दें—प्रधान मंत्री जी ने स्वयं आपको एक सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है।

कबिनेट सेक्रेटरी को एक नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बहुत सारी मिक्कतें जायज थीं, अगर उनको ढंग से देखा जाता तो यह स्ट्राइक एवर्ट हो सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि वह नोट सदन के सामने रखा जाये, तब आप को पता लगेगा कि आपने स्ट्राइकर्स के साथ कैसा सलूक किया है। मुझे यह भी मालूम है कि आप दोनों ने उस पर प्रॉटेस्ट भी किया है, बहुत जोरदार प्रॉटेस्ट किया है . . . .

**प्रधान मंत्री, धनु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वंदेसिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** आपसे ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) :** आप से ही किया होगा।

**श्री कंवरलाल गुप्त :** आप नोट यहां रखिये, पता लग जायेगा कि क्या हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वह नोट सामने आना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ, उसके लिये हमने कहा कि उसकी जुडीशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये, लेकिन उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं कराई गई और डिप्टी कमिश्नर की एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बना कर एन्क्वायरी करा दी गई। जो कुछ भी कराया गया, वह एक आई-वाश था, उससे जो मच्चे तथ्य थे, वे सामने नहीं आये। जो भी एन्क्वायरी हुई, वह एकतरफा थी, एकम्पलीट थी, कुछ लोगों को बचा लिया गया, कुछ को सजा दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एन्क्वायरी क्यों इन्कम्पलीट है। मेरे पास समय थोड़ा है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन स्वयं होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि प्रेसवालों को पीटा गया, उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिये थी। यह दुख की बात है, आपने स्वयं भी दुख प्रकट किया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब

ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, यह मालूम नहीं। प्रेसवालों को किसके कहने से पीटा गया, कितना पीटा गया, उसके लिये कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

यह भी एलीगेशन लगाई गई थी कि लौयों से पैसा छीन लिया गया, बटवे छीन लिये गये, घड़ियां निकाल ली गईं, इसके बारे में भी डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं कहते। अर्जुन सिंह कैसे मरा, आया उसको धक्का दे दिया गया या स्वयं गिर गया, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। यह रिपोर्ट इन-कम्पलीट है, इससे लोगों की तसल्ली नहीं होगी, लोगों की मांग है कि पूरी जिडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये। वास्तव में डिप्टी कमिश्नर स्वयं उसके लिये जिम्मेदार है, इस मामले में ओवर-आल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर की है। जब डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है, तो उससे एन्क्वायरी कराना मेरे खयाल से ठीक नहीं होगा। अभी तक डिप्टी कमिश्नर की पूरी रिपोर्ट भी शाया नहीं हुई है, किस-किसने गवाहियां दीं, क्या-क्या हुआ, यह सब सदन के सामने रखना चाहिये।

मुझे मालूम है—पेंडिंग के कारस्पोंडेंट वहां पर अपना बयान देने के लिये गये, डिप्टी कमिश्नर ने उन का बयान सुन लिया, लेकिन उन की गवाही लिखी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने उनकी मर्जी के मुताबिक गवाही नहीं दी। शुरू में डी० आई० जी० रोश साहब और डिप्टी कमिश्नर इन दो आदमियों को इस काम के लिये लगाया गया, आधे समय तक रोश साहब उन के साथ रहे, लेकिन बाद में उन को भी अलग कर दिया गया। बाद में उन से सलाह करना तो अलग वह रिपोर्ट भी उन को नहीं दिखाई गई। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जो मैसेज-बुक है, लोग बुक है, उस को भी बदल दिया गया। इस तरह से केन्द्रीय सरकार अपने पापों पर पर्दा डालना चाहती है,

[श्री कंवरलाल गुप्त]

वपनी गस्तिषों को छिपाना चाहती है, क्योंकि अन्धकार लोगों के सामने सही स्थिति आ जायगी तो एक भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी। जो कुछ अखबारों में आया है, वह तो उसका का कुछ भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह आंखों देखी घटना है—वहाँ पर ए० डी० एम० साहब और एम० पी० साहब मौजूद थे, उन्होंने यह कहा कि ये जितने कर्मचारी हैं, सब को गिरफ्तार कर लो। हमने उन से कहा कि सब को क्यों गिरफ्तार करते हो, इस पर मैंने और माननीय साँधी साहब ने उन से बात की, 10-15 मिनट तक आर्ग्यूमेंट चलता रहा, इसी बीच कर्मचारियों को पता लग गया कि गिरफ्तारी के आर्डर हो गये हैं, वे वहाँ से खिसक गये। 15 मिनट बाद जब देखा तो वे सब वहाँ से चले गये थे। इस पर उन्होंने आर्डर दिया कि जितने भी मेरे आसपास खड़े हैं, सब को गिरफ्तार कर लो। जिस तरह से उन लोगों ने जो कानून की रक्षा करनेवाले हैं, कानून की हत्या की है—मेरी मांग है कि इस पर जूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

इसी तरह से पठानकोट में मैजिस्ट्रेट ने एन्क्वायरी की और यह कहा गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। अगर सब कुछ ठीक था तो आपने वहाँ के एम० डी० एम० को क्यों बदला, उस को छोटी जगह पर क्यों भेजा—इसका कोई जवाब नहीं है। वह एन्क्वायरी भी झूठी थी। वह भी इन्क्वायरी झूठी थी। उसमें डिप्टी कमिश्नर ऐयर-कन्डीशन्ड रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। अगर जुडिशल इन्क्वायरी ही तो सारे तथ्य सामने आयेंगे कि कौन जिम्मेवार है। मुझे पांच मिनट और दीजिए।

तो मैं कह रहा था कि अभी आखीर में क्या हुआ? जो काओ साहब थे उनको ट्रान्सफर कर दिया गया। कहां ट्रान्सफर किया गया? उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई और जो तनख्वाह उन्हें मिलती थी उसमें भी दो सौ रुपए ज्यादा उन्हें दिए गए। एक काम तो यह किया गया है।

और दूसरा काम यह किया गया है कि लाठी के ऊपर जो लोहे का खोल होता है उसको हटा दिया गया है। वह बात भी वैसी ही हुई है जैसी कि आज हमने अखबार में पढ़ी कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि जो शराब बेचने वाले हैं उनको टिकट नहीं दिया जायेगा, लेकिन पीने वालों के बारे में कुछ नहीं है। उसी तरह से जिसने लाठी मारी उसके बारे में तो कुछ नहीं लेकिन लाठी के ऊपर जो लोहे का हिस्सा होता है उसे हटा दिया गया। यही बात मुशीला नैयर जी ने भी की। उन्होंने निपेथ कमेटी में तो इन्टीफा दे दिया लेकिन कांग्रेस से इन्टीफा नहीं दिया। जिसका कि कुसूर है उसमें इन्टीफा नहीं दिया। वह कहती है कि प्रोहिबिशन कमेटी को छोड़ रही है। बिल्कुल यही तरीका सरकार का भी है।

अध्यक्ष महोदय, आज भी दस हजार सरकारी कर्मचारी मस्पेन्डेड हैं। आज भी लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी कल ही दिल्ली में मेरे पास लोग आए थे और वे कह रहे थे कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसी तरह से सरकार एक चीज और सोच रही है। वह एक गया कानून बनाएगी जिसके जरिए हमेशा के लिए हड़ताल पर पाबन्दी लगाई जा सके। मैं समझता हूँ जितने भी नान-कम्युनिस्ट देश हैं हर एक में हड़ताल करने का हक है। अगर आप हड़ताल का हक नहीं देते हैं तो फिर क्या तरीका होगा? दूसरा तरीका क्रान्ति का, रेवोलूशन का ही होगा। डिमोक्रेटिक राइट्स को एक आउट-लेट मिलना ही चाहिए। अगर आपने यह कानून बना दिया तो प्रजातन्त्र की हत्या हो जायेगी।

दूसरा विषय यू० पी० पुनिम की एट्टा-मिटींग के बारे में है। इसके सम्बन्ध में मैं दो बातें ही कहना चाहता हूँ। आजकल यू०पी० में जो कुछ हो रहा है वह एक एकार से लानेसनेस ही है। पुलिस का काम लोगों के अधिकारों और जान माल की रक्षा करना है जबकि वहाँ पर वह खुद माडल क्रिमिनल

बन रही है। वहां पर जो पुलिस के थानेदार हैं, एस० एम०ओ० हैं, वे स्वयं रेप करते हैं, चोरी में शामिल होते, डाकुओं के साथ शामिल होते हैं। बहुत तेजी के साथ इस तरह से वहां पर पुलिस का डिटेरियोरेशन हो रहा है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। मैं आपको सरकारी आंकड़ों के आधार पर बताना चाहता हूँ कि यू० पी० के अन्दर हर चार सौ आदमियों के पीछे एक आदमी ऐसा है जिसके यहां या तो चोरी हुई होगी, डाका पड़ा होगा या कोई कल्ल हुआ होगा। वहरहाल, चार सौ आदमियों के पीछे एक आदमी एडवर्सली एफेक्टिव है। यह हालत यू० पी० की है : और यह मैं वहां का शासन आपके हाथों में आने के बाद की हालत बता रहा हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं, जनवरी से लेकर अगस्त 68 तक के, जबसे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 1964 में रायट्स की संख्या 3962 थी जोकि अब 4484 हो गई है केवल इन आठ महीनों में। मर्डर्स की संख्या 1964 में 1007 थी जोकि इन आठ महीनों में 1953 हो गई। कागिनजेविल क्राइम्स 67 में एक लाख 47 हजार थे वे भी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं।

मैं अन्त में एक आघ उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। मुझे मालूम है कि शाहजहांपुर में एक कटरा पुलिस स्टेशन है। वहां पर एक मिल ओनर श्री ओम प्रकाश हैं। उनका जगड़ा वहां के थानेदार से हुआ। उसके बाद उन्होंने यह कोशिश की कि थानेदार वहां से बदल जाए। एस० पी० को डी० आई० जी० ने आर्डर भी कर दिया लेकिन एस० पी० नहीं माना। लेकिन जब ज्यादा दबाव दिया गया तो उसको बदल दिया। लेकिन उसकी जगह पर जो थानेदार आया उसने क्या किया ? उसने एक कांस्टेबिल से कहा और वह कांस्टेबिल दो आदमियों को पकड़ कर, रस्सी बांध कर मिल के पास ले गया और वहां छोड़ दिया। फिर उसके बाद वही थानेदार जोकि दूसरी जगह से आया था उसने मिल मालिक को पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया और उनकी

खूब पिटाई की, उसके लड़कों की भी खूब पिटाई की और यह कहा कि जो चोर थे उनको तुम ने छिपाया था। इसकी रिपोर्ट की गई, सी० आई० डी० में भी रिपोर्ट की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे जो एम० पी० हैं श्री ब्रजभूषण लाल, उन्होंने डी० आई० जी० से कहा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, उन्होंने चोरों को छुड़ाया है इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। जब चन्हाण साहब को खबर दी गई और सी० बी० आई० के जरिए से इन्क्वायरी हुई तो यह पता लगा कि यह उसकी वदमाशी थी और वह सारी बात झूठ थी। अब डी० एस० पी०, एस० एच० ओ०, थानेदार सभी सस्पेन्शन की ओर जा रहे हैं। यह तो मैं ने एक उदाहरण दिया।

एक दूसरा उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ। भड़ौच जिले की बात है। एक दुकानदार और उसकी बीवी को मार दिया गया, उनके बच्चों को भी मार दिया गया। एस० एच० ओ० ने रिपोर्ट की और चार आदमियों को पकड़ कर अन्दर कर दिया और जो डाकू डाका डाल रहे थे उनकी गवाही करा दी, उनको गवाह बना दिया और दूसरे आदमियों को फंसा दिया। जब उन लोगों ने कोर्ट में जाकर यह बयान दिया कि साहब यह तो आपने झूठे आदमियों को फंसाया है तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे। जब बाद में उसकी इन्क्वायरी हुई, गवर्नर साहब के पास बात गई और डी० आई० जी० वहां गए तो उसने कहा कि यह खराब आदमी था, इसको मार दिया। आप देखें कि किस तरीके से ला एन्ड आर्डर डिटेरियोरेट हो रहा है। मैंने केवल दो उदाहरण ही आपके सामने रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज देश की स्थिति क्या है ? सरकारी कर्मचारियों का विश्वास इस सरकार पर से उठ गया है। देश का आर्थिक ढांचा टूट रहा है। भूख के कारण लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। कानून बनाने वाली और कानून की हिफाजत करने वाली

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सरकार अपने ही डंडे और गोली से लोगों को भून रही है। आज यू० पी० में, बंगाल में और दिल्ली में पुलिस खुद क्रिमिनल बन गई है। सरकार को स्वयं एक माडल एम्प्लायर बनकर दूसरों को शिक्षा देना चाहिए, लेकिन सरकार तो, खुद जो उसके बन्धन है उनको ही नहीं मानती है और सरकारी कर्मचारियों को (व्यवधान) तो मेरा कहना यह है कि सरकार स्वयं माडल एम्प्लायर नहीं रही है, उसने स्वयं विधान का वायलेट किया है। इस सरकार ने अपने हाथों से कानून की हत्या की है। इस सरकार ने 60 लाख सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं को कुचला है। यू० पी० और दूसरी जगहों पर यह सरकार लोगों की जान माल की रक्षा करने में नाकामियाब रही है इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर यह सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यू० पी० के तमाम संसद सदस्यों को मालूम है कि यू० पी० में क्या हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर स्वयं मेन साहब ने कमेटी में इस्तीफा दिया था लेकिन शायद बाद में वापिस ले लिया था, वे भी इस पर दुखी हुए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने इन्द्रप्रस्थ का कांड देखा है वे पार्टी की चिन्ता न करें बल्कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि यह सरकार यहां से चली जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved.

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

Mr. Chander Jeet Yadav.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 सितम्बर को सरकारी कर्मचारियों की जो प्रतीक हड़ताल हुई और 31 दिसम्बर से सरकारी कर्मचारियों ने जो अनिश्चित काल की हड़ताल करने की धमकी दी थी और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे थी, जो उनकी कठिनाइयाँ हैं जिनको लेकर 19 सितम्बर को दिल्ली के

अन्दर घटना घटी, उन सारे प्रश्नों के ऊपर विचार करने की जरूरत थी। यह बात सही है कि जब देश के राज्य कर्मचारी इनकी बड़ी संख्या में परेशान हों तो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था संसद को उसपर विचार करना चाहिए। इस हालत पर विचार करके के लिए संसद के सामने प्रस्ताव होता तो उसका स्वागत किया जाता और उन तमाम पहलुओं पर विचार किया जाता जिनकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन श्रीमन् विरोधी दलों की तरफ से यह अविश्वाम का प्रस्ताव एक राजनीतिक हथकंडा है, एक राजनीतिक चाल है। (व्यवधान) मैं समझता हूँ इस प्रकार से अविश्वाम का प्रस्ताव आने से सरकारी कर्मचारियों के प्रश्नों पर विचार नहीं हो सकता है (व्यवधान)

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार के अधीन 26 लाख सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। मैं सब से पहले उन 91 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने देश की स्थिति को सामने रखते हुए इस हड़ताल की गम्भीरता और उस के नतीजे को सामने रखते हुए अपने को उस हड़ताल से अलग रखा। निस्सन्देह वह हमारी बधाई के पात्र है। केवल 9 फीसदी सरकारी कर्मचारी इस हड़ताल पर गये। (व्यवधान) हमारी सरकार इस बात को समझती थी कि उनकी कठिनाइयाँ और समस्याएँ हैं। हम ने कभी इस बात में इंकार नहीं किया है कि देश के अन्दर निरन्तर बढ़ती जा रही महंगाई से आज सरकारी कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है लेकिन यह कठिनाइयाँ केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के ही सामने नहीं है, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भी सामने यही कठिनाइयाँ दरपेश हैं। विभिन्न निजी संस्थानों और कारखानों आदि में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी यह महंगाई की कठिनाई दरपेश है। हमारी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्दर

सही कहा था कि इस देश की करोड़ों गरीब व निरीह जनता को दो वक्त भरपट खाना नसीब नहीं होता है। उस की भी रोजी, रोटी की समस्या है और दूसरी समस्या है उन सारी समस्याओं पर हम बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करेंगे। आर्थिक संकट का मुकाबला करना सरकार का कर्तव्य है और सरकार उम पर गम्भीरता से विचार कर रही है और उम दिशा में प्रयास भी कर रही है। लेकिन सरकार समझती है कि कुछ पार्टिया अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को भड़काती हैं और उन्हें हड़ताल व आन्दोलन आदि करने के लिए प्रोत्साहित किया करती हैं वह ठीक बात नहीं है। पिछली बार भी इन राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल आदि करने के लिए उकसाया गया और अभाग्यवश हजारों सरकारी कर्मचारियों ने उस के अन्दर हिस्सा लिया। लेकिन सरकार जानती थी कि बहुत से सरकारी कर्मचारी बेगुनाह थे, निर्दोष थे, उन्हें हड़ताल आदि पर जाने के लिए बहकाया गया था इसलिए जब प्रधान मंत्री जी विदेश यात्रा से वापिस आयीं तो उन्होंने और उन के मंत्रिमंडल ने सारी परिस्थितियों पर विचार करके सरकारी कर्मचारियों के साथ सद्भावनापूर्ण और नम्र बर्ताव करने का निश्चय किया। उस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों ने खुद प्रतिवेदन किया था, उन के परिवार वालों ने भी सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि उन के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। जो सरकारी कर्मचारी निकाले गये हैं उन को काम पर वापिस लिया जाय और उन के खिलाफ कार्यवाही न की जाय। सरकार ने तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो कि निर्दोष थे और बहकाये हुए थे, सारी कार्यवाही को वापिस ले लिया (व्यवधान) यह बात सही है कि 8-9 हजार कर्मचारी आज भी ऐसे हैं जिनके ऊपर इस बात का आरोप लगाया गया था कि उन्होंने या तो कोई हिंसात्मक कार्यवाही में हिस्सा लिया था, कोई तोड़फोड़

की कार्यवाही में हिस्सा लिया था या जिन के खिलाफ अदालती केस चल रहे हैं, बहुत से सस्पेंड हैं और बहुत से निकाले भी गये हैं लेकिन इस बारे में भी सरकार ने इस बात को कहा है कि अदालत का फैसला हो जाने के बाद सरकार उन के बारे में सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करेगी। इन्द्रप्रस्थ में घटी घटना वास्तव में बड़ी खेदजनक थी। वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ जिस प्रकार पुलिस ने सरकारी इमारत के अन्दर घुस कर कर्मचारियों के ऊपर डंडे बरसाये उम के लिए सरकार ने अपना दुःख व खेद प्रदर्शित किया था। उस एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना सरकार ने माना था और उस पर जांच कराने के लिए सरकार ने तत्काल कार्यवाही की थी (व्यवधान) सरकार ने इस के साथ ही उस पुलिस कप्तान को फौरन मुअ्तिल किया और उस अतिरिक्त जिलाधीश को जोकि उस जगह के लिए जिम्मेदार था उस का भी स्थानान्तरण किया। हमारे मित्र साँधी साहब आज हस्पक्षेप कर रहे हैं कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो मुअ्तिल किया है वह नहीं होना चाहिए और उन मुअ्तिल सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं (व्यवधान)।

श्री म० ला० साँधी (नई दिल्ली) : जिन सरकारी कर्मचारियों ने सफर किया है उन के साथ सरकार खाली लिप सिम्पंधी एक्सप्रेस न करे बल्कि अमल में उसे लाये। वहाँ पर उस चपड़ासी की दर्दनाक मृत्यु हुई और हालत यह है कि अभी तक

His widow has not been given the police report and the post-mortem report. His widow has not been given anything. We want real sympathy; not crocodile tears. It is the basic point that I am making. What is this? People have been murdered. What is the confidence that people have today in the Government? Where is Jallianwala Bagh and where is the Congress today? Tagore renounced his knighthood at the time of Jallianwala Bagh. A second

[श्री म० ला० सोंधी]

Jallianwala Bagh has been staged now and Mr. Chavan is sitting there complacent. The Prime Minister refuses to do anything and the Finance Minister refuses to do anything. What is this? They are making a mockery of this house. Is the widow going to be given the police inquest report and the post-mortem report or not? That is the basic question.

श्री चंद्रजीत यादव : श्रीमन्, मैंने शुरू में कहा है कि मेरे मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था कि जलपाईगुडी के अन्दर जो स्थिति हुई जिसमें कि लोग भयंकर बाढ़ से पीड़ित थे, राजस्थान में भयंकर सूखे से लोग पीड़ित थे, बिहार के अन्दर बाढ़ और सूखा दोनों से लोग पीड़ित थे और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के अन्दर भी लोग भयंकर सूखे से पीड़ित थे, उन का यह सब कहना सही था और हम भी मानते हैं कि वहां की जनता पीड़ित थी और कष्ट में थी लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई उस से वहां की जनता को कोई राहत नहीं पहुंची है उल्टे उन्हें तकलीफ ही हुई है। एसेंशियल सर्विसेज के हड़ताल पर जाने से उन दुखी और बाढ़ग्रस्त लोगों को जिनको कि हमें गल्ला, कपड़ा और दवाइयाँ आदि पहुंचाना था, जिनको कि सहायता फौजी स्तर पर पहुंचाना आवश्यक था इस हड़ताल के कारण उस में देरी हुई और उस सहायता कार्य में स्कावट पड़ी। यह दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे सरकारी कर्मचारी, डाक, तार के कर्मचारी और डिपेंस आदि के कर्मचारी इन विरोधी राजनैतिक पार्टियों के बहकावे में आ गये। अगर वह इन राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आते और इस प्रकार की स्थिति देश के अन्दर पैदा नहीं करते तो बाढ़-ग्रस्त और पीड़ित लोगों को समय पर राहत मिल जाती। जब देश में आंतरिक और बाह्य संकटों का मुकाबला करने की तैयारी हो रही थी तब यह हड़ताल की स्थिति पैदा करना विलाशः एक दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक

बात थी। दरअसल यह स्थिति क्यों पैदा हुई? हकीकत यह है कि पिछले आम चुनावों के बाद देश में एक खतरनाक राजनैतिक स्थिति पैदा हुई है और उस के पैदा होने का कारण यह है कि गत आम चुनावों के पहले विरोधी राजनैतिक पार्टियों ने चुनाव पर बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं लेकिन चुनाव परिणामों से उन्हें बड़ी निराशा हुई और सत्ता में आने का उनका खवाब मिट गया और यही कारण है कि चुनावों में कांग्रेस से पराजित सारी राजनैतिक पार्टियाँ जैसे जनसंघ, पी० एस० पी०, एस० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी आदि इस तरह से देश में एक गड़बड़ व अस्थिरता की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं.....

SHRI NAMBIAR : It is absolute nonsense. What has that to do with this?

श्री चंद्रजीत यादव : उसी के परिणाम-स्वरूप देश के अन्दर एक खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है और जिसका कि प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है।

श्रीमन्, कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि उस ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सख्ती का बर्ताव किया। मैं चाहूँगा कि आज इस सारी समस्या पर हम लोग ठण्डे दिल से गौर करें कि आज हमारे सरकारी कर्मचारों में मंहगाई आदि से पीड़ित हैं और परेशान होकर हड़ताल आदि कर बैठते हैं उन की समस्याओं को कैसे हल किया जाय। वैसे जहां तक हड़ताल करने की बात है केन्द्रीय कर्मचारियों से पहले दूसरे सूबों के भी सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की है। उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की, काम ठप्प रहा, विकट परिस्थिति पैदा हुई। उस समय की कांग्रेसी सरकार को जिसको कि मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी थीं उन्हें उसे भुगतना पड़ा। जब वह उत्तर-प्रदेश को मुख्य मंत्री थी तो राज्य के कर्म-चारियों ने हड़ताल की, प्रशासन का काम ठप्प किया लेकिन सरकार ने उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और सरकार लगातार

उन से बातचीत करती रही। सरकार ने न तो आइनेस पास किया और न ही उसने हड़ताली कर्मचारियों को जेल में डाला, न ही सरकारी कर्मचारियों को उस ने मुअत्तिल किया और न ही उन को बर्खास्त किया। लेकिन वहां पर चुनाव के बाद स्थिति बदली और जब वहां उत्तरप्रदेश में संविद की सरकार कायम हुई जिसमें जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, पी० एस० पी०, ए० एस० पी० और स्वतंत्र पार्टी गरज, कोई भी विरोधी दल उधर का ऐसा नहीं था जोकि उस संविद सरकार में शामिल नहीं हुआ था, उस के शासनकाल में जब उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने फिर हड़ताल की तो इन्हीं विरोधी दलों की मिली जुली सरकार ने उत्तर प्रदेश के बर्जनों सरकारी कर्मचारियों और उनके नेताओं को बर्खास्त कर दिया और अभी भी बेचारे बहुत सी मुसीबत व कष्ट भुगत रहे हैं। इसी तरह से मैं श्री वाजपेयी से पूछना चाहता हूँ कि वह इंदिरा जी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले जनसंघ द्वारा शासित मध्यप्रदेश की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाये? वाजपेयी जी को पहले मध्यप्रदेश की जनसंघी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था जिसने कि वहां के सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को कुचल दिया। तीसरी और चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को कुचला . . . . .

**SHRI NAMBIAR:** Is he competing with them? Is this the way the people have to suffer? Does Shri Y. B. Chavan want to compete with the Madhya Pradesh Government? Should the people have to suffer because of this kind of competition?

**श्री चंद्रजीत यादव:** मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि हरियाणा की गैर कांग्रेसी सरकार, पंजाब, बिहार और उत्तरप्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकारों ने अपने यहां कानून बनाया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। दरअसल जरूरत इस बात

की है कि हमें दरपेश इन तमाम प्रश्नों के ऊपर ठंडे दिल से विचार करने की जरूरत है। हमें इस बात पर विचार करना है कि जो स्थिति हमारे देश के और समाज के अन्दर पैदा हो रही है वह हमें कहां ले जायेगी? हम इस बात को समझते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अपनी उचित व जायज़ मांगों को पूरा करवाने और मनवाने के लिए शान्तिपूर्ण तरीक़ से संगठित होने और शान्तिपूर्ण तरीक़ से आन्दोलन अथवा हड़ताल करने का एक मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस में दो राय नहीं हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाये किसी देश के अन्दर और किसी सरकार के अन्दर और सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिये, राजनीतिक हथकण्डों को पूरा करने के लिये, प्रशासन को ठप्प करने के लिये, देश के अन्दर अव्यवस्था पैदा करने के लिये, वगैर सोचे समझे उपयोग किया जाये, जब कि 90 फीसदी कर्मचारी काम करने के लिये तैयार हों, अपनी पूर्ण स्वामिभक्ति प्रदर्शित करते हों, केवल 10 फीसदी कर्मचारियों को राजनीतिक दल राजनीतिक फायदा उठाने के लिये, राजनीतिक हथकण्डों को पूरा करने के लिये इस्तेमाल करे तो उस स्थिति का मुकाबला करना ही चाहिये।

गृह-मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने कभी भी सरकारी कर्मचारियों के नेताओं को बुलाया नहीं, कभी उन से बात नहीं की। मैं नम्रतापूर्वक आप से कहना चाहता हूँ कि श्री कंबरलाल गुप्त ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सदन के सामने रक्खा। यह प्रश्न एक बार नहीं, अनेक बार सदन में उठा है। गृह मंत्री ने दोनों सदनों में वक्तव्य दिये थे कि सरकारी कर्मचारियों की जो मांग है उन पर सरकार का क्या रख है। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था। इस हड़ताल के शुरू होने के पहले एक वक्तव्य प्रकाशित कर के कहा था कि जहां तक दूसरी मांग का प्रश्न है, उन के महंगाई भत्त को उन की तनख्वाह

[श्री चन्द्रजीत यादव]

में मिलाने का प्रश्न है उस पर सरकार बात चीत करने के लिये तैयार है और सब को इस के लिय आमंत्रित करने को तैयार है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume after the lunch recess.

13 hrs.

*The Lok Sabha adjourned for lunch till fourteen of the clock.*

*The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the clock.*

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि गृह मंत्री ने इस बात का वक्तव्य पहले ही दे दिया था, इस बात का स्पष्टीकरण पहले ही कर दिया था कि वह सरकारी कर्मचारियों की इन समस्याओं के बारे में उनके नेताओं से, उनके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी साफ कहा था कि जहां तक दूसरे प्रश्न हैं, महंगाई भत्ते का प्रश्न है उसको वेतन का एक अंग बनाये जाने का प्रश्न है, इसकी वह जांच करने को तैयार हैं। जहां तक मिनिमम नीड बेस्ड वेज का प्रश्न है, सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि एक नैशनल लेबर कमिशन बैठा हुआ है और मार्च 1969 तक उसका प्रतिवेदन सरकार के पास आ जाने की आशा है और जब तक वह प्रतिवेदन नहीं आ जाता सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। यह पहली बार नहीं हुआ है। जब कभी भी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाया है खास तौर से महंगाई भत्ते के सवाल को ले कर, अपने वेतन के सवाल को ले कर, सरकार ने हमेशा इस बात का रुख अच्छतयार किया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। हमेशा ही सरकार का

यह रुख रहा है कि देश की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन से बातचीत करके उसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा था कि ये तमाम जो प्रश्न देश के सामने खड़े हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनका सम्बन्ध हमारे देश की आर्थिक स्थिति के साथ भी बहुत गहराई के साथ जुड़ता है। आज देश के अन्दर आर्थिक संकट है। कोई भी देश जो कि भारत जैसा विशाल देश होगा उसको भी इस प्रकार की विशाल समस्याओं का सामना करना होगा और भारत को भी करना पड़ रहा है और विकास के काल में इस प्रकार के संकटों का सामना उसको भी करना पड़ेगा और भारत को भी करना पड़ रहा है। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के संकटों का हल निकाला जाए।

यह बात सही है कि जिस के हाथ में शासन की बागडोर है उसको इस काम में नेतृत्व करना चाहिये, उसको इस मामले में आदर्श उपस्थित करना चाहिये, उसको इसके अन्दर पहल करनी है। विकास काल के अन्दर लोगों को त्याग करना होता है, लोगों को कुर्बानी करनी होती है और सब भी करना होता है। केवल शिक्षा देने से सब की भावना पैदा नहीं हो सकती है। हम को यह भी देखना होगा कि देश में ऐसे भी दूसरे वर्ग हैं, समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जिन की समस्याएँ आज और भी बदतर हो गई हैं। हमारे लाखों नौजवान बेकारी के शिकार हैं। करोड़ों की संख्या में किसान और मजदूर ऐसे हैं जिन की जो निहायत जरूरी आवश्यकताएँ हैं, उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है।

विकास की हवा देश के अन्दर उत्पन्न है और विकास के पथ में जो समस्याएँ हमारे सामने हैं, उनका मुकाबला भी हम को करना है। ऐसी कठिन परिस्थिति में केवल राजनीतिक नारों से काम नहीं चल सकता है। अभी में कुछ दिन हुए मद्रास गया था। मुझे वहां के उद्योग मंत्री से जो कि डी० एम० के० से

सम्बद्ध हैं, बातचीत करने का अवसर मिला था। मैंने उन से पूछा था कि आप अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए क्या साधन इकट्ठे करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम अपनी चतुर्थ योजना के लिए सरकार के सामने मांग प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यह कहने जा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारी पूरी मदद करे। मैंने उन से पूछा कि अगर राज्य सरकार अपने विकास की योजना के लिए खुद साधन इकट्ठा नहीं करेगी, राजनीतिक नारों की आड़ में जनता को खुश करना चाहेगी और केन्द्रीय सरकार से सारी मांगों की पूर्ति कराना चाहेगी तो क्या आप समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार के लिए ऐसा करना सम्भव होगा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह बात तो आपकी सही है लेकिन हम इस प्रकार की मांग तो पेश करेंगे ही चाहे हमें बाद में कुछ करना पड़े। इस प्रकार के नारे, इस प्रकार के सवाल आज राजनीतिक दल जान बूझ कर उठा रहे हैं, विरोधी दल उठा रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त जी ने कहा कि यह कानून और यह आर्डिनेंस काला कानून है इस बास्ते कि इस में छः महीने की सजा की व्यवस्था की गई है। मैं उन से तथा श्री एस० एम० जोशी जी से बड़े ही विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूँ जो ऐकेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं कि क्या यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार के अन्दर उन दोनों के दल शामिल हैं और यदि शामिल हैं तो क्या उस सरकार ने एक आर्डिनेंस नहीं निकाला था सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए और क्या उसके अन्दर यह व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जायेंगे तो उन्हें तीन वर्ष की सजा दी जाएगी। मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि अगर यह काला कानून है तो वह कानून कौन सा है, उस कानून को क्या संज्ञा दी जा सकती है ?

माननीय श्री कंवर लाल गुप्त जी ने

जुडिशल इनक्वायरी की मांग भी की है। मैं हमेशा से ही इस बात का हामी रहा हूँ कि जब कभी भी आन्दोलन करने वालों के ऊपर लाठी चले या गोली चले और निरीह लोग—मारे जायें, निरीह लोग सताये जायें तो यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसको जांच कराये और जो लोग दोषी पाये जायें उनको उचित सजा दी जाए। दिल्ली की घटनाओं के सम्बन्ध में जुडिशल इनक्वायरी की मांग की गई है। लेकिन आप देखें कि सरकार ने पहले ही डिप्टी कमिश्नर को इनक्वायरी करने के लिए कहा था। उन्होंने इनक्वायरी की और उस इनक्वायरी के आधार पर कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया। उनकी इनक्वायरी के आधार पर एस० पी० को मुअ्तिल किया गया, उनकी इनक्वायरी के आधार पर अतिरिक्त जिलाधीश को स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा और भी आरोप लगाये गये हैं कि कुछ दूसरे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार ने कहा है कि उसकी भी जांच करायेंगे और जांच कराई जा रही है। अगर जुडिशल इनक्वायरी होती, तो अच्छा होता, लेकिन जुडिशल इनक्वायरी से जो परपञ्च सर्व होता, वह इस डिपार्टमेंटल इनक्वायरी से भी पूरा हो गया है। अखिर जुडिशल इनक्वायरी की अवधि में भी कोई अधिकारी मुअ्तिल नहीं होते, अधिक से अधिक उन को ट्रांसफर कर दिया जाता। इस के अतिरिक्त सरकार ने जुडिशल इनक्वायरी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया है। अगर जांच के आधार पर जुडिशल इनक्वायरी की आवश्यकता समझी गई, तो वह की जायेगी।

मध्य प्रदेश में शाहडोल में सरकारी कर्मचारियों पर गोली चली, भोपाल में उन पर लाठी चली। वहां भी इन घटनाओं की जुडिशल इनक्वायरी करने की मांग की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा करने

## [श्री चन्द्रजीत यादव]

से इन्कार कर दिया। इस प्रकार के दो पैमाने और दो स्तर राजनीति में बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं। हमारे देश की जनता जागरूक है और वह इन बातों को अच्छी तरह समझती है। जब देश में एक राजनैतिक संकट हो, उम समय कोरी नारेबाजी के द्वारा देश को बिल्कुल अन्धेरे और बरबादी की तरफ ले जाना बड़ी ज़बर्दस्त भूल है। यह देश का दुर्भाग्य है कि यह भूल उन दलों और ताकतों के द्वारा की जा रही है, जो प्रगतिशील कहलाती हैं और जो जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक दल का नेतृत्व स्वीकार कर के उम के हाथों में खेल रही हैं।

विरोधी दलों की ओर से इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव लाया गया है। यद्यपि पिछले एक साल में कांग्रेस के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, लेकिन जब जनता को इस बारे में अपना मत प्रकट करने का अवसर मिला, तो उम ने इन सब दलों पर, जो जनसंघ के नेतृत्व में खड़े हो गये थे, अपना अविश्वास प्रकट कर दिया। हरियाणा की जनता ने इन दलों पर अविश्वास प्रकट किया। इन दलों की गलत और थोथी नीतियों के कारण केरल की जनता ने वहाँ के म्यूनिसिपल चुनावों में इन पर अविश्वास प्रकट किया। इसी प्रकार मद्रास की जनता ने कांग्रेस के चुनावों में इन दलों की गलत और थोथी नीतियों के कारण इन पर अविश्वास प्रकट किया। राजस्थान और बंगाल के संसदीय उपचुनावों में भी जनता ने इन दलों के प्रति अविश्वास प्रकट किया। जनता ने तो इन दलों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इन की ओर से सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव का नाटक रचा जा रहा है। यह केवल अविश्वास-प्रस्ताव का नाटक है और यह नाटक बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है।

यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों की कुछ समस्याएँ हैं। उन में छोटे कर्मचारियों

की तनख्वाहें काफ़ी नहीं हैं, उन का महंगाई भत्ता काफ़ी नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई उन को कमर को तोड़ रही है। इस स्थिति में वे अपनी तनख्वाह और महंगाई भत्ता बढ़ाने को मांग करते हैं। सरकार अपने सीमित साधनों को देखते हुए तनख्वाह और महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन महंगाई और बढ़ जाती है। देश के सामने यह जो विकट स्थिति पैदा हो गई है, उस में जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों को इस देश के विकास में दिक्कत है—मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग की संख्या बहुत बड़ी है—, वे कोरी नारेबाजी की नीति को छोड़ कर, सब पक्षों के साथ मिल बैठ कर, सहयोग की भावना से इन समस्याओं का हल निकालें। कुछ लोग सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को देश-द्रोही, समाजद्रोही और गलत कह कर टालने की कोशिश करते हैं। मैं इस प्रवृत्ति को घातक समझता हूँ। सरकारी कर्मचारी हमारे अंग हैं, हमारे समाज के अंग हैं, हमारे परिवार के अंग हैं। इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि उन की कठिनाइयाँ और तकलीफें हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश के सामने और भी समस्याएँ और कठिनाइयाँ हैं, जब कि हमारे साधन सीमित हैं।

हम चौथी पंच-वर्षीय योजना बना रहे हैं। हमारे सामने साधनों का संकट है। साधनों के लिए हम दूसरे देशों से मदद लेते हैं और अपनी जनता को भी इस बारे में सहयोग देने और अपनी कमर कसने के लिए प्रेरित करते हैं। एक तरफ़ तो विरोधी दल यह नारा लगाते हैं कि सरकार अमीरों पर कर क्यों नहीं बढ़ाती है, लेकिन जब कांग्रेस सरकारों ने उन लोगों पर टैक्स लगाने का विचार किया, जिन्होंने पिछले बीस सालों में खूब धन-दौलत कमाई है, तो उन्हीं विरोधी दलों ने केवल नारेबाजी के कारण, केवल राजनैतिक कारणों से, उस का भी विरोधी किया।

यह कहा गया है कि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों का बिक्रमाइजेशन हुआ है।

मैंने शुरू में कहा था कि 26 लाख कर्मचारियों में से लगभग 2.40 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था और 8, 10 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जो इन मामलों के शिकार हैं। मैं सरकार से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि वह इसे सम्मान या असम्मान का प्रश्न न बनाये। जिस प्रकार सरकार ने सदैव इन प्रश्नों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और सरकार ने बहुत से लोगों को नौकरी में वापस लिया है—उसी प्रकार इन 8-10 हजार कर्मचारियों के मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और उन को फिर से सेवा का अवसर दिया जाये। सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निर्मंत्रित करे और उन के साथ बैठ कर इन सब प्रश्नों पर विचार करे। गृह-मंत्री ने आफर किया है कि सरकार दूसरी मांग के बारे में उन के साथ बैठ कर विचार करने के लिए तैयार है। जहाँ तक नीड-ब्रेड वेज की पहली मांग का सम्बन्ध है, मार्च तक कमीशन की रिपोर्ट आ जायेगी और एक आधार बनेगा, जिस पर एक-माय बैठ कर विचार किया जा सकता है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि यह अविश्वाम-प्रस्ताव एक कोरी राजनैतिक चाल है। इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि माननीय सदस्य, श्री कंवर लाल गुप्त, का भाषण क्यों बेजान था, क्यों उन की भाषा लचर थी, क्यों वह दिल से नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन का दिल और दिमाग विभाजित था। एक तरफ तो उन के नेता, श्री बलराज मधोक, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल की निन्दा करते हैं और दूसरी तरफ उन के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस का समर्थन करते हैं। उन की पार्टों का जो विभाजित दिल और दिमाग है, उसका प्रतिबिम्ब उन का भाषण था। इस लिए मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री मसानी।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पायंट आफ आर्डर है कि आज हम

अविश्वाम-प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और यह अविश्वाम-प्रस्ताव पूरे मंत्रि-मंडल के खिलाफ है; आप देखें कि यहाँ न तो प्रधान मंत्री हैं और न गृह-मंत्री हैं। आखिर आप इस सदन में कैसी परम्परायें डालना चाहते हैं? क्या प्रधान मंत्री इस अविश्वाम-प्रस्ताव को इतना शैबली ट्रोट करेंगे कि वह सदन में हाजिर होने की भी जरूरत न समझे? मैं किसी के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह तो परम्परा का प्रश्न है। पहले भी यहाँ पर अविश्वाम-प्रस्ताव आये हैं—जवाहरलाल जी के समय भी और उस के बाद भी। हमेशा प्रधान मंत्री यहाँ बँठो रही हैं और सदन की कार्यवाही को सुनती रही हैं। मैं ने सोचा कि शायद वह पांच दस मिनट में आ जायेंगी। लेकिन आप देखें कि पंद्रह मिनट के बाद भी वह नहीं आई हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें इस सदन को इतना शैबली ट्रोट नहीं करना चाहिए। मैं आप के जरिये से सरकार से प्रार्थना करूँगा कि पहले प्रधान मंत्री को बुलाया जाना चाहिए और उस के बाद सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, अन्यथा सारे सदन की प्रतिष्ठा की हानि होगी और यह एक गलत बात होगी। आप इस बारे में अपनी राय दे कर कुछ करें।

THE MINISTER OF PARLIAMEN  
TARY AFFAIRS AND COMMUNICA  
TIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) :  
It is not necessary. (*Interruptions*)

SHRI NAMBIAR : 10,000 employees have either been suspended or charge-sheeted. We want the Home Minister to answer.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What Mr. Gupta has said has been taken note of by the Minister of Parliamentary Affairs and he will convey it to the Prime Minister.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Mr. K. L. Gupta can get his motion adopted. (*Interruptions*)

**श्री कंवरलाल गुप्त :** यह वॉटिंग की बात नहीं है। क्या इस सदन की यही परम्परा रहेगी कि नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर डिसकशन के समय कोई मिनिस्टर सदन में न हो?

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : प्रधान मंत्री को बुलाया जाये, बर्ना कार्यवाही नहीं चलेगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister of Parliamentary Affairs will convey the feelings of the House to the Prime Minister.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : During the debate on the no-confidence motion, both the Prime Minister and the Deputy Prime Minister must be here. Otherwise, it means treating the House with contempt. It is not a question of taking notes. If it were so, why did she come in the morning? Why did the Deputy Prime Minister come in the morning? They must be present now throughout the debate. (*Interruptions*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Either the Prime Minister or the Deputy Prime Minister should be here.

श्री राम सेबक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि डा० राम सुभग सिंह अपने को इन्दिरा गांधी न ममज्ञें।

डा० राम सुभग सिंह : अच्छा आप ही समझिए यादव जी। आप सारी दुनिया को ले लोजिए अपने सिर पर।

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : Now that both sides had their impassioned spokesmen, it is perhaps time that we had a slightly more detached and objective look at the situation that we are discussing. We on these benches find that we are in the face of a clash or a seeming clash between two of the important values in our democracy. The first of these is the right of the worker to deny his labour and the right to strike which are considered to be Fundamental Freedoms which only Fascist and Communist regimes dare to deny. The other value is the maintenance of the social structure. In Britain they say that the Queen's Government must be carried on. In India the President's Government must also be carried on. We have to maintain our social organism in a normal, peaceful way without allowing it to be disrupted in any fashion. In the situation that we have gone through, these two principles clashed and hence all the excitement and discussion.

Now, this morning, we on these benches abstained from associating ourselves with this motion of no-confidence in the Government. I think we owe it to the House to explain why we, with regret, have had to dissociate ourselves as the major Opposition party in this country from other Groups on this side. We did it because of two basic reasons.

One is that we feel that too many motions of no-confidence at the beginning of every session become an empty ritual—an empty ritual that loses much of the spontaneity and the feeling that should be behind it. The result of that, or one of the manifestations of it, was something that irritated my friends quite rightly, namely, the empty Treasury Benches. That itself shows how you can devalue censure motions as you devalue the currency, and we see how the Prime Minister and others are getting accustomed to this. That is one reason why we felt that we would not associate ourselves with this kind of move.

The other was that, although the motion was moved without giving any reasons, we had the benefit of seeing the original motion tabled by the hon. mover of this motion. It had eight grounds and we found ourselves not very happy or in agreement with several of the eight grounds which were found to be very controversial. I think the mover himself said that he would like to focus attention on the events of 19th September. That being the case, we felt that we could not associate ourselves with a motion that sought to condemn the Government for the way they handled that particular situation.

We believe that the strike on the 19th September was unjustified. We believe that it was a political manoeuvre masquerading or camouflaging itself as our industrial dispute....

SHRI NAMBIAR: Absolutely false and irresponsible.

SHRI M. R. MASANI: We say that because once the strike was declared illegal...

SHRI NAMBIAR: You can very well join them and sit on the treasury benches.

SHRI M. R. MASANI: ....there is only one duty for any law-abiding citizen and that is to obey the law. ....

SHRI NAMBIAR: It was a lawless law, a jungle law.

SHRI M. R. MASANI: Therefore, we cannot associate with a violent breach of the law or defiance of the law, once it is the law of the country. The way to deal with the situation was to come to the House and amend the law. That is why, Mr. Deputy-Speaker, we cannot join with these gentlemen. We believe, on the other hand, that this government which is weak, this government that yields to pressure and appeases pressure, for once it did the right thing. For once it showed courage in maintaining law and order....(*interruptions*). We believe that for once they did something on which they had the country behind them....(*interruptions*)

SHRI PILOO MODY (Godhra): Sir, why not keep a little law and order here?

SHRI M. R. MASANI:.....A very reasonable compromise was offered. Some days before the strike took place, a reasonable compromise was offered to the leaders of the strike. Unfortunately, they rejected it. I shall read an article by a veteran trade unionist of this country, a man who has given more of his service to the working class than many of my noisy friends on this side. I am reading an article in *Opinion* by Mr V. B. Karnik....(*interruptions*). He is senior to these gentlemen in his service to the working class of this country and he has served the working class without entering politics. He has this to say:

"The immediate cause of the strike was the refusal of the Government to refer to arbitration one demand, namely, the demand for a need-based minimum wage. The Government had agreed, in the course of the talks that preceded, to negotiate or refer to arbitration all other demands. For example, the All India Railwaymen's Federation had formulated twenty-eight demands. The Railway Board agreed to settle or refer to an *ad hoc* tribunal twenty-seven out of twenty-eight demands, the only exception being the demand for need-based minimum wage which was included in the lists of demands formulated by all organisations. The other Departments and Ministers of the Government adopted a similar attitude. Any reasonable or responsible leadership would have regarded this as a fair

enough compromise and, dropping the idea of the strike, would have begun immediate talks for securing in concrete terms the rest of the demands either through negotiations or through arbitration."

It is for these reasons that we think that the strike was unjustified. It was a politically-motivated strike and the government was perfectly right in dealing with it the way it did.

Now I might be asked: "why should not the demand for a need-based minimum wage be referred to arbitration?" It is a perfectly legitimate question and I think both the Government and those who agree with me have an obligation to explain why the need-based minimum wage cannot be referred to arbitration like any other. Our present plight is such that we are far from being able to meet the needs of our people. We suffer from a bankrupt economy created by the economic policies of a bankrupt government. We are stagnating today....(*interruption*). My logic is this. If we were to pay a need-based wage to any categories of our employees, whether Central, State or otherwise, the already deficit budget would have to be stretched still further and hundreds of crores of rupees of further deficit financing would become necessary, and these gentlemen who join me in shouting against inflation would be creating the very inflation against which we have all resolved to set our face.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Cut dividends.

SHRI M. R. MASANI: Also, it would be a deception of those very people whom these gentlemen profess to serve because by giving them a need-based wage you would be giving them a depreciated rupee, taking away with one hand what you are giving with the other, to the Central Government employees. It would lead to massive deficit financing and inflation which will ruin further the economy of this country. Finally, this is not the proletariat in our country. The Central Government employees are undoubtedly an under-privileged part of our society and should be getting a fair deal but they are by no means the poorest. There are millions of people in this country who would envy the salary or

[Shri M. R. Masani]

wage which the Central Government employee gets today. There are landless rural labourers, there are millions of our small peasant farmers whose standard of living is undoubtedly poorer still. We cannot, therefore, favour a vocal and small minority at the cost of the big majority of our toiling masses.

That is why I welcome the withdrawal of the recognition of the so-called central federation which had been holding the working class till now to ransom. These are small minority groups led by the communists and other politicians who have been enjoying a closed shop and have been denying the masses of Government workers the representation to which they are entitled because a promise was made to these federations that they would have a monopoly of representation. They have been misusing the monopoly all these years and I am very glad that this monopoly has been broken at last.

SHRI UMANATH : What about Tata's monopoly?

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Sir, you should help the speaker.

SHRI M. R. MASANI : I do not need any help.

SHRI NAMBIAR : Bring in the normal situation outside and then normalcy will be here. Cancel victimisation. That is the only remedy for normal conditions in the Lok Sabha. Take it from us. Otherwise you cannot proceed.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : They must stop victimisation of speakers.

SHRI UMANATH : Stop victimisation of workers outside.

SHRI NAMBIAR : There is no mincing of matters. If you want normalcy here, bring normalcy outside. If there is not normalcy outside, there will be no normalcy here. Let them take it from us. We are ready for it. We are game for it. Bring about normalcy outside, then there will be normalcy here; otherwise, everything will be abnormal here in this country.

SHRI PILOO MODY : I hope, you have seen a very good exhibition of it here.

SHRI M. R. MASANI : I have dealt with these gentlemen for 20 years and I can manage them still. I do not mind.... (Interruption).

SHRI J. M. BISWAS (Bankura) : Let him only say when he is joining the Cabinet.

SHRI M. R. MASANI : I am not joining the Cabinet.

Sir, I also want to welcome the announcement by Government.... (Interruption)

SHRI NAMBIAR : You want to bring Indraprastha here. Bring Indraprastha; bring Pathankot. We will face it. We are ready for it.

SHRI PILOO MODY : Sir, you better make up your mind who you want to hear.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nambiar will please keep quiet for the time being.

SHRI M. R. MASANI : Sir, I was going to say that another step on which I congratulate the Government is that they have decided not to recognise unions unless they belong to the employees themselves and exclude outsiders from their leadership. Many of us have been crying for this reform in the trade union structure for ten or twenty years. Political outsiders should be excluded and the union should belong to the workers themselves. I am very glad that the Government has now announced that they will not recognise these unions unless they belong exclusively to the workers.

Let me now come to another side of the scene, certain long-term aspects about this matter which, however, point in another direction.

AN HON. MEMBER : Sir, how long shall we hear this cock-and-bull story?

SHRI M. R. MASANI : The question that arises is as to who is responsible for creating this large army of underpaid civil workers. Who has indulged in Parkinson's Law and created an army of people in the Secretariat and Government establishments who cannot be paid the wage to which they are entitled? It is the Government; it is their policies over the last twenty years that have created a large body of under-employed, underpaid Government employ-

years. For this the Government is squarely responsible. If they had restricted the numbers, if they had shown some consideration for the tax-payer in their Budgets, we would have had a smaller number of Government employees getting a much better wage and they would not have had to face the situation which they have done.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, this should be expunged.

SHRI M. R. MASANI : Similarly, what is responsible for creating a situation where the government of this great country cannot pay its employees what would be considered a decent, humane wage? There again, it is the Government's economic policies which have led this country to stagnation, bankruptcy and collapse which have created this situation. For this the Government must be held squarely responsible.

SHRI S. M. BANERJEE : In the form of a short notice question.

SHRI M. R. MASANI : We have some time to define our attitude to restricting the right of Government employees to strike. As I said earlier, we believe that the right to strike is a Fundamental Freedom. Only the Communists and other enemies of freedom deny that right when they are in government although they may shout themselves hoarse over it now... (*Interruption*). But the question arises in what situation and under what circumstances the right to strike can be denied. Now, it is perfectly clear that the members of the Armed Forces of the country cannot enjoy the right to strike. It is also clear that the members of the police force cannot enjoy the right to strike nor the members of the civil service... (*Interruption*)... who have to carry on the President's administration. But a distinction has to be made between these Government officials and the commercial employees of Government. When the Government becomes an employer, when it starts factories, runs airlines and railways and supplies post and telegraph services, then Government has to behave like an employer and when the Government becomes an employer, it has to behave like a good employer. It cannot talk of its sovereignty. It cannot behave like Louis XIV saying: "L'etat c'est moi" and refuse to submit to arbitra-

tion and say: "If an arbitrator gives an award against me, I will change it to my own convenience." It is, therefore, important that we learn to discriminate between different categories of Government employees. We cannot take away the right to strike of the commercial employees of Government or even others without giving them an alternative redress. What is the alternative [redress to the denial of labour or the right to strike? I suggest that that alternative is the right to the Rule of Law, the right to go to arbitration or to adjudication....

SHRI NAMBIAR : That was not given.

SHRI M. R. MASANI : ...to have a tribunal to which to appeal and to be bound by the verdict of the tribunal even if it goes against Government. My hon. friend says that that was not given. It was given in all cases except in respect of the need-based wage.

SHRI NAMBIAR : Why?

SHRI M. R. MASANI : I will explain it. The need-based wage is not an issue in an industrial dispute... (*interruptions*) I don't yield; I refuse to yield. You can answer me later on. I am saying that the need-based wage cannot be referred to arbitration. You may as well refer the Budget of the country to arbitration; you may as well refer the country's international policy to arbitration. You cannot refer the basic economic and political issues facing this nation to arbitration. Those are political and economic issues which this Parliament and the people of India will decide in a democratic manner. What you can refer to arbitration are specific industrial disputes. It is the specific industrial dispute which is referable to arbitration. Therefore, I say, when we deal with the Bill that will come before us to replace the ordinance that has been passed, we will take our position and we shall discuss the matter in detail and we will see that the right to strike is not taken away unless the right to arbitration and adjudication is given. This is the stand I took in this House on the 8th August, 1960, when I opposed the Bill brought forward by Shri Jawaharlal Nehru and his Government in outlawing the Central Government employees Strike without agreeing to go to an adjudication or arbitration. All these noisy gentlemen then

[Shri M. R. Masani]

supported the amendment which I moved against the Government. (*Interruptions*) They are not going to gag us here. They can do it in Prague if they want to.

There is another topic which I would like to deal with before I conclude, that is, the unfortunate events that happened in the capital, in Indraprastha Estate, to which a reference has been made earlier by Mr. Kanwar Lal Gupta and others.

SHRI NAMBIAR: See the photos.

SHRI M. R. MASANI: I have not to see anything you produce. I have read the documents to the extent they are available. There is no doubt in my mind, on the basis of the Deputy Commissioner's Report and also the Report of the non-official Inquiry Committee to which I shall refer, that there was a gross abuse of authority and there was excessive violence used by the police in that particular incident.

SHRI M.L. SONDHAI: Murder.

SHRI M. R. MASANI: I would first read the conclusions of the Deputy Commissioner's Report.

He says:

"My conclusions are:

- (i) Shri M. K. Kaw and Shri Mohinder Singh did not handle the situation outside 'Y' building tactfully at 1 P.M.
- (ii) It was not necessary for the police to enter the 'Y' building at about 3 P.M.
- (iii) The decision to send the police force inside the building was entirely that of Shri Mohinder Singh and none else, and was taken without any consultation with Shri M. K. Kaw.
- (iv) The above-mentioned decision was taken in disregard of the clear and unequivocal instructions of the IGP and DC given from the former's Control Room and repeated to him by the IDG(R) who was present on the spot.
- (v) The officers and men of the police force had not been told of the objective to be achieved by the entry of the police inside the

building nor were they briefed. The responsibility for the same is also that of Shri Mohinder Singh.

- (vi) The police indulged in unprovoked beating of innocent persons and wanton act of destruction."

There was a non-official Committee that also went into this matter a little later because of the refusal to have a judicial inquiry. The Committee consisted of two members, Mr. Sarjoo Prasad, former Chief Justice of the Rajasthan and Assam High Courts, and Mr. Purshottam Trikram Das, a senior Advocate of the Supreme Court and a Member of the International Commission of Jurists, whom I happen to know over my whole life time as a distinguished lawyer, who believes in the spirit of Rule of Law, who is entirely unconnected with the elements who were behind the strike and who believes that individual liberty is the supreme good. The conclusions to which this Committee has come are, in all respects, the same as those of the D.C. except that they do not agree with the attempt of the other report to exonerate the two senior officials, Mr. Tandon and Mr. Kaw, who happened to be on the spot. They have said that they are not satisfied that the blame can be cast on the junior officers and they believe that these two people also were responsible for what happened and, in fact, they say that Mr. Kaw was actually seen assaulting, innocent people. There is a conflict of findings between these two scrutinising bodies on this particular point as to where the responsibility lies, but both agree that something very horrible happened. In the light of that, the non-official Inquiry Committee has come to the following conclusion :

"We think that the incidents pre-eminently call for a thorough judicial inquiry since they affect certain basic principles of the administration, namely the safety and security of loyal government servants, the control and discipline of the police and the co-ordination and respect which one department of the Government should have for another."

I believe, Mr. Deputy-Speaker, that a judicial inquiry should be used very sparingly like motions of no-confidence and that neither of them should be made cheap,

as the motion today has been made. But there are occasions when, in order to restore public confidence, in order to bring the guilty to book, it becomes necessary that a Tribunal, in whose independence and capacity there should be no doubt, should go into incidents where large numbers of civil servants who were loyally doing their job on a day when they could very well have gone on strike if they had listened to those elements, on such occasions certainly there should be a judicial inquiry. I think Government have blundered egregiously in refusing to face the facts on this matter. I would even now appeal to the Prime Minister and the Home Minister to reconsider this matter. I am speaking as one who supports their handling of the strike, but when they do not agree to have a judicial inquiry into the matter, I feel I must vigorously part company from them and dissociate myself from the stand taken in this matter.

For all the reasons which I have given, we on these Benches will abstain from voting when this motion is put to the vote.

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH (Parbhani):** I rise to oppose the motion moved by Shri Kanwar Lal Gupta, and when I do so, I cannot help myself thinking that I do so out of a deep sense of sympathy for your most unfortunate lot as one of the side effects in the strike situation. The hon. Member, Shri Joshi, who was the leader of the strike, persuaded himself to go on an Indefinite hunger strike and in your very sincere efforts to dissuade him from this step you conveyed to the hon. Member the most sincere feelings and anxiety on behalf of the Home Ministry of the country and you were good enough to convey to him that if Mr. Joshi wanted to fight the Home Minister even on the issue of Central Government employees, he could better do so out of a position of strength—and by strength what he meant was body strength—and, therefore, he should refrain from depleting his energy by going on a course which is the most unfortunate. This was further distorted by Mr. Joshi to the effect that this was a threat from the Home Minister of the country to the leaders of the Central Government employees who persuaded that the Central Government employees to go on a strike.

I think Sir, that it is my unfortunate lot to rise in sympathy for you, Mr. Deputy-Speaker, for the most humanitarian interest that you took, of saving the life of the Hon'ble Member of this House, which was grossly misunderstood, and this factor was one of the important side-effects of the strike situation. I have nothing but sympathy for the Mover of the Motion, Shri Kanwarlal Gupta. As has been rightly stated by my hon. friend opposite, Mr. Masani, this is a ritual which they are bringing forward. It has become a ritual in this House to be faced with this type of motion of no-confidence for anything and everything that happens or does not happen during the intervening period. They think that every Member of the Opposition must have his own pound of flesh, his right to move a no-confidence motion. I am glad that my hon. friend, Shri Kanwarlal Gupta, did get his pound of flesh for having moved this motion of non-confidence against the Government. But, let me remind him, that he did it at a time when Government has come out with flying colours if I may say so, to meet the strike situation, which was thrust upon the Government.

**SHRI UMANATH:** People have been shot down and yet the hon. Member says 'flying colours'.

**SHRI NAMBIAR:** It is a shame.

**SHRI M. L. SONDHAI:** Come to Indraprastha Bhavan....

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH:** I am coming there with you. Mr. Deputy-Speaker, Sir, this situation of what the Government was confronted with was not its making nor its choice.

**SHRI M. L. SONDHAI:** The Police are keeping back the report. Why? Why has the report not been given?

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH:** It was a situation which was nothing but politically motivated.

**SHRI M. L. SONDHAI:** What is politically motivated. It is a shame. Go to the Indraprastha Bhavan. You meet the people there. You do not realise it. There is strong feeling in Delhi and yet the hon. Member says 'flying colours'. This is an obnoxious situation.

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH :** The Mover of the Motion wants the Government to be put in the dock.

**SHRI S. KUNDU (Balasore):** Oppression has been let loose. Even the Police and Government feel sorry for it. The hon. Member stands to say 'flying colours'.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Mr. Kundu, he has the right to express his opinion. It is not fair to interrupt him like this.

**SHRI S. KUNDU:** I wish to convey it to you because you can understand it better.

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH:** The mover of the motion wants to place the Government in the dock, but, if I may say so, the dock is sought to be made out of the bones from the corpses of political ambitions of the opposition. In his idle dream the mover of the motion thought that the communist and SSP led leadership of this country which wants to use this weapon of strike would be able to create a situation of crisis in the country which would be ripe for a revolution. They thought that it will lead to revolution. But I am glad that Government had emerged successful out of this situation. The mover of the motion thought that his party would be born in the annals of trade union and that he would emerge as a leader of the trade union movement in the country. I am only sorry that neither the SSP-Communist-led hopes of revolution and crisis succeeded nor the hopes of the Mover of the motion that his party would get the chance of their life to move into the trade union movement if the so-called trade unions that went on strike were debarred and derecognised as a result of going on illegal strike. Therefore, I stand to oppose this motion and I do so out of sympathy for the Mover of the motion.

The mover of the motion was very emphatic to say that this Government had been in power for twenty long years and that in no other country of the world had the government been in power for so long. But he forgets that there are many countries where many Governments have lasted more than twenty years, in fact, for many more years than twenty. For instance, recently I had been to Sweden. There not only has one Government led by the Labour Party been in power for the last so many

years, but my hon. friend should appreciate this fact that Sweden is a country where there has not been a single strike for the last thirty-six years. Therefore, it is not only in the Fascist and Communist countries.. (Interruptions)

**MR DEPUTY-SPEAKER :** If this kind of interruption continues from the side of the Opposition, then when their Members speak if there is reaction from the Congress side, I shall be helpless. So, let there be no interruptions now.

**SHRI UMANATH:** He is just echoing Shri M. R. Masani's words.

**SHRI M. L. SONDHI:** What about the lathi-charge and tear-gassing? Where else does it take place?

**SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH :** The right to move a motion of no-confidence is not the only weapon that is sought to be resorted to, but they are resorting to repeated and uncalled-for use of these illegal strikes; even the right to strike, I submit, has always been misused and misused out of political motivation in this country. There has not been a single strike in this country which had arisen out of a sheer concern for the welfare of the labourers in this country. Everywhere, we find that those politicians who have nothing else to do go on asking the labourers to go on strike and go on raising the pitch of emotions to a height at which they think they can be persuaded to go on strike for illusory gains or for impossible aims, if I may say so.

When the joint consultative machinery was thought of on the pattern of the Whitley Councils, we hoped that in this country we would be able to get rid of strikes once and for all so that there could an atmosphere conducive to the welfare of the labour in this country. But I am sorry to say that even the joint consultative machinery has been misused. When the joint consultative machinery was called upon to consider and negotiate on certain demands of the workers, we find that those demands which had basically to do with the fundamental economic policies of this country and which were bound to affect the very superstructure of the economic working of this country were sought to be referred to arbitration. One individual, howsoever high, one individual howsoever wise, and one individual, howsoever impartial he may be cannot

be assigned the task of changing the entire thinking on the economic policies of this country. I am sure that you will agree with me that if there is any aspect which cannot be referred to arbitration, it is this idea and concept of a need-based minimum wage. We who have put before us the ideal of a welfare State and the creation of a democratic and socialist society based on equality and justice feel that the question of need-based minimum wage should not be made the purview of any employee or any labourers alone, but it should be the purview of every citizen of this country, every family in this country, and we can only consider this if we are in a position to satisfy the minimum needs of the large masses of the people. There cannot be any two opinions on this that no Government worth its salt can have the right to exist if it is not in a position to create conditions where the minimum needs of the people would be satisfied. We cannot call ourselves a democratic and socialist State if we are not in a position to fulfil this elementary obligation of Government. Therefore, we have nothing but sympathy for the demands of the employees when there is the demand for a need-based minimum wage. If at all we differ, we differ only on this, namely what the machinery should be for achieving this need-based minimum wage. If at all we differ on this, we differ on how to give the same facilities and the same privileges to the largest number of unorganised agricultural labourers and to the largest number of agriculturist families in this country.....

SHRI UMANATH: The largest number of benefits to Tatas and Birlas.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : .....and to nearly 80 per cent of the people of this country.

If at all any proof is required of the fact that the so-called token strike was politically motivated, it is this namely that the strike had nowhere the sympathy of the common man in this country.

SHRI UMANATH: Why was the ordinance issued?

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: If there has been any strike which has been the most glaring failure, it is this strike. In all cases where any strike leads to a

glaring failure, that is sought to be made up by the creation of noise. But I submit that: no volume of noise and no amount of shouting can hide this fact from the common masses of this country that the strike had been a big failure.

Only 9 per cent of the total Government employees had gone on strike. Out of this 9 per cent, 50 per cent consisted of the P & T employees. There also, the so-called National Federation of P & T Employees gave a call to go on strike not in fulfilment of any of their demands but in sympathy with the demands of their brother employees in the Central Government. Not only did they threaten with a token strike even before in May, but the P & T employees threatened that they would go on an indefinite strike towards the end of December.

SHRI S. M. BANERJEE: On a point of order.....

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: The token strike was a sort of trail. Since the Government have come out successful, we have every right to congratulate them..

SHRI S. M. BANERJEE: On a point of order. We have a convention in this House that those people who are not present in the House should not be referred to here. I would point out that the National Federation of P & T Employees did not give any call for an indefinite strike. I am one of the office-bearers and I can say this definitely. The general secretary or the president of the federation also has denied this.... (*Interruptions*).

DR. SUSHILA NAYAR *rose*—

SHRI S. M. BANERJEE: Let her hold her patience. We are not discussing prohibition now.

The hon. Member is making a definite statement on the floor of the House. I think he is a responsible Member of this House, but the statement he has made is irresponsible. I would request you to see that such irresponsible statements are not made about those people who cannot possibly come here to defend themselves. I throw a challenge to my hon. friend. They never gave any call for an indefinite strike. It is factually wrong to say that they gave a call for an indefinite strike. He is trying to

[Shri S. M. Banerjee]

malign one of the biggest federations of employees in this country.....

MR DEPUTY-SPEAKER : If the hon. Member's statement was not correct, the hon. Member could correct it later on. This is not a point of order.

SHRI S. M. BANERJEE: How am I to correct it except by pointing it out to you?

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: For the benefit of hon. friend I may read out and extract from the resolution adopted by the All India Railwaymen's Federation at Hardwar on 25th, 26th and 27th May, 1968. That resolution.....

SOME HON. MEMBERS : That relates to Railwaymen's Federation and not the federation of P & T employees.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: .....That resolution called for a token strike for 48 hours from 11th September and for a general strike from 31st December, 1968 if the token strike does not persuade the Government to concede their demands.

So far as the P & T Employees are concerned, I shall point out this. I am referring to the journal of the National Federation of Posts and Telegraph Employees, entitled *The P & T Labour*.

"In the May issue of *P & T Labour*, an editorial came out with headline 'Strike Action' and referred to the All India Railwaymen's Federation having called for a strike ballot for a token strike for 48 hours from 11th September and for an indefinite strike from 31st December. It went on to instigate: Thus, a very serious situation is emerging. The Government guided by Shri Morarji Desai's philosophy are forcing the Central Government employees to take to nation-wide industrial action again. The P & T workers have always stood in the forefront of a nationwide strike action to win common demands of all Central Government employees, including railwaymen".

The point that I am driving out is that the P & T employees went on strike not in fulfilment of their demands and not in redressal of their own grievances, but out of the mistaken notion that if they went on

an indefinite strike the demands of all the other workers would be conceded by Government. If there are any examples of misguiding the loyal workers, there cannot be any other example than this.

Therefore, I say that the politically high hopes of those who stood behind the strike are today in the dust and they are in the dust not because we have been firm and tactful, in fact, not only because we have been firm and tactful but because their demands are unjustified. Further, they had no standing in the country because they had no trade union worth the name which was dedicated or publicly devoted to the cause of labour. They have mishandled the labour unions and misorganised them. They have reduced them to the level of a political weapon in the hands of the Opposition to be used against the government of the day, not with a view to concede the demands of labour but with a view to fulfil their own anti-social dreams. Therefore, I am glad that Government did not yield.

15 hrs.

When the strike was imminent, we in the Congress Party sat with our own trade union members for days together to think over the situation and we for the first time were in a position to show to the people of the country that 90 per cent of the employees of Government are loyal to them..... (*Interruptions*).

SHRI UMANATH: If 90 per cent was against the strike, then why the Ordinance banning the strike itself?

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: They have been able to show to the country that these employees are loyal because they are organised on the most nationalist and idealistic lines, I mean the Indian National Trade Union Congress. The leadership of INTUC has been able to show to the country that 90 per cent of the employees of Government are loyal to Government.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has he no right to argue his case his own way .

SHRI J. M. BISWAS : Ladies were beaten up and tortured by the police. Is this the way of showing loyalty? (*Interruptions*).

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH:** To those who claim that the strike had been successful, I would say that apart from the 5 per cent employees who were on strike who belonged to the P & T Union, the rest of the strike was confined only to two departments of Government, the Railways in which some 25,000 people took part and the office of the C. & A. G. where just over 20,000 employees went on strike. If we leave out these two departments, we find that the defence employees of the country stood solidly behind the Government under the organisation of the INTUC union producing much-needed equipment needed by the defence services. In these days of emergency, not a single hour was lost in equipping our armed forces with their requirements. I am glad that the INTUC has played an intrinsically national role in persuading the national and loyal workers to continue production interrupted.

Even in the ordnance factories, not more than 20,000 were affected by the the strike out of the 2,40,000 who went on strike out of the 26 lakh government employees. Out of those who went on strike, the number of those against whom action was taken by Government is hardly 10,000. Out of these, 3,000 are temporary employees. As for those involved who are in the permanent category, actually prosecutions are pending against them. While these prosecutions are pending, no Government which is duty-bound to uphold and protect law and order can take them back in employment until and unless they are acquitted in courts. If they are cleared of the charges levelled against them, nobody would be better pleased than Government to take them back in service.

Therefore, out of these so-called large number of employees, hardly 3,000 are the sufferers out of the misguided enthusiasm implanted in them by the members of the opposition for their own ends. Therefore, I must put on record here that the Government in acting as they did in dealing with the strike situation, did so out of the most humanitarian considerations. What can be more humanitarian on the part of Government in acting in the interest of justice to the most loyal workers of the Government who constitute 91 per cent of the total number of employees? If Government had

taken the strikers back into service without any blemish, it would have constituted an injustice to the loyal employees who refrained from joining the strike. Therefore, it cannot be expected that a Government which is democratically elected should not do justice to these employees who have been loyal to them.

Coming to my hon. friend, Shri M. L. Sondhi, I would say that in India he constitutes today the largest single human explosive with his short-temper and other characteristics. If at all there is any one individual responsible for what happened in Indraprastha Estate, he can be no other than.....(*interruptions*).

**SHRI M. L. SONDHI:** I can welcome it if he has a sense of humour, but he has not.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** He has a right to say what he has to say.

**SHRI M. L. SONDHI:** It is misuse of language. It is possible to be ironic, to be humourous, but do you realise he is insulting all the Treasury Benches, he is making a statement which does not have even a vestige of humour in it. What is he saying? If there is humour or irony, I can understand, but it is sheer response at an animal level. I hope this House will not allow it.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** You have no right to criticize another member's speech whether it contains humour or not. The only point is whether he is relevant. He is quite relevant and within his rights. If there is no humour, what can we do?

**SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH :** Since they are bound by the rules of Parliamentary Procedure, we plead with you to come to our aid to find out suitable means to take suitable action against the hon. Member of this House who having created an explosive situation in Indraprastha Estate, did not have the courage to stand there but ran away like a mouse.

**SHRI UMANATH:** What action? We do not care what action you take. When people have died facing your bullets, we are not afraid of your action here. You are

[Shri Umanath]

showing your *danda* here also. Bring your C.R.P. men. You are threatening us here. He was correct when he said it is animal level. He has confirmed it. Why did you object to that?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If this side is going to express opinions on the speeches from the other side, they will also have that right.

SHRI UMANATH: He is asking you to take action against us because, according to him, we created an explosive situation. Is it not animal level? I say it is pig level, not even animal level.

DR. SUSHILA NAYAR: On a point of order. To call another hon. Member of this House a pig is certainly unparliamentary and should be withdrawn.

MR. DEPUTY SPEAKER: There are rules. If it is unparliamentary, I will consider it. But what he has said as animal level or pig level was with reference to the speech. I just cautioned him not to use such expressions. Was he not within his rights to say that Government would have been justified in taking action. He is within his rights.

DR. SUSHILA NAYAR: You will give your ruling afterwards, but, in the meanwhile, the Press will report.

MR. DEPUTY-SPEAKER: According to the Rules I have to act. What can I do about it? Under the Rules I will look into it and see in what context he has said it and I will consider this.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: Even for a moment if we want to condone the exercise in which the Police indulged in the Indraprastha Bhavan, we are not only sorry for it. (*Interruptions*). We thought duty bound to take action, and action has been taken. The people who were primarily responsible have been suspended. The Deputy Commissioner had gone into the matter to see which other persons are responsible to what has happened. Very soon he will be giving a report. If I may say so, the Government will take the most stringent action that is possible against those persons who are responsible for the incidents.

Coming to the ordinance, the ordinance was sought to be passed not to stifle labour unions. It is for preventing those who want to completely paralyse the national life of the country. We thought that the ordinance is required and it is to assure the people of this country that Government is doing its best. . . . (*Interruptions*) Government want to declare every strike illegal which is politically motivated and which has nothing to do with labour welfare. Therefore, Sir even the ordinance does not declare any strike *per se* illegal. It only confers on the Government a right to declare illegal a strike which is politically motivated and that right has been given in many other democratic countries also where democratic system still exists and we cannot be accused of either being communist or fascist.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. (*Interruptions*)

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: It is there in Canada, Ceylon, Japan, Norway, Philippines, Switzerland. . . (*Interruptions*) All the national legislatures of these countries have passed legislation empowering the Government of the day to declare any strike illegal which is politically motivated. Therefore, if at all, I congratulate the Government and I particularly congratulate the hon Home Minister who not only met the situation . . . (*Interruptions*)

SHRI S. A. DANGE *rose* (*Interruptions*)

SHRI NAMBIAR: You shot people, lathi-charged and dismissed the employees and you come here and talk nonsense. What justification have you got? We are rightly angry.

SHRI SHEO NARAIN: *rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not take the time of the House.

SHRI S. A. DANGE (Bombay Central South): Many questions have been raised during the debate and not much clarification is available on some of the questions. Clarifications are not available from the Treasury Benches because they do not know the problem. The first question asked is: Why are we moving a censure motion at every session? The reason is that between two sessions sins go on accumulating. Therefore, the Government deserve a censure motion at each session. For

example we adjourned last time in June or so and there was this wonderful one day in September (*Interruptions*). I accept the correction. I do not mind.

There was that one day in September which is an outstanding date in the movement of democracy. Things have so happened that even the Government of India had to admit that its police force went out of control. Indraprastha is a permanent black-spot on the face of democracy as run by this Government. Even there, they took that step of inquiry, not because one ordinary man, Arjan Singh was killed but because many high-placed officers were beaten and they were of such a high status that they could determine the status of many ministers also if they revolted. Therefore, a quick enquiry was ordered, a quick compensation was ordered. I do not grudge the compensation, but the alacrity with which it was done does not show the awareness of the Government to atrocities but the awareness of the Government to the revolt in the higher echelons of the service under them. Therefore, they cannot take credit for whatever compensation they have given in the case of Indraprastha or whatever enquiry they have made; because, a woman was shot and a bullet went through her neck in Pathankot but there has not been any proper enquiry nor a proper compensation. Six people have died there and there also no proper enquiry has been made. An enquiry officer was appointed there. I have visited Pathankot; I have visited Indraprastha; I have seen these things. The officer who ordered the fining was a senior officer, and the man who was to make the enquiry was a junior officer. And that officer talked to me, is a young man; he is not yet at the pensionable age so as to be cautious not to talk. Therefore he said, "You can undersand; when a junior is to enquire against me, then what the relations will be, you can judge for yourself." So, let us not pay much attention to these enquiries. So, I straightway go to one or two important questions.

It is said that it was a political strike. Did the workers negotiate or not? Did the recognised unions spend months after month arguing about the demand and their case or not? They did. If it were a political strike, then we politicians on this side would have come out of the negotiations on the first day after presenting the demands. M51LSS/68—10

We did not do that. We, till the last date, tried to being about a settlement and let me tell you the difference between the 1957 negotiations—perhaps you know some of them—and the 1968 negotiations. We were arguing with Pandit Jawahar Lal Nehru till six hours before the set time of the strike. Myself and Shri Nath Pai were on the phone with Panditji constantly and he said, "let me see if anything can be done, and just four hours before the strike time, a compromise was reached, a Pay Commission was appointed, and the strike was averted. When were the negotiations closed under this Government? Before anything could be concluded, the Government on this occasion have taken a decision: no concession; nothing of the kind, no Pay Commission: if you like, the dearness allowance questions may be considered, but the question of need-based minimum wage will not be considered. And when I tried on the last day, myself, to find out some solution, I was told that the thing is finally closed. Well, that was the way in which negotiations were dealt with. You know negotiations were made last year on the dearness allowance question, and 11th September was the date fixed for the strike. Then, fortunately or unfortunately the Deputy Prime Minister went out of the country, and a settlement was easily made, which could not be upset perhaps after his arrival. I do not want to go into the intricacies of the Cabinet decision. That is your affair. But in any case, what we were told was that the Deputy Prime Minister was firmly determined not to give dearness allowance because his budget will be upset; the same budget which would perhaps be upset by the need-based minimum demand was said to be upset by the dearness allowance which had been awarded by the Gajendragadkar Commission. But ultimately the dearness allowance was given. And till now, I have not heard that Shri Morarji Desai has gone bankrupt. I mean as the Deputy Prime Minister and Finance Minister. We tried negotiations. Therefore, it was not a politically motivated strike.

How do you characterise it to be a political strike, when demands are presented by recognised unions? Just because political parties support them? Please then have a convention that when a demand is presented by Government employees, no political party will issue any statement—neither the

[Shri S. A. Dange]

Congress nor other parties—and then alone the demands will be conceded, because only then they will cease to have the character of politics. But you know everything in this country is political. Do you mean to say that by stopping a train for 24 hours, we could have overthrown your Government? Normally the trains come 36 hours late and the Government is not overthrown. So, I cannot understand how the Government could have been overthrown by stopping a train for 24 hours. It shows you have a very poor conception of the strength of the Government, your stability and your force to survive shocks. The token strike was made political by you, by the Government, not by the trade unions. The trade unions negotiated till the last minute. The record is available.

Negotiations were refused, not six hours before like Panditji, but even six days before. Then it became clear that Government of India has a new policy with regard to strikes and wages, that every wage demand shall be determinedly suppressed and no concessions will be given. First they did it in the journalists' strike. Last year they tried a little about the DA, but did not succeed. Now they have done it with the 19th September strike. If you have changed the policy into one of not conceding the demands, we as political parties and trade union leaders, have to intervene in the situation, advise the workers and lead the struggle. What other way have you left? Therefore, it was not a politically motivated strike at all.

They say, if a need-based minimum wage is given, in the conditions of the economy today, it will make every economic sphere completely bankrupt. Secondly they say, they have no capacity to pay and if they pay need-based minimum wage, there will be inflation, prices will rise and therefore, the need-based minimum wage will cease to be need-based altogether. This is the theory in economics which says that need-based minimum wage is incompatible with the existence not only of the Government but with the existence of this country's economy as a national economy. How far have we studied this problem? This is not a problem for study here. Sometimes even a person like Mr. Chavan betrays ignorance of what really is the position. When I said that

need-based minimum wage is not before the National Labour Commission, Mr Chavan said, no; it is there. He produced a fictitious letter with the help of an ICS officer. An amiable ex-Chief Justice of the Supreme Court, who is the Chairman of the Commission, wrote a letter. Even there, Mr Chavan will note, he has not accepted that this question is before the Commission. even that letter, which was produced in order to use the name of Mr Gajendragadkar and the National Labour Commission to sidetrack the question and gain public sympathy, does not support you. Please produce it and put it before the House. There is no reference to need-based minimum wage in the terms of reference of the National Labour Commission. You will credit me with that much knowledge because I have been on the commission for a long time. Only when the questionnaire was being framed, it was suggested that while discussing minimum wages and rates, a question about need-based minimum wage also can be asked. Therefore, it is not in the terms of reference. The Commission would be perfectly entitled to say, we do not wish to give any opinion about it, because it is not in the terms of reference. Why did you humbug the people about it and put it on the radio that this matter was before the National Labour Commission. that you are waiting for their verdict and therefore the demand of the workers is unreasonable?

And because they do not want to wait for the verdict of National Commission. Were we assured of that? You should have produced a statement from the Commission saying: "Yes, we are seized of the question and we are going to give our opinion". Why did you not do it? The letter they wrote to you was only that an Economic Secretaries meeting was going to take place in October and for that meeting they would require a memorandum from you and that memorandum should consider the question of wages because that will also reflect on the question of the national minimum. This is the round-about, involved style of all ICS officers escaping liability and commitment.

Why was this done? All the time the All India Radio was shouting that you are unreasonable because it was referred to the Commission. The Commission's meeting

was on the 10th September. I was there on the 10th. I asked the Chairman: "Please say that this is before you as a term of reference and that you are going to decide about it". He did not say. I asked the other members: "Please say that this is one of the terms of reference and you are going to pronounce on this". They said, "we cannot say". I said: "You issue a statement that the statement made by the Home Minister is not a correct statement based on facts". They said: "Well Mr. Dange, you know we cannot do that". Then I said: "In that case, I as a member of the Commission, am going to refute that statement" and I did that. When a Commission was being given a big status was being made a tool of certain policies of the Government for the time being, then it is below the dignity of the trade union leader and the trade union representative to remain on such commission if he has no weight enough to change that position. I accept that I have no weight. In any case I thought I should not be a member on such a Commission. Though the question was not referred to it, the Commission became a tool of the Government policy to meet certain of its immediate needs. Therefore it was below the dignity of the Commission. Not only that, it was below the dignity of the Home Minister to sidetrack the Commission and refuse to take all the responsibility on himself. In this particular case, I will admire Shri Morarji Desai. This convention, gentlemen you must know, is a tripartite convention. It was passed in 1957. Government agreed to the convention. Employers including the Masanis and bankers agreed to the convention. We, trade unions, agreed to the convention. This is a convention not made by political parties. This is a convention unanimously adopted by the employers, Governments including State Governments and Central Government, and trade unions who were in that tripartite conference. Therefore, do not think we are bringing forward the need-based slogan on our own because of political motives. But within some months, the first shot was fired against that convention by Shri Morarji Desai. When the Second Pay Commission was appointed and when the Government was asked: "What is your opinion about need-based minimum?" Shri Morarji Desai, the Finance Minister replied: "We are not bound by it. We are

not bound to take executive action just because the tripartite has passed a convention". He did not have the courtesy even to say: "Yes, the convention is there. Since the Government has agreed to it as a party, we will try to translate it into practice as far as we can". He said: "No, we are not bound by it". The first murder of that convention was made by Shri Morarji Desai when his office wrote to the Second Pay Commission. Then employers also said: "If the Government are not doing it, we are not doing it". It is only we who stick to the convention. Need-based convention is a convention which guarantees at least some status to a starving worker so that he can go and tell his employer that any wage below a certain level is a starving wage. What is the convention trying to do? It tells the country, you and the Government that any wage below that is starving wage. But I must tell you that the emphasis in the demand was not politically motivated. If politics was there, why was the tripartite convention in which the Government of India, State Governments and the employers were there agreed to? If you want to blow it up, pleased do. But do it in a straightforward way. Do not hide behind some body or hide behind the Commission or politics.

Therefore, the governments argument on this Convention is a very faulty argument. The convention was really the product of the sustained effort of Shri Gulzarilal Nanda; I must say that to his credit though he is on the Congress bench. The employers put every kind of difficulty but he stuck to it, and said "you may not translate it in practice but I must have some kind of convention; in fact, you may every time say that you cannot give that wage, because of certain reasons but let there be some admission of a principle". So, for the first time in the history of this country a principle on wages was accepted in 1957 and, being afraid of a principle, the Deputy Prime Minister rejected that principle within two years of adoption of that principle. And within ten years of it here are people shooting down workers because they stuck to principle. If you have accepted the convention, please tell us why it cannot be translated into practice. You could have accepted the demand and said: this is the reason, this is the cost, we cannot bear it-

[Shri A. S. Dange]

You could have said it. You could have sent it for arbitration. The principle which you killed and by which the whole Congress Party stood, is Gandhism which swears by arbitration.....

SHRI M. L. SONDHI : Indraprastha was their way of celebrating Gandhi Centenary here!

SHRI S. A. DANGE : You say : national minimum wage cannot be sent to arbitration, everything else can be. Why ? Because, it is like sending the budget to arbitration. What a fantastic statement ? Was not the dearness allowance issue referred to Mr. Gajendragadkar ? When he made a report and when he reduced even the neutralisation to 60 per cent, you first objected to it, then accepted it and then paid it. What was the Gajendragadkar Commission's Report, if it was not arbitration on the budget ? On dearness allowance you accepted it and, therefore, you had to pay Rs. 30 crores now. If by the backdoor you could send that budget, that section of the budget, to the verdict of the Gajendragadkar Commission on dearness allowance, what prevented you from sending the need-based minimum wage also that way ? So, there must be some reason behind it. The reason behind is that you do not want to attack monopoly profits. You will ask why ? I will show you just in a few sentences why it is so.

It is being argued that a need-based minimum convention cannot be translated into practice. I want to tell you that you have accepted in the Constitution in article 39 that everyone shall get an adequate living, and adequate living is nowhere defined. In article 43, in Directive Principles of State Policy, you have committed yourself to secure a living wage but nowhere is it quantified. Nowhere is a time-limit given for it like the one on the question of language. But, then, how could the economy progress in a democratic country at the hands of a government which swears by socialism, except by a larger and larger share of the product produced in the country going to the producers and less and less to those who own the means of production and use them against the country and against the workers ? Should that be accepted as a principle or not ? Otherwise, how can adequate living come ? Because, you must know that the

framers of the Constitution were very clever people and also very good people. They put in article 39(a), adequate living, along with article 39(b) and (c) so that property shall not concentrate in the hands of a few persons to the detriment of the community. Why were (a), (b) and (c) tied together ? There was some sense in it, though perhaps sometimes the sense is not easily seen. The sense was that the more the concentration of property the more impossible it becomes to get an adequate living wage. If you want an adequate living wage then the concentration of property must stop. This is the scheme tied up in that. That is why they put adequacy in (a) and concentration of property in (b) and (c) and (d) etc.

Therefore, I was putting on the pedestal of the Constitution as a man authorised by the Constitution, by its democratic concept, its concept of adequate living, the fundamental right of an adequate living and, later on, a living wage. Adequate living was given in article 39(a), tied up with the denunciation of monopoly and living wage was given in article 43, after adequacy is attained. Because, living wage cannot be immediately attainable in any economy anywhere. Now, when I was asking for a need-based minimum I was just asking for an adequate living.

Then, some people say the Prime Minister made a statement that a few cannot be given at the expense of many. Does the Constitution envisage that adequate living shall come simultaneously to every citizen on the same day ? If it is so, will the ministers surrender their salaries which are above the adequate living ?

AN HON. MEMBER : That they would not do.

SHRI S. A. DANGE : If it is to be simultaneously done, will the directors be stopped from getting Rs. 3 lakhs a year as directors' fees, according to the Company Law Report, because that is above the adequate living and everyone must get simultaneously adequate living ?

Therefore you accept unequal wages; you accept the principle of unequal incomes; you have even accepted the principles of *growth*. You know, in 1950

Pandit Jawaharlal Nehru himself said when we raised this question here :—

"It is said that the national income over the first and second plans has gone up by 42 per cent and the *per capita* income by 20 per cent. Now a legitimate query is made, where has this gone?"

That is the legitimate query that the working class and all the producers, including landless labour and peasants, are making. Where has this gone ?

SHRI PILOO MODY : 75 houses.

SHRI S. A. DANGE : Yes. Thank you for reminding me of your own.

SHRI PILOO MODY : Now it is 76.

SHRI S. A. DANGE : Where was it going ? Nehru was really worried about it and he said that something should be done about it. It was in the context of the demands put forward by the trade unions. He said that he knew that some people had benefited. But what could he do surrounded as he was by all the gentry that he had with him in the Cabinet? So he said, "Let us appoint a committee." A committee was appointed and the Monopolies Commission came into existence. A Monopolies Bill is coming and monopolies are growing day by day.

Now comes the last question on this point. Have you got the capacity ? Two very good amiable speakers made a point that by our demand we are ruining the national economy and that everybody cannot be given the need-based minimum wage. Do you know that certain sectors of industries are already paying the need-based minimum wage ? Has the national economy gone wrong ? Has their own economy gone wrong ?

SHRI PILOO MODY : That is private enterprise.

SHRI S. A. DANGE : Private or State, I am just now concerned with the national economy. In the national economy there are certain firms which are making tremendous profits, super-profits, immoral profits, undemocratic profits, profits that ought to be stopped but are not being stopped by the ruling class here. In those industries we have fought and have won minimum wages

which are not below the need-based minimum. It is not the generosity of those gentlemen who own those houses that has given us this need-based minimum there. Do you know this ? And people go on talking that the need-based minimum must be compatible with the national economy ? The national economy is paying it in several sectors. The pharmaceutical industry with the highest rate of profits, making money at your and my cost of injections, has been forced last year to a wage rate which is a need-based minimum wage. In some engineering industries we have forced them to pay a need-based minimum wage in the wages system. If you like, I can invite you at any time, not here, to get those rates and study how in industry after industry, when productivity is rising and the workers are fighting, the need-based minimum wage has been obtained. Therefore your theory that it cannot be given, that the economy will go wrong, is not right. Not even the economy of a company is going wrong, what of the Government. Government has got tremendous resources.

Therefore my first point on this is that the need-based minimum wage is a convention that the workers are forcing certain capitalists to carry out in practice by their action. Therefore we ask the Government of India that you, as the biggest employer in this country, can also afford to pay the need-based wage.

Where does the need-based minimum come from ? Some people have an idea of the capacity to pay. Gentlemen, please remember, when a capitalist comes into the market with a bit of capital, he does not come first with the idea of the capacity to pay the wages. Shri Piloo Mody is an expert on that and he should tell us.

SHRI PILOO MODY : If you will yield, I will.

SHRI S. A. DANGE : Later on. You will have your chance, if you like.

The capacity to pay is never the standard, to pay wages, of any capitalist when he starts an industry. I was having a small talk with certain industrialists.

Some of you people do not know how they come into the market. They study the

[Shri S. A. Dange] market. Somewhere they find the rate of profit to be 20, somewhere 30 and somewhere 50. They try to cash on it and come with their accumulated capital, reserves or something—Rs. 5 crores or Rs. 10 crores—and put it in so much machinery, so much raw material and go on hunting for the worker, at what rate they can buy the labour power. Then they calculate that if the labour power is purchased at Rs. 10 a day, their rate of profit will go down from Rs. 50 to Rs. 30. So, they reduce the rate. So, the capacity to pay is really the capacity to earn the highest rate of profit. And we change that rate up by bargaining, by organising ourselves and by strikes. So, the capacity to strike determines the capacity to pay on the part of the employer. The capacity to pay is not an abstract, unbreakable, inviolable, principle like the *Parabrahm* in Hindu philosophy. It is a determinable thing determined by the rate of profit and the capacity of the worker to bargain and strike for it.

Here, you hear all sorts of arguments. Who have the capacity to pay? What is the capacity to pay? Even the Government of India had no capacity to pay dearness allowance recommended by the Gajendragadkar Commission last year, on 11th September. Where did the capacity to pay come from? It came because we said, "No. If you do not pay, we are going to strike." At that time they did not want a strike. Therefore, the capacity to pay came.

Now, I do not take my wage from your pocket. It is simple economics. There is in the Government of India a publication called "Census of Industries". It has got columns of wages and salaries, depreciation, raw materials and value added by manufacture. My workers are ignorant about this. I am sorry I do admit we workers are not as learned as we should be to meet your arguments. (*Interruption*). I do not want to call you ignorant. I will never commit such a sin. There is a column here "value added by manufacture". Let me give an example. In the electrical engineering industry, the average earning per worker, in 1963, was Rs. 1,382 which has nothing to do with agricultural wage at all. It is hundred times more than agricultural wage. In that industry, when you paid me Rs. 1,382 in a year, I added the value equal

to Rs. 3,904. These are your statistics. The ratio is 1:3. You pay me about Rs. 1,300 and I give you about Rs. 3,900. Then I come and say, "Please give me need-based wage." If this wage of Rs. 1,300 is 50 per cent of the need-based minimum, you double it and make it Rs. 2,600. Even then, Rs. 1,300 are left with you as the value added by me. Am I demanding it as generosity? Am I demanding as somebody else's profit? Am I demanding as a favour? No. I ask from the value added by me.

Then, the Draft Fourth Plan has produced a table giving the value added by manufacture. From 1950-51 to 1965-66, the Draft Report says, the amount of Rs. 384 crores as value added has risen to Rs. 1,434 crores—this value added by manufacture is in constant prices. I am asking a share of what I produce; I am asking a share of what I added to value, keeping the machinery, raw materials intact. It is paid for. I am demanding my need-based minimum from what remains with you as my addition. Am I committing a sin? Am I committing a wrong in economy? Am I putting the nation's economy in danger if I take out Rs. 1,300 and leave Rs. 3,900 with you and come to say, "Please raise it by Rs. 600 or so"? It may endanger the rate of super-profit. Giving these arguments, wittingly or unwittingly, you are siding with the super-profit rate-walas and their concentration of monopoly and, thereby, you are violating a convention, the norms, that you agreed to in Articles 39(a) and 43. Therefore, this is going wrong from year to year, month to month and day to day and what should we do if not move a censure resolution to show a little bit at least of what you are doing and how you are managing the economy? Now, take this budget.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry to interrupt the hon. Member. He may please try to conclude.

SHRI S. A. DANGE: I will just finish. Now, take this Budget. Do you think that we wanted to upset the budget by the need-based minimum demand and D.A. and thereby make you bankrupt and create a revolution? No revolutions are created like that in any country in the world. If at all such is the logic, then your devaluation measure was enough to create a revolution in the country. Yet, in spite of agreeing to go bankrupt at the best and dictates of the

World Bank and to devalue the rupee, you have survived. So, that is not the idea at all. Then what was the idea? The idea was this. We were translating a democratic demand into practice and then how did you react to it?

The other day many of your leaders went to Goa. Goa is a wet country and I am glad to see that all of you returned completely dry... (*Interruptions*). May be, that Goa was also left dry by you. There, on the eve of that meeting, the Deputy Prime Minister made a statement that he was prepared to subsidise the budget of every State which went in deficit because of prohibition. First of all, we would like to know what right they have to sell our Budget in advance, and secondly, if he can find Rs. 100 crores in order to subsidise the bootleggers—because prohibition means bootlegging—, if he can subsidise bootleggers by Rs. 100 crores, why not subsidise my workers by Rs. 100 crores? In the case of workers, they want to beat them down by lathis and raise an image of a moral government which shows its prohibition morality on the foundations of firings, lathi-charges and corpses of ordinary men and women. Is this the way? When their logic failed them, what was the alternative? Terror and lie were the two instruments they used. There was an ordinance and terror was let loose without limitations. Otherwise, the Indraprastha incident would not have happened. They gave an order: 'wherever you see the workers' slightest movement, just go and beat'. Therefore, they say they saw a movement in Indraprastha. (*Interruptions*) In Pathankot what did they do? What was the damage to the machinery? The fire in the engine was dropped; the moment fire is dropped, the boiler requires four or five hours to get heated once again and the train does not move. This is a simple thing. But they had to pay with six lives. Women were hit with bullets on the neck and so on. Why does this happen? Did Mr. Chavan move out to Pathankot and tell the policeman to do this? No. Was it a case of Mr. Chavan going personally and asking him to do this? No. It happens because in this country, the life of an ordinary citizen has no value when the order of the Government to suppress comes; whether it is an engineer or an architect in Indraprastha or a railway worker in Pathankot, all are in the same

level when the question of *danda* and law and order comes. This is what is happening to our corroding democracy. You cannot make such a thing—Pathankot killing a democratic killing and the Indraprastha killing an undemocratic killing; nothing of that kind; killing is killing. Your line of building democracy is killed in this process. Why? Because your whole case is immoral. I must say that Mr. Chavan is rather in a difficult position... (*Interruptions*) On the evening of the 19th September he came out with a statement on the radio like a great emperor who had won a battle....

AN HON. MEMBER : Like Shivaji.

SHRI S. A. DANGE: Why do you malign Shivaji unnecessarily? He provided the need-based minimum to the most downtrodden castes when he got the power. But I am not arguing that just now. What did he say? On that evening he said 'Everything is normal'. 'The strike has failed'. He set a terror in Indraprastha Bhavan because they went to work. He shot at Pathankot because everything was normal. He shot at Bikaner because everything was normal. He shot at Gauhati because everything was normal. What was the Home Minister telling the country? You are shooting down people on the one side and spreading terror; and on the other hand you are telling them over the All-India Radio, 'Gentlemen and citizens of India, there are normal conditions and no strike'. After that you come down to victimise 65,000 workers. Is it normal, to victimise 65,000 workers! And even in that, what a wonderful picture of unity that the Government has presented? The man who handled the strike would not take the risk to say whether he shall be lenient or vindictive or harsh or firm or whatever it is. They said 'Let us wait for the Deputy Prime Minister', because he has the reputation of firmness. But he was dabbling in some world Bank affairs where also he could not do much. Then he came back with an empty pocket. Then they said: 'Should we be firm or should we be vindictive?' It was felt, 'All right, let us pass on the buck to the Prime Minister. So they waited for the Prime Minister. Fortunately or unfortunately she got an idea at that time—I do not say it is a policy or anything of that kind—why be vindictive, after all, they are our own em-

[Shri S. A. Dange]

ployees. Then these people also immediately became generous. Very good. I thank you. They ordered that 48,000 employees may be taken back. I thank you for that. But why then should you victimise the rest of the 12,000 employees? Some lessons must be learnt from all these things. For 48,000 employees you have given a break in service. I say, why can't you take all of them back? Why can't you drop those cases? If you want really to be generous, be generous like a proper generous man. But what kind of a generosity is this? When the Prime Minister comes and says, all right, let us be generous and firm, both, you thought that this much would satisfy both the Home Minister's lathi, the Prime Minister's steel frame and her own temperament. Is that unity? Is that policy? Is that proper functioning and giving an image to the country that you have got a democratic Government? I am not discussing whether you have factional quarrels or not, I am not concerned with that, but where is the policy? If there is a policy you should have come out straightforward with it.

The other day we went to the Tihar jail. We saw what conditions are there in the jail. I told the Home Minister, when a visitor goes there, the whole wall is closed, there is no shade anywhere to sit, either in rain or in sun or anywhere. And yet the Tihar Jail had been a matter of discussion in this House for a long time and a matter of debate. So, my appeal is, 'Please do not follow the line that you are following'. Now, you propose to ban the strikes. Now, I may remind my hon. friends that we began the trade union without a right to strike. In England the Tolpuddle martyrs fell victim to the fury of William Pitt. It was William Pitt who hanged workers in England because they formed the first union in England. They founded the first union and ultimately the right was won. Any number of people were uprooted and transported and sent to the Australian jungles. Therefore, trade union movement began without any rights. We have won the right. If you wish to go back to 100 years, then the methods of 100 years also will follow. Why do you want to go back like that? If you want to put in the ordinance as a bill to make your action valid until the cases are disposed of, I would appeal to you, please cancel the cases and

begin, as you say, a new chapter of generosity and proper industrial relations. I can argue about this need-based minimum wage and prove to you that you can pay. Instead of paying Rs. 100 crores to bootleggers you can pay to your own employees. Your employees are not mere *Karkuns* or mere typists. There are one-and-a-half million railwaymen. There are these defence workers who produce your guns. There are various steel men, machine men etc. They are not merely administrative workers. Therefore you should treat them as industrial workers who are the producers and they are the people who manufacture and add hundreds of crores to your budget which is squandered in corruption and in subsidies to industrialists who do not produce anything. Why do you give them subsidy? Government should give subsidies to those who produce and stop the subsidies to those dishonest people who do not export and who do not import and who indulge in all sorts of malpractices.

I would submit that you have enough room in the budget to provide for a need-based minimum. You have the constitutional sanction, and we have the constitutional sanction to demand and you have the sanction to pay and you have the money to pay and the national economy is solvent enough to pay. If you do not pay, then we have to think of other methods.

Therefore, my last request to you is this, Please drop the cases. Please take all of them back. Please drop the legislation that you are placing before us. If you do not do this, what are we to do? We have to start agitations; we have to keep going on; we have to have demonstrations; we have to have hunger-strikes and we have to do all these things. But if we do that, again you will come and say that it is politically motivated. I ask you: Where is the political motive in this? I have proved to you by economics, by Constitution and by democratic norms that what we were doing was a simple demand of the people who wanted a higher wage which you could pay and which the economy pays in some sectors at least.

Therefore, I would request you to revise your policy and take the road not of atrocity and terror but the road of democracy which you say you want to follow.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, Shri Bibhuti Mishra.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : On a point of submission. Several thousand grass-root makers of the nation, primary teachers, are waiting at Vijay Chowk. About ten thousand teachers from all over India have come. I would request the Prime Minister through you to send the Education Minister to meet them.

MR. DEPUTY SPEAKER : The submission also must be made according to procedure. Now, Shri Bibhuti Mishra.

SHRI SAMAR GUHA : It is a matter of shame that from all over India about ten thousand teachers have come with this demand: they are just demanding a minimum wage of Rs. 150 per mensem. We call them our *shiksha-gurus*, and, therefore, I would request the Prime Minister to send the Education Minister to meet those ten thousand primary teachers, who have come from all over India.....

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : We are talking of a need-based minimum. Here are the primary teachers who are not given even a living wage but a starving wage. Something should be done for them.

SHRI SAMAR GUHA : Each one of them has spent a month's salary for coming from Assam, Kerala, Kashmir and other places.

MR. DEPUTY SPEAKER : Without having regard to the procedure of the House, I find that everybody is supporting him. This is not the way to raise it here. He has made his submission already. Now, Shri Bibhuti Mishra.

SHRI S. M. BANERJEE : Because of section 144 the teachers cannot come here. Previously they could approach Parliament. But now because of section 144 they cannot. I would request you to take up this issue with the Home Minister because neither the teachers nor anybody else could come here to Parliament. So, let the Education Minister go and meet them now.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are ways of approaching the Minister, and he is easily available. But this is not the way to raise this issue on the floor of the House.

SHRI S. M. BANERJEE : You are the custodian of the House and its rights. Therefore, I have raised this point.

श्री विमूक्ति मिश्र (मोतीहारी) :  
उपाध्यक्ष महोदय, जब संसद का अधिवेशन आरम्भ होता है तब विरोधी दलों की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें एक बात में अवश्य उन्नति हुई है कि स्वतंत्र पार्टी के भाइयों को सद्बुद्धि आ गई है और उन्होंने इस बार इस प्रस्ताव का साथ नहीं दिया है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाए ? इसका कारण यह है कि आप लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों को चढ़ा करके हड़ताल कराई और उसके बाद जो उस की प्रतिक्रिया हुई उसको छिपाने के लिए आपने यह सोचा कि अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहिए। इस अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा है कि सरकार ने जो स्टेप लिए, गृह मन्त्री की प्रधान मन्त्री से जो बातें हुई, उसमें जहां तक हमारी सरकार को जाना था, सरकार गई। मवाल यह है कि नीड वेस्ट वेज होनी चाहिए।

16 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

इस सम्बन्ध में मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नीड वेस्ट वेज सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही देंगे या उन लोगों को भी देंगे जोकि खेती करते हैं, खेती में मजदूरी करते हैं, जिनकी कि तादाद 80 फीसदी है। आखिर उन लोगों को भी तो नीड वेस्ट मजदूरी मिलनी चाहिए। हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय 22 हजार करोड़ है, जिसमें एक आदमी पर तीन साढ़े तीन सौ रुपए आते हैं। आपको 22 हजार करोड़ का बटवारा करना है। क्या आप चाहते हैं कि थोड़े से आदमियों में ही इसको बांट दें ?

### [क्षी विभूति मिश्र]

किसान और जो खेतिहर मजदूर हैं वह उससे वंचित रह जाएं। जो कुछ इस देश की आय हो वह सरकारी कर्मचारियों और फँक्टरियों के कर्मचारियों में बांट दी जाय और किसान और वह खेतिहर मजदूर आदि भूखों मरें। विरोधी दलों का जो रवैया रहा है उससे उनकी ऐसी इच्छा जान पड़ती है। यहाँ पर मैं यह चीज स्पष्ट कर दूँ कि क्लास 3 और क्लास 4 श्रेणी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके माथ मेरी पूरी सहानुभूति है। हमारी जेब में जितने पैसे हों, जो भी हमारी आमदनी हो उसके अनुसार उन कर्मचारियों को पूरा खाना, पानी आदि मुहैया करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा है कि जिस राजा के राज्य में कर्मचारी लोग अमनुष्ट रहते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है और हम भी मानते हैं कि सरकार को यथासम्भव अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन पहले हमें अपनी औकात देखनी चाहिए कि हम दरबसल उन्हें कितना दे सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो लेबर कमिशन बनाया गया है वह अपनी रिपोर्ट दे और उसके आधार पर सरकार इस बारे में विचार करे।

हमारे डांगे साहब ने एलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दिया है। अब हमारे गृह मन्त्री जी एलेक्ट्रिसिटी का कारखाना नहीं चलाते हैं। सवाल यह है कि वह पैसा आएगा कहाँ से? जाहिर है कि वह टैक्स लगा कर आएगा। टैक्स देने वाले इसी देश के आदमी होंगे, किसान, मजदूर और पूंजीपति लोग होंगे। वह सभी लोग इस टैक्स को देंगे। यह जाँ पोस्टकार्ड और लिफाफों आदि के दामों में बढ़ोत्तरी की गई है गाँवों में जाकर देखिए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है? गाँवों के लोग कहते हैं कि थोड़े से पोस्ट आफिस के कर्मचारियों को खिलाने

के लिए हम लोगों को पोस्टकार्ड और लिफाफों के लिए बड़े हुए दाम देने पर मजबूर किया जा रहा है।

डांगे साहब ने एकोनामिक्स पर बड़ा अच्छा उपदेश दिया। एकोनामिक्स हमने भी पढ़ी है। लेकिन उनकी एकोनामिक्स अविश्वास के प्रस्ताव पर लागू नहीं होती है। दूसरा उपदेश उन्होंने पटानकोट और इन्द्रप्रस्थ स्टेट में घटित कांडों के बारे में दिया है। मेरा कहना है कि वह अपने परम मित्र श्री कोमीगिन को चैकोस्लोवाकिया के बारे में क्यों नहीं उपदेश देते हैं? कोमीगिन तो डांगे साहब के बड़े भारी दोस्त हैं, अक्सर उनसे मिलने आते, जाते रहते हैं और कोमीगिन से उनकी लम्बी-लम्बी मुलाकातें होती रहती हैं तो वह श्री कोमीगिन को चैकोस्लोवाकिया के बारे में क्यों नहीं समझाते व उपदेश देते? बाकी बात रही इन्द्रप्रस्थ स्टेट की तो इन इन्द्रप्रस्थ स्टेट के बारे में गृह मंत्री, प्रधान मंत्री और हम सभी सदस्यों को तकलीफ है। अगर उस पर दुख व तकलीफ न होती तो पुलिस कप्तान को हमारी सरकार द्वारा सस्पेंड नहीं किया जाता और ए० डी० एम० को ट्रान्सफर न किया जाता। एक इन्कवायरी हुई फिर दूसरी इन्कवायरी चल रही है। अगर मौजूदा इन्कवायरी से सरकार को संतोष नहीं होगा तो फिर वह और इन्कवायरी बैठायेगी और जो भी खतावार पाया जायेगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन मैं अपने उन विरोधी दल वाले भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही बात नहीं है कि इन्द्रप्रस्थ स्टेट में ऊपर से पुलिस वालों पर ईंट, पत्थर आदि बरसाये गये? अब जब स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि लाठी में कोई मीटर लगा हुआ था कि फलानी रफतार से लाठी चलायी जायगी या उससे इतनी चोट लगायी जायगी और

उतनी नहीं लगायी जायेगी । ऐसा कोई मीटर तो लाठी में लंगा नहीं था । जब इस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है तो उसमें कोई मीटर नहीं होता है । जब पुलिस को स्थिति को काबू में करने के लिए लाठी चलानी पड़ी तो जाहिर है कि उसमें चोटें भी आई होंगी ! अलबत्ता यह जरूर है कि अगर पुलिस ने वहां पर ज्यादाती की हो तो उसकी जांच होनी चाहिए और वह जांच हो रही है ।

हर चुनाव के पहले हमारे विरोधी भाई ऐसा हड़दंग करते हैं और वही देखने में आया है । स्वतंत्र पार्टी इस से अलग हो गई बाक़ी जनसंघ और अन्य विरोधी पार्टियों में क्या एक राय विद्यमान है ? बिहार में संविद की सरकार थी और हमने देखा कि वहां पर जनसंघ वाले कम्युनिस्टों को गाली देते थे और कम्युनिस्ट्स जनसंघ वालों को गाली देते थे । मेरा कहना है कि जब इन विरोधी राजनीतिक पार्टियों में एक राय ही नहीं है तो यह अविश्वास का प्रस्ताव क्या माने रखता है ? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह जो आप लोग मिलकर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं तो क्या आप सरकार चलाने में समर्थ हैं ? बिहार में हमने देखा कि आप लोग वहां पर अपनी सरकार नहीं चला पाये । जोशी जी हमारे साथ में हवाई अड्डा पर आ रहे थे और उन्होंने यह तसलीम किया कि संविद की सरकार नहीं चल सकती । हालत तो उनके बीच में यह है कि जनसंघ वाले कम्युनिस्ट्स को गाली देते हैं और कम्युनिस्ट्स जनसंघ वालों को गाली देते हैं । वैसे तो आपस में यह एक नहीं है और एक दूसरे के दुश्मन हैं और काट करते रहते हैं लेकिन आज हमसे कसर निकालने के लिए एक साथ अविश्वास की आवाज़ लगा रहे हैं । उनकी आज की हालत को देख कर मुझे बिहारी

सतसई का एक दोहा याद आ जाता है :

“कहसाने को एक रहत अहि,  
मयूर, मृग, बाघ,  
जगत तपोवन सोकियो  
दीरघ दाघ निदाघ ।”

ज्येष्ठ की कड़ी धूप पड़ने पर परेशान होने पर सांप, बिच्छू आदि जानवर सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं हालांकि वे एक-दूसरे के दुश्मन होते हैं । उसी तरह से यह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आज हमारी सरकार को हटाने के लिए इकट्ठा हो गये हैं हालांकि इनमें आपस में एक राय कभी नहीं रही है । लेकिन देश की जनता समझती है कि यह विरोधी दल वाले सरकार चलाने में समर्थ नहीं हैं । संविद सरकार का कारनामा जनता देख चुकी है । जनता आप से असन्तुष्ट है । उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पंजाब आदि प्रान्तों में आप की जांच हो गयी है और यह साबित हो गया है कि आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हैं । हरियाणा में भी आप की जांच हो गयी है और वहां भी आप नाकामयाब साबित रहे । मध्य प्रदेश में आपकी गैर-कांग्रेसी सरकार चल रही है । मध्य प्रदेश के साथियों ने बतलाया कि किस तरीके से वहां आप लोगों ने हड़ताल को बद किया । दरअसल चीज यह है कि आप एक गड़बड़, व्यवस्था, और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के हेतु यह हड़तालें आदि कराया करते हैं । मैं तो अपने दल के साथियों को कहूंगा कि समय आ गया है जब हमें विरोधी दलों की इन राजनीतिक चालों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और कर्मचारियों आदि में गड़बड़ी आदि फैलाने नहीं देना चाहिए । हम लोगों को भी इस पढ़े-लिखे समाज में घुस कर काम करना चाहिए और उन्हें इन विरोधी दल वालों के हथकड़ों से सावधान करना चाहिए । हमें अब उन्हें मनमानी करने का मौका नहीं देना चाहिए

[श्री विभूति मिश्र]

और हमें चुपचाप न बैठ कर घुस कर उन लोगों में बर्क करना चाहिए और सही रास्ते पर उन्हें गाइड करना चाहिए।

समस्तीपुर स्टेशन पर कुछ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लांग मुझ से मिलने आये और उन्होंने यह बाबें तसलीम की कि उन्होंने राजनैतिक दलों के चक्कर में फंस कर हड़ताल की और परिणामस्वरूप आज वह कष्ट में है। मेरे मित्र लोग जाकर उनसे पूछें कि वह आप से संतुष्ट हैं या असन्तुष्ट हैं.....

एक माननीय सदस्य : समस्तीपुर में 100 फ्रीसदी हड़ताल हुई।

श्री विभूति मिश्र : दरभंगा जिले के लोगों को पूछिए कि उनकी क्या फ्रीलिंग है।

एक माननीय सदस्य : वहाँ पर भी 100 फ्रीसदी हड़ताल हुई।

श्री विभूति मिश्र : वह लोग एक वार आप के चक्कर में फंस कर हड़ताल पर चले गये लेकिन अब वह दुबारा आप के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। समस्तीपुर के स्टेशन पर उन लोगों ने स्वयं मुझसे यह बात कही है। वह लोग अब दुबारा आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। मैं इसके लिए अपने गृह मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जोकि निर्दोष हैं लेकिन बहकावे में आकर हड़ताल पर चले गए उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाय और जैसे कोई लड़का अगर नाजायज बात करे कोई इस तरह की बेजा हरकत करे तो उसे चेतावनी देकर माफ़ी दे देना चाहिए और उसे अपने को दुस्त करने का नौका देना चाहिए ऐसे लोगों को आप माफ़ी दे दीजिए और उन्हें काम पर बहाल कीजिए।

मैं समझता हूँ कि सरकार ने हड़ताल को लेकर जो आर्डिनंस जारी किया वह

उचित कदम था और अब जो वह हड़ताल को न होने देने के लिए कानून बनाने जा रही है वह उचित चीज है। शुरू में ही एक कुमल चिकित्सक को बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए, शुरू में ही घाव का इलाज कर देना चाहिए, शुरू में ही फोड़े को नस्तर लगा देना चाहिए क्योंकि अगर उसे बढ़ने का मौका दिया गया तो बाद में वह तकलीफदेह साबित होगा और फिर उसके इलाज के लिए बड़े-बड़े डाक्टरों को बुलाना पड़ेगा। इस तरह की हड़ताल करके सारे समाज को आप तंग करते हैं, सब लोगों को आप परेशानी और मुसीबत में डालते हैं और हमने देखा कि हड़ताल के कारण एक महीने तक हमको डाक मिलना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं मानता हूँ कि गृह मंत्री जी ने जो आर्डिनंस निकाला वह एक अच्छा काम उन्होंने किया है और उसकी जगह पर कानून भी बनाया जाना चाहिए। अगर कानून नहीं बनाया जायेगा तो राज इस तरह से हड़तालों आदि विरोधी लोगों के द्वारा करवाई जाती रहेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि समाज का जीवन अस्तव्यस्त हो जायेगा। जरूरत इस बात की है कि यह जो राजनैतिक पार्टियाँ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह से कर्मचारियों और मजदूरों आदि को बहकाया करती हैं। राजनीतिक पार्टियों को कर्मचारियों के बीच में घुसने का अवसर नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका लेकर यह महज अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अगर वह राजनीतिक पार्टियाँ उनमें अपनी यूनियंस बना कर रहें तो इस देश का प्रजातंत्र खतरे में पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें इन लोगों ने जो कार्रवाई की थी उसका नतीजा हुआ कि मुहर मार कर और गड़बड़ी करके बहुत से लोगों को जिता दिया गया और बहुत से लोगों को हरा दिया, न वोट पड़े न कोई बात हुई। हमारे जनसंघी भाई भी हैं, मैं उनसे

बतलाना चाहता हूँ कि एक-एक बूय के पीछे सौ-सौ आदमी थे और बहुत से बोगस वोट गिराये गये । इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी थे उनको उन्होंने रुपया पैसा दिया और पचासों गोल-माल कराये । अगर हमारे देश में डिमाक्रेसी रहनी है तो मैं श्री चह्वाण से कहूँगा कि सरकारी एम्प्लायीज की कोई यूनिन नहीं बननी चाहिए और उनके बीच में किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । सरकारी कर्मचारियों के जो प्रीवान्सेज हों उनके लिए कोई अलग संस्था बननी चाहिए जो उन लोगों का ध्यान रखे । जो मजदूर या कर्मचारी हैं उनको जो भी तन्खाह दी जानी चाहिए, जो सहूलियतें देनी चाहिए, वह दी जायें । लेकिन अगर पोलिटिकल लोग उनके बीच जाने दिए जायेंगे तो देश में डिमाक्रेसी खत्म हो जायेगी ।

श्री डांगे ने कहा कि नीड बेस्ट मिनिमम वेज होनी चाहिए । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में पर कैपिटल इनकम 300 रु० है, मगर वह कितना भोग करते हैं । आज वह पूंजीपतियों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पहले वह अपने अन्दर देखें कि वह कितने बड़े पूंजीपति हैं, हम कितने बड़े पूंजीपति हैं । पहले हमें अपना भोग कम करना चाहिए । वह पूंजीपतियों की बात कहते हैं । ठीक है, पूंजीपति शोषण करते हैं, उनको खत्म करना चाहिए । काम करके जो सप्लस बैल्यू निकलती है उसका बंटवारा हम चाहते हैं । लेकिन हमें कितना मिलता है और एक मजदूर को कितना मिलता है ? गांधीजी के मजदूरी के सिद्धान्त की बात वह कह रहे थे । मैं उनका उपदेश सुनने के लिए तैयार होता, अगर वह भी उस पर अमल करते । लेकिन मैंने सुना है कि बम्बई में उनका मकान एवर-कंडीशड है उनके शेअर्स बहुत ज्यादा हैं । आज वह

हमको उपदेश दे रहे हैं । जो खुद पूंजीपति हैं वह उतना भोग नहीं करते हैं जितना हमारे डांगे साहब करते हैं । इसलिए हम ऐसे व्यक्ति का उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग 1942 में जेल जाते थे तब यह लोग क्या करते थे ? उनकी दृष्टि तो किसी दूसरी जगह थी ।

एफ माननीय सदस्य : आप से ज्यादा जेल गए हैं ।

श्री विभूति मिश्र : हमने माफी नहीं मांगी है, अन्डरटॉकिंग नहीं दी है । मैं श्री चह्वाण से कहूँगा कि आरकाइव्स से फाइलें निकाल कर देखें कि माफी मांगी है या नहीं सरकार क्यों पीछे हटती है ? जब उन्होंने कुछ लिख कर दिया है तो वह माफी नहीं है तो क्या है ?

श्री रामसेवक यादव : क्या कभी राजा करण सिंह भी जेल गये हैं ?

श्री विभूति मिश्र : उनकी उस समय उम्र नहीं थी ।

श्री रामसेवक यादव : क्या राजा नरसिंह गढ़ जेल गए हैं, दिनेश सिंह जेल गए हैं ?

श्री विभूति मिश्र : उनकी उम्र क्या है ?

श्री रामसेवक यादव : क्या अब वह जेल जायेंगे ?

श्री विभूति मिश्र : आज ला एण्ड आर्डर की बात कही जाती है । जब बिहार में संविद की सरकार थी मंसही में राम नारायण शाह के घर में डाका पड़ा । उस डाके में एक करोड़ रुपए की सम्पत्ति गई । मैं चाहता हूँ कि श्री चह्वाण कागजात देख कर बतलायें कि उसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे । इस तरह का डाका सारे एशिया में नहीं पड़ा जिस तरह का मेरे

[श्री बिभूति मिश्र]

जिले में पड़ा। श्री कंवरलाल गुप्त ने अमन और कानून की बात कही। लेकिन जो कुछ मेरे जिले के राम नारायण शाह के घर में हुआ, आज तक उसकी कोई ऐसी एन्क्वायरी नहीं हुई जिसमें पूरी सत्यता मालूम होवे।

श्री रामसेवक यादव : बांदा के हरिजन के बारे में क्या हुआ ?

श्री बिभूति मिश्र : आप अपनी जानते हैं, हम अपनी जानते हैं, फिर उपदेश क्यों सुनाते हैं ?

मैं बतलाना चाहता हूँ कि यह लोग आखिर करते क्या हैं। यह छात्रों को भड़काते हैं। मैं बतलाऊँ कि हमारे साथ एक फौजी अफसर आ रहा था रांची साथ में हमारे एक एम० पी० भाई थे। उसने कहा कि हम लोग परीक्षा जब लेते हैं तब लड़के न तो झुद्ध अंग्रेजी बोल सकते हैं न शुद्ध हिन्दी। इसकी वजह से देश में जो शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जो ज्ञान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है और छात्रों को हुल्लड़बाजी के सिवा और कुछ नहीं सिखलाया जाता। छात्रों में भी ट्रेड यूनियन बना दी है। जब हम लोग पढ़ते थे तब आचार्यों की इज्जत करते थे, उनके सामने बैठते नहीं थे, कुछ खाते-पीते नहीं थे। लेकिन आज शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। फिर भी एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि बिहार के जो छात्र हैं वह पिछले चुनाव के बाद समझ गए हैं असली हालत को, और अब वह इन लोगों के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। जो लोग छात्रों में काम करते हैं आज वह इस बात को समझ लें।

श्री इसहारू साम्भली (अमरोहा) : मिश्रजी को वोट चाहिए लेकिन पहले वह यह समझ लें कि खून रंग लायेगा जो उनकी सरकार ने बहाया है।

श्री बिभूति मिश्र : मौलाना साहब जब खून बहायेंगे तब हम देखेंगे। अंग्रेजों से लड़ने के समय तो खून बहाया नहीं, अब बहायेंगे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई के समय में भी यदि खून गिराया होता तब हम देखते।

आज जो मजदूर हैं या क्लास तीन और चार के लोग हैं, उनके बारे में अपील करना चाहते हैं। आज जो क्लास तीन और चार के लोग दफ्तर और रेलवे में काम करते हैं उनके साथ जो ऊपर के अफसर हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इस लिए एम्प्लायज उनसे ऊब उठे हैं। जो हमारे एम्प्लायी हैं उनके साथ आज अफसरों का व्यवहार ठीक होना चाहिए। उनकी जो भी उचित मांगें हों, उसको सरकार पूरी करे। उनके बारे में उनसे सीधे बात करनी चाहिए। मगर सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि कोई भी पोलिटिकल आदमी उनकी यूनियनों में न रहे। अगर हमको पोलिटिकल लेवल पर काम करना है तो सरकारी कर्मचारियों को यूनियन बनाने देना उचित नहीं है। आप निर्वाचकों के पास जाइए। आप जनता में हमारे खिलाफ बोलें और हम आप के खिलाफ बोलें। डिमॉक्रेटिक तरीके से वोट लें। आज हमारे विरोधी लोगों को मालूम है कि सरकारी कर्मचारी उनको कितनी बददुआ दे रहे हैं। आज आठ या नौ हजार सरकारी एम्प्लायी सस्पेंडेड हैं और जो लोग हटा दिए गए हैं वह रोज शाप दे रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि तुम लोग इनके पास क्यों गए और इनके चक्कर में क्यों आ गए तो वह कहने लगे कि हम इनके पास नहीं गए, यही लोग दौड़ कर हमारे घर आए थे। यह लोग हड़ताल करने के रंग विरंगे रूप ले कर आए और उन्होंने हमको उकसा कर हड़ताल कराई। मैं चाहता हूँ कि कम से कम अब जो सरकारी कर्मचारी हैं वह समझ लें कि कोई भी पोलिटिकल

पार्टी उनका कल्याण करने वाली नहीं है। जो भी उनको उपयोग करने वाले हैं उनसे वह होशियार हो जायें। इस एक दिन की हड़ताल से लोग उनसे होशियार जरूर हो गए.....

**श्री इसहाक साम्भली :** आई० एन० टी० यू० सी० को तोड़ दीजिए। तीन रोज में कांग्रेस कैम्प में सत्राटा हो जाएगा।

**श्री राम सेवक यादव :** सभापति महोदय, श्री मिश्र को और समय दिया जाना चाहिए क्योंकि यह गांधी जी की बात कर रहे हैं।

**श्री विभूति मिश्र :** जो गांधीजी के अनुयायी थे उनकी बात आप छोड़ दीजिए। आपके वह नेता बड़े भले आदमी थे। हमको चाय काफी दिया करते थे, दक्षिणा भी दिया करने थे। वह आप जैसे आदमियों को छोड़ कर चले गए।

**श्री राम सेवक यादव :** चह्वाण साहब ने जो दक्षिणा दी है वही बोल रहे हैं आप। दक्षिणा खा के बोल रहे हैं।

**श्री विभूति मिश्र :** नकद नहीं पाई है यह समझ लीजिए। गांधी जी की शिक्षा देते हैं हमारे माननीय सदस्य लेकिन उन द्वारा दी गई शिक्षाओं के खिलाफ जा कर बराबर काम करते हैं।

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो कानून वह आर्डिनंस के स्थान पर ला रहे हैं उस कानून को वह जरूर पास करवायें। उसको पास करना इसलिए भी जरूरी है कि सुनने में आया है कि ये भूख हड़ताल करेंगे। इस भूख हड़ताल को लेकर मुझे एक कथा याद आ गई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह महाभारत की कथा है। महाभारत गुजर जाने के बाद दुर्योधन की मां ने कहा कि दुर्योधन मर गया है और अब हम भी मर जाएंगे और उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब उसने भूख

हड़ताल शुरू कर दी तो उसको भूख लगने लगी। जहाँ वह भूख हड़ताल कर रही थी वहीं पर एक आम का पेड़ था और उसकी एक शाखा पर आम लटका हुआ था। वह आम को तोड़ने लगी। आम ऊपर चला गया। वह कोशिश करती लेकिन आम तक नहीं पहुँच सकी। करते-करते उन्होंने दुर्योधन की लाश को लाकर वहाँ रखा और उस पर चढ़ करके आम तक पहुँचना चाहा। लेकिन फिर भी आम तक वह नहीं पहुँच सकी। अन्त में भगवान कृष्ण ने कहा कि यही दुनिया की माया है और यह माया ऐसी है कि क्षुधा को आदमी रोक नहीं सकता है और तुम क्षुधा को शान्त करने के लिए अपने बेटे की लाश पर चढ़ कर आम को तोड़ना चाहती हो। उन्होंने उसको समझाया। यह जो इनकी भूख हड़ताल की धमकी है इससे सरकार को डरना नहीं चाहिए। आप इनको छोड़ दीजिए और देखिए कि कितने आदमी मरते हैं। पाँच दस को मरने तो दीजिए। इधर ये भूख हड़ताल करें उधर आप जनता में यह प्रचार करते जाएं, जनता को यह बताते जाएं देखो यह जो तुम से आमदनी प्राप्त होती है इसको ये लोग बांट कर खा जाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि इससे इरिगेशन का काम हो, नहीं चाहते हैं कि बांध बनें, नहीं चाहते हैं कि स्कूल, अस्पताल आदि बनें तथा दूसरी सुविधाएं जनता को उपलब्ध हों। मैं कहूँगा कि सरकार मजबूती दिखाए। मजबूती से और दण्ड से ही राज चलता है।

**श्री एस० एम० जोशी (पूना) :** सभापति जी, सदन के सामने जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यहाँ बताया गया है कि इस सदन में बार-बार अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं और इस बात को लेकर आज जो प्रस्ताव आया है उसका मखौल भी उड़ाया गया है।

[श्री एस० एम० जोशी]

लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी प्रस्ताव आए हैं उन सब में सही मानों में अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो आज का यह प्रस्ताव है। अविश्वास दो-तीन कारणों से होता है। एक कारण तो यह है कि जब आप जो आपके विरोधी हैं, जो आपके विपक्ष के हैं उनके साथ विश्वासघात करते हैं तब हम अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि जो एक खास नीति निर्धारित है और उस निर्धारित नीति को शासन तोड़ता है तब राजनीतिक दृष्टि से हम लोग कहते हैं कि आप ने विश्वासघात किया है और हम लोगों को अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता है।

आज जो भाषण हुए हैं उनको मैं सुन रहा था। अभी हमारे बुजुर्ग श्री मिश्र जी ने भाषण किया है और उनके भाषण को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और धक्का भी लगा। हम मिश्र जी से छोटे हैं। हम लोगों के साथ उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। वह हमारे बुजुर्ग नेता हैं। वह कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों के पास स्ट्राइक का अधिकार नहीं रहना चाहिए। मैं कहूँगा कि इस तरह की बात करना, यह भी संविधान के खिलाफ है। जिस संविधान को हम मानते हैं उसके रहते हुए भी अगर हम लोग यह कहेंगे कि स्ट्राइक का अधिकार ही इनको नहीं देना चाहिए तो यह गलत बात होगी। मौलिक अधिकारों में स्ट्राइक का भी एक अधिकार है। ऐसी अवस्था में हमारे मिश्र जी जैसे बुजुर्ग नेता की तरफ से जब इस तरह की बात रखी जाती है तो बड़ा दुख होता है।

मेरा जो शिकवा है, शिकायत है, वह बहुत से कारणों से है। लेकिन एक सब से बड़ा कारण जिसका हमारे मित्र, श्री डांगे साहब ने जिक्र किया है वह आर्थिक

पहलू के बारे में है। लेकिन उसमें जा कर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है और उसको हमें देखना चाहिए।—दुनिया भर में आल इंडिया रेडियो के द्वारा और बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के समाचारपत्र हैं उनके द्वारा यह प्रचार किया जाता है कि हम लोग नीड बैंड वेज की जो मांग रख रहे हैं—उसको देने की आज की स्थिति हमारी हकूमत की नहीं है। यह मगसमर गलत है। हम लोगों की मांग तत्काल नीड बैंड वेज लागू करने की नहीं थी नीड बैंड वेज की मांग हम कर रहे थे लेकिन क्या उसको देना जरूरी है या नहीं—हो सकता है कि नहीं—इसका फंसला करवाने के लिए हम पंचों के पास जाना चाहते थे। जो चीज आप आल इंडिया रेडियो से दुनिया वालों को बता रहे हैं या जो आप इस सदन में बात कह रहे हैं क्या उसको आप पंचों के सामने नहीं रख सकते थे? तब हमें यह कहा गया कि पंचों के सामने हम जाना नहीं चाहते। ऐसी अगर पहले की भूमिका होती तो मैं उस चीज को समझ सकता था। 1960 में जब आम हड़ताल हुई उस वक्त भी मैं उस हड़ताल में हिस्सा लेने वालों में से एक था और इस बार भी तीस अगस्त को जब यहाँ चर्चा हुई तब भी मैंने उसमें हिस्सा लिया था। उस वक्त मैंने होम मिनिस्टर साहब से बार-बार पूछा था कि क्षण भर के लिए अगर इसको मान भी लिया जाए कि आपने जाँ एप्रोमिट किया हुआ है उसके मुताबिक आर्बीट्रेशन के लिए या पंच फैसले के लिए इस चीज को भेजना आपके लिए लाजिमी नहीं है तो क्या कोई दूसरा रास्ता है या नहीं है? एक बार नहीं तीन बार मैंने बीच में इंटरप्ट करके चह्दाण साहब से इस चीज को पूछा था क्योंकि मैं चाहता था कि अगर आर्बीट्रेशन नहीं होता है, उस बात को नहीं माना जाता है, तो कोई दूसरा रास्ता भी है या नहीं है और अगर है तो हम इसको देख

लें। लेकिन चह्माण साहब ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।

..

1960 में भी स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक के बाद यह चर्चा चली थी। मैं आल इंडिया डिफेंस फंडेशन का जनरल सैक्रेटरी कई साल था और मुझे उस नाते स्व० पंडित नेहरू जी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे याद पंडित जी कहा करते थे कि अगर सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक करेंगे तो यह शासन कैसे चलेगा। मैंने उनकी सेवा में बड़े अदब से यह अर्ज की थी कि सरकारी कर्मचारी भी दूसरे निजी क्षेत्र के मजदूरों की तरह मजदूर हैं और अगर आप उनको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो कोई दूसरा जरिया तो हमारे पास होना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि आर्बिट्रेशन का जरिया हां सकता है। 1960 की हड़ताल के बाद इसी हकूमत ने एक मशीनरी बनाई और उसका मकसद यह था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए स्ट्राइक करना लाजिमी न हो। यह चीज साफ लिखी हुई है। जब नीड बैस्ट वेज की बात की जाती है तो कहा जाता है कि हम साब्रेन हैं और हमारे ऊपर कैसे आर्बिट्रेशन हो सकता है। जब यह मशीनरी बनी तब भी अफसर लोगों ने यह सवाल उठाया था और उस सवाल का जवाब हम लोगों ने दूँडा और तब यह कहा था कि साब्रेन हकूमत नहीं है और इस देश में अगर कोई साब्रेन है तो इस देश के लोग हैं क्योंकि हम जम्हूरियत में रहते हैं और देश की प्रतिनिधित्व लोक सभा या पार्लियामेंट करती है। अगर कोई साब्रेन अधिकार आप चाहते हैं तो लोक सभा को देने के लिए हम तैयार हैं। अगर नेशनल इकानोमी के लिए कोई बात खतरनाक है, तो पार्लियामेंट को उस पर विचार करने का अधिकार है। यह भी सवाल उठाया गया कि क्या हमारा बजट भी आर्बिट्रेशन के पास जाएगा।

बजट के आर्बिट्रेशन के पास जाने का सवाल नहीं है। लेकिन जैसा कि कंवरलाल गुप्त ने 30 अगस्त की चर्चा में भी बताया था और आज भी बताया है, इसमें साफ लिखा हुआ है :

"Subject to the over-riding authority of Parliament, the decision of the tribunal will be binding on both parties."

इसका मतलब यह होता है कि अगर आर्बिट्रेशन का फ़ैसला हमारे हक में जाता है और हकूमत समझती है कि वह नेशनल इकानोमी और सोशल जस्टिस के विरुद्ध है, तो उसको पार्लियामेंट के पास भेज सकती है और उसमें तरमीम करा सकती है।

मुझे यह भी बताया जाता है कि इसमें "ए क्लास" की बात कही गई है, इस लिए नीड बैस्ट वेज का प्रश्न हम नहीं भेजेगे। अगर इस प्रश्न को नहीं भेजना था, तो पार्लियामेंट को ओवर-राइडिंग अथॉरिटी देने की ज़रूरत क्या थी? अगर चार आदमियों के लिए, किसी छोटे से तबके के लिए, कोई एवार्ड देना है, तो नेशनल इकानोमी का सवाल कहाँ पैदा होता है? 1960 में जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें नीड बैस्ट वेज का सवाल हम ने रखा था, लेकिन उस समय की स्थिति ध्यान में लेते हुए हमने उसको वापस ले लिया और हमने सिर्फ़ मंहगाई भत्ते की मांग रखी थी। इस मशीनरी के सम्बन्ध में धारा 16 में लिखा है :

"compulsory arbitration shall be limited to pay and allowances, weekly hours of work and leave."

और उसमें आखिर में लिखा है :

"of a class or grade of employees".

इन लोगों ने कहा कि इसमें "ए क्लास" लिखा हुआ है। मैंने चह्माण साहब को कहा कि अगर आप "ए" के माने इन-डेफ़िनेट आर्टिकल "ए" लगाते हैं तो हम अपनी मांग एक के लिए, चौथी श्रेणी के

[श्री. एस० एम० जोशी]

लिए, रखने के लिए तैयार हैं; हम इसको इसमें फिट करके दे देते हैं, आप इससे इन्कार क्यों करते हैं?—अगर आगे चल कर मालूम हुआ कि यह चीज होने वाली नहीं है, तो आप पार्लियामेंट में आ सकते हैं; वहां आप की मैजॉरिटी है। चह्वाण साहब ने कहा कि जब हम आरबि-ट्रेशन करायेगे, तो हम वहां क्यों आयेगे। पार्लियामेंट साबिरेन है। अगर देश की इकानोमी के लिए खतरा है, तो आपको आने में उज्र नहीं होना चाहिए।

हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया गया, उस पर नन्दा जी के दस्तखत हैं, वर्तमान मजदूर मंत्री, श्री द्वार्या, के भी दस्तखत हैं। वह एग्रीमेंट हड़ताल को टालने के लिए किया गया था। हमने उसका मुद्दाव नहीं दिया था। आखिर में मजदूरों के प्रतिनिधियों की गद्दैन पकड़ कर उनके दस्तखत कराए गए। हुकूमत से मेरी शिकायत यह है कि क्या एक बार एग्रीमेंट करके उसके खिलाफ जाना लोगों के चुन हुए आसन को शोभा देता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

अगर सही मानों में आपकी राय थी कि नीड बैस्ट बेज वाला मामला इसमें नहीं आता है, तो फिर आप ने जे० सी० एम० में लगातार महीनों तक इस पर चर्चा क्यों की? उसी वक्त कह देते कि जे० सी० एम० में हम चर्चा करते हैं, लेकिन अगर यहां फ्रंहेला नहीं होता है, तो हम इसको आरबि-ट्रेशन में भेजने वाले नहीं हैं। लेकिन आप ने ऐसा नहीं कहा। अगर पहले से कह देते, तो मजदूरों को मालूम हो जाता कि यहां चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। वे उसको छोड़ देते और कुल न्यूट्रलायजेशन वाली उठा लेते। लेकिन महीनों तक चर्चा करने के बाद जब वहां फ्रंसला नहीं होता है, तब आप कहते हैं कि सेक्शन 16 में यह मांग नहीं आती है और

सेक्शन 21 की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। इसके क्या मानी हैं? यह तो सरासर विश्वासघात है। वे लोग आप के मजदूर हैं। आप उनके मालिक हैं। मालिकों ने अपने मजदूरों के साथ रिटन एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट को आप तोड़ना चाहते हैं। अगर आप उसको तोड़ेंगे, तो आप पर लोगों का क्या भरोसा रहेगा?

जब कच्छ का मामला आया था, तो हम विरोधी दलों के विरोध के बावजूद आप आरबि-ट्रेशन में गये। उस समय चह्वाण साहब ने कहा कि हम तो हरिश्चन्द्र की परम्परा चला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : श्री मोंगरजी देसाई ने।

श्री एस० एम० जोशी : श्री मोंगरजी देसाई होंगे। हुकूमत की तरफ से यह कहा गया। उन सबकी क्लेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है। हरिश्चन्द्र की परम्परा तो यह थी कि सपने में उन्होंने जो आश्वासन दिया, उसको पुरा करने के लिए उन्होंने न जान क्या-क्या किया। लेकिन दिन में, आंखें खोल कर, सब लोगों के सामने, आपके मंत्री ने जिस समझौते पर दस्तखत किये, उसके बारे में आप कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। उस वक्त तो हरिश्चन्द्र याद आ गया, इस वक्त क्यों नहीं याद आता है? यह बिल्कुल अनैतिक आचार है।

मुझे यह भी मालूम है कि ये लोग कहेंगे कि हमारी ताकत नहीं है। मैं श्री मिश्र को कहना चाहता हूँ कि यह कोई आग्युमेंट नहीं है कि हमारे पास ताकत नहीं है, इस लिए हम इम्मारेल एक्ट करेंगे। जो इम्मारेल है, वह किसी भी हालत में खराब है। हालांकि मेरी आवाज बहुत कम है, मैं अपना सा आदमी हूँ, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आप इस तरह का इम्मारेल एक्ट करेंगे, तो उसका विरोध करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम ऐसे मुद्दे के चेले हैं,

जिन्होंने हम को बताया था कि जो खराब चीज है, जो भी तुम्हारी शक्ति हो, वह शक्ति लगा कर उसका विरोध करना चाहिए। इसलिए हम उसका विरोध करेंगे।

यह बात मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ। 30 अगस्त को भी जब भुझे टोका गया, तो मैंने अपने भाषण में कहा था। मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। लोग हमें कहते हैं कि हम पालिटिक्स के लिए यह कर रहे हैं। मैंने चह्वाण साहब से बार-बार पूछा था कि यहाँ पालिटिक्स कहाँ है। हुकूमत ने जो रुख अख्तियार किया और जो यह कहा कि हम इस प्रश्न को आरबिट्रेशन के पास नहीं भेजेंगे, उसके विरोध में इनटक के साथ सब लोगों ने वाक-आउट किया। वहाँ पालिटिक्स कहाँ है? आज भी मैं पूछता हूँ कि पोस्ट्स एण्ड टेलोग्राफ की फ़ैडरेशन का चेयरमैन कौन है। वह कोई सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या कोई जनसंघी नहीं है। वह एक कांग्रेसमैन है।

एक माननीय सदस्य : कौन है ?

श्री ए० एम० जोशी : मिश्र साहब हैं।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर)  
कौन मिश्र ?

श्री ए० एम० जोशी : उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं है।

यह मजदूरों का सवाल है और इस में कोई पालिटिक्स नहीं है। हम लोग उसमें पालिटिक्स नहीं लाना चाहते हैं। मगर जब हुकूमत की तरफ से पालिटिक्स घुसेड़ा जाता है, तो क्या हम लोगों को मैदान छोड़कर भागना चाहिए? हम ऐसे भागने वाले नहीं हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ। मैं मिश्र जी से एग्री नहीं करता हूँ कि पालिटिशन लोगों को खत्म करना चाहिए।

M51LSS/68—12

अरे भाई, यह जैसा एग्रीमेंट है, इसमें तो क्लोज है कि एम्प्लॉई जो है वही उसमें रहेगा। हम लोग नहीं रहेंगे। एम्प्लॉई लोग ही जे० सी० एम० में रहते हैं। बात चीज करने के लिए एम्प्लॉई लोग ही होते हैं और यह गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं यह कोई पालिटिकल पार्टी के लोग नहीं होते हैं ऐसी एक मान्यता है। वैसे इन्टक के लोग भी हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन वह गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। तो इसमें तो कोई नई चीज नहीं है।

श्री बीवान चंद शर्मा : नई चीज तो आपकी भूख हड़ताल है।

श्री ए० एम० जोशी : भूख हड़ताल के बारे में भी हम बतला देंगे। इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बतलाता कि भूख हड़ताल भी क्यों हुई? 30 अगस्त को भी मैंने कहा था और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था। क्या होगा, यह मैं जानता था लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता था कि एक दिन की स्ट्राइक है। शायद हुकूमत इस तरह की रिप्रेसिव मशीन इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि स्वर्गीय गोविंद, वल्लभ पंत थे तो उनके साथ चर्चा करने का मौका मुझे मिला था 1960 की स्ट्राइक के बाद उस वक्त उन्होंने यह बताया था कि अगर एक दिन की हमारी स्ट्राइक होती तो हम ऐसा नहीं करते। मगर इस गवर्नमेंट ने एक दिन की टोकन स्ट्राइक में भी इस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल किया। यह स्ट्राइक थी कहाँ? यह तो आप ने आर्डिनेंस निकाल कर लोगों को सिविल नाफरमानी करने के लिए मजबूर किया। आपने उनको जेल में भेजने की बात कही, नौकरी से निकालने की बात कही, यह स्ट्राइक नहीं है, वह तो सत्याग्रह हुआ। आपने हमारे साथ धोखा किया। हमने आप के साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को आप ने तोड़ा है।

[श्री एस० एम० जोशी]

तब उसका प्रोटेस्ट हम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ? यह बात है । मैंने उस वक्त यह साफ कहा था । हम लोग यह जानते हैं कि जब हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो उसको दवाने के लिए इनके पास पूरी मशीनरी है । जो मशीनरी ब्रिटिश लोगों के पास थी, वही इनके पास भी है । हम नहीं चाहते हैं कि अपने मजदूरों को हम खतरे में डालें । इसलिए जब हम यह फैसला कर रहे हैं कि स्ट्राइक करेंगे तो सोच समझ कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारी है । ऐसा आप न सकझें कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते थे ।

सभापति जी,—मुझे 12 तारीख को यहां बुलाया गया चह्वाण साहब के पास बात-चीत करने के लिए । मैं मराठवाड़े से आया क्योंकि मैं जानता था क्या होने वाला है और यह मैं अपने दिमाग में चीज रख कर आया था कि जहां तक हो सके गो टु द मिनिमम । फैसला करो, स्ट्राइक न हो । इसके लिए हमने कोशिश की । चह्वाण साहब के सामने तीन प्रोपोजल हमने रखे थे । एक यह कहा कि चह्वाण साहब, पहले तो आप यह कह रहे थे कि आरबीट्रेबल नहीं है मगर आज आप कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन की जब तक सिफारिश नहीं आएगी तब तक हम फैसला नहीं करेंगे । ठीक है, ऐसी हालत में हम नेशनल लेबर कमीशन को अपना पंच मानने के लिए तैयार हैं ताकि वह पूरे देश की स्थिति का विचार करके यह बताए कि हमारा मामला सही है या नहीं । क्या आप इस सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं ? अगर वह समझेंगे कि हमारा केम सही है तो अवार्ड दे देंगे । अगर उन्होंने हमारे हक में दिया तो भी आप के पास पार्लियामेंट है, आप उसको नामंजूर कर सकते हैं । लेकिन चह्वाण साहब ने कहा कि यह नहीं हो सकता है । उन्होंने कहा कि नेशनल लेबर कमीशन कैसे

पंच हो सकता है ? मैंने कहा कि कांस्टी-ट्यूएंट असेम्बली बैठती थी और वही संस्था पार्लियामेंट भी हुआ करती थी । वही परसोनेल है, दोनों चीजें हो सकती हैं । गजेन्द्र गडकर साहब कमीशन के चेयरमैन भी थे और उन्होंने डी० ए० एवार्ड भी दिया । तो यह भी हो सकता है । लेकिन चह्वाण साहब उसको भी नहीं माने । हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो । तब हमने आगे चल कर एक बात और रखी । हमने कहा कि ज्योंही नेशनल लेबर कमीशन की सिफारिश आ जाएगी हम आपस में बैठेंगे, अगर आपस में फैसला नहीं होता है तो उस वक्त केम आर्बीट्रेशन को भेज देंगे यह आश्वासन आप हमें देने हैं ? लेकिन आप ने उसके लिए भी कहा कि नहीं उसको भी कंसीड नहीं किया । तब हमने तीसरा प्रोपोजल रखा कि नीड बैस्ट वेज को हम अलग रख रहे हैं । मगर आप हम को इतना भी आश्वासन देते हैं कि क्या जब यह हमारा फुल न्यूट्रलाइजेशन का सवाल आयेगा तो उसको मंजूर करेंगे ? क्योंकि नीड बैस्ट वेज जो है वह तो वेजेज को बढ़ाने की कोशिश है । इसको न देने के माने हैं वेज को फ्रीज करना है । लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो मेरा वेज रिड्यूस होता है । जैसे एक क्लास थरी या फोर के लोग हैं, क्लास फोर को 90 परसेंट मिलेगा, क्लास थरी को एक तबके का 60 परसेंट मिलेगा, उसके ऊपर वाले को 40 परसेंट मिलेगा और इस दफा जब इन्स्टाल-मेंट उसका होता है तो हमारी वेज कितनी कम हो जाती है, हम लोगों की मजदूरी आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वह तो अलग है लेकिन कम तो नहीं होनी चाहिए, आप इसके ऊपर आश्वासन देने को तैयार हैं ? क्योंकि हमने सोचा कि यह आश्वासन दे देंगे तो मजदूरों को कहेंगे कि ठीक है, जरा रुको, फुल न्यूट्रलाइजेशन वाले सवाल को ऐप्री कर गए हैं और प्रिसिपल में ऐप्री करते हैं इससे भी, डीअरनेस एनावंस मर्ज करना

है या नहीं, इसके लिए तैयार हो गए हैं। मगर फुल न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी यह तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, हमें अब अपना कर्तव्य करना होगा। जब आजादी नहीं मिली थी तब से हम मजदूर आन्दोलन में हिस्सा लेते रहे हैं। जब मजदूर लोग हमको बुलाते हैं कि तुमको हमारा काम करना है, तब आना पड़ता है। जे० सी० एम० की मशीनरी फेल होने के कारण मजदूरों ने मीटिंग की और हमको कहा कि तुम आओ और हमारी मदद करो। तब हम आए। अपने दोस्तों को, मजदूरों को हम कहते हैं कि देखो, हम तो रिटायर आफिसर हैं। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो उमको भी बुला लिया जाता है। इसलिए जब तक लड़ाई है हम तुम लोगों के साथ रहेंगे। अब इससे आगे मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इससे आगे और मेरा अधिकार तो कोई नहीं है।

इस तरह जब मामला तय नहीं हो पाया तब हम ने कहा कि एक दिन की स्ट्राइक अब करनी होगी प्रोटेस्ट के रूप में। चह्लान साहब ने कहा कि यह मामला तो गंभीर है। मैंने कहा आप जितना गंभीर समझते हैं मगर मैं उससे भी ज्यादा गंभीर समझता हूँ। जो हमारे साथ समझौता हुआ है उसे आपकी हुकूमत तोड़ रही है और उस चीज को हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहे जो कुछ हो, मैं जानता हूँ कि दम आदमी भी हमारे साथ आ जाएंगे फिर भी मैं स्ट्राइक करने को कहूँगा। क्योंकि यह तो मेरा सत्याग्रह है और जो सत्याग्रह के माने हमने थोड़ा बहुत सीखा है उसके अनुसार हम सत्याग्रह करेंगे। इसलिए सभापति जी, जब इस चीज की चर्चा होती है तो यह न समझा जाए कि कोई राजनैतिक सवाल इसमें था। राजनैतिक सवाल किस ने किया? जब आपने आर्डिनंस निकाला तब

यह चीज इस रूप में आई। आर्डिनंस निकालने की जरूरत क्या थी? क्या हमने कोई आश्वासन तोड़ा था? हम तो कोशिश कर रहे थे कि जहाँ तक हो सके हम समझौता करें। लेकिन समझौता हुआ नहीं, तब हमको यह करना पड़ा। अब हम यह कहेंगे कि राज-पत्र ठप होने वाला था मगर यह बात नहीं थी। हुकूमत ने जो अध्यादेश निकाला उसके पीछे एक रहस्य है। यह हुकूमत अपनी पुरानी मजदूर नीति है, उसे बदलना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके वेज बोर्ड ने जो फैसला दिया था उसको जब ठुकराया मालिकों ने, और उनकी कंपैसिटी होते हुए भी ठुकराया। दो महीने महीने तक हमारे मजदूर वही स्ट्राइक करते रहे और दो महीने के बाद आपने ऐडजुडिकेशन के पास भेजा? मालिकों को आपने क्या सजा दी? उनको सजा कुछ नहीं दी। फिर जब हम कहेंगे कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तब आप आर्डिनंस निकालते हैं। आपने आर्डिनंस निकाल कर यहाँ तक अधिकार दे दिया कि एक सरकारी नौकर दूसरे सरकारी नौकर को गिरफ्तार कर सकता है, तीन साल के लिए जेल में भेज सकता है। बन्दूक लेकर आप लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। आप यह कहेंगे और यह कहा जा रहा है कि आपकी प्रार्थना के अनुसार मजदूर काम पर आए। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आप चाहे वोट ले लो, आपकी जो प्रार्थना है इसलिए उन्होंने काम पर जाने का फैसला किया या आपने जो आर्डिनंस निकाला था उसके कारण किया?

तो मैं यह कह रहा था कि यह जो आपने गुनाह किए हैं अपना दिया हुआ आश्वासन तोड़ा है, यह एक बहुत गंभीर बात है। यह दुनिया के सामने किसी ने नहीं बताया। पेपर वालों ने बता दिया कि मजदूर नीड वैस्ट मिनिमम वेज मांगते हैं, जब कि वह बात नहीं है। हमने बार-बार कहा कि

[श्री एस० एम० जोशी]

स्ट्रेटअवे हम नोट बैस्ड मिनिमम वेज नहीं चाहते हैं, हम आर्बिट्रेशन चाहते हैं। रेडियो से झूठा प्रचार चलता है। मैं मजाक में कहता था कि यह रेडियो झूठिस्तान है। हम गए जब बम्बई में तो हमको कहा कि मजदूरों को सभा के जरिए जो चह्वाण साहब के साथ बातचीत हो गई उसको समझाने का आपको अधिकार नहीं है? मैं एक अदना नागरिक होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि क्या मजदूरों के सामने चह्वाण साहब के साथ जो बातचीत हो गई वह कहने का मुझे अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है, क्यों? इस लिए कि आपका आर्डिनेंस है? एक नागरिक के नाते मैं कहता हूँ कि यह लोकशाही की हत्या हो रही है, लोकतन्त्र की हत्या हो रही है, हमारे नागरिकों का अधिकार इस तरह से छीना जा रहा है। यहां पर दो किस्म के पापों की बात हुई है—एक तो आपने आश्वासन मंग किया, जोकि एक नैतिक गुनाह है और अब हमको कहा जाता है कि माफ़ी मांगो। मुझे कहा गया है कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। कानून किसने तोड़ा है, इस आर्डिनेंस से भी ऊपर जो कानून था, हम लोगों के साथ जो समझौता आपने किया था, उसको आपने पहले तोड़ा, यह बड़ा गुनाह किसने किया? आपने किया, इसलिए आप गुनाहगार हैं, इसलिए आपको सब लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं जानता हूँ इनके पास ताकत है, 303 को राइफलें ह, इनके पास पैसे वाले हैं, इसलिए ये लोग राज चला सकते हैं—लेकिन यह लोकतन्त्र नहीं हो सकता।

समाप्ति जो, सिर्फ आर्डिनेंस निकाल देने से यह नहीं रुका, हमारे मजदूरों के साथ जो बर्ताव हुआ, उससे आज हमारी गर्दन शर्म से झुकती है। कल जब मैं इटावा गया—यू० पी० में हमारी बहनों के साथ,

महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसको सुनकर मैंने उस अफसर को कहा— मैं विरोधी दल का नेता बन कर यहां नहीं आया हूँ, तुम पुलिसवाले हो, तुम भी हमारे आदमी हो, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, क्या इसके बारे में भी कुछ सोचा है। इसी तरह से इन्होंने आर्डिनेंस निकाल कर किया, यह किस की जिम्मेदारी है? सभापति जी, मैं बीकानेर गया, पठानकोट गया, सराय रोहिल्ला गया और वहां पर जो इनके काले-कारनामे थे, उनको देखा। बीकानेर में आपको सुन कर आश्चर्य होगा—दफा 144 नहीं लगी हुई थी, साढ़े छः बजे जो गाड़ी चलती है, उसके लिये इनको ड्राइवर नहीं मिला, फायरमैन नहीं मिला, सब लोगों ने वहां पर स्ट्राइक की हुई थी। तब उन्होंने एक ड्राइवर को राजी किया और एक फायरमैन जो एप्रेंटिस था, उसको लिया ताकि गाड़ी चल सके। इसके बाद कई महिलायें रेल की पटरी पर जा कर बैठ गईं, तब उस ड्राइवर ने कहा कि मैं गाड़ी को कैसे आगे ले जाऊँ। उन महिलाओं को हटाने के वास्ते वहां पर पुलिस को बुलाया गया। उनमें एक 16 साल की लड़की थी, मन्जू सकसेना, उसने कहा कि तुम हमारे शरीर को स्पर्श करनेवाले कौन होते हो, महिला पुलिस को लाओ, उसके बाद वहां पर झमेला हुआ। वह ड्राइवर गाड़ी आगे लेजाने के बजाए पीछे ले गया और बाद में फायरमैन ने भाप को निकाल दिया। भाप निकल जाने के बाद गाड़ी तीन घंटे तक चलनेवाली नहीं थी, लोग वहां पर बैठे हुए थे, ऐसी हालत में उन लोगों पर फायरिंग करने की क्या जरूरत थी। मगर उन पर फायरिंग की गई और घरों में घस-घुस कर फायरिंग की गई। इसी तरह से पठानकोट में फायरिंग की गई, जब एक आदमी गिरा और जब दूसरा उसको उठाता है, तो उसको भी गिरा दिया गया। जब घर में उसको उठाकर ले गए तो घर में घुस कर उसको गोली

मारी—क्या आप उस वक्त भिण्ड-मोरैना-वालों का पीछा कर रहे थे—यह सब क्या है ? यही स्थिति बीकानेर में हुई, यही पटानकोट में हुई और यही सराय रोहिल्ला में हुआ ।

सराय रोहिल्ला में क्या हुआ—उनके जो लीडर थे, उनको 17-18 तारीख को गिरफ्तार किया गया, उनके गिरफ्तार होने के बाद महिलाओं ने वहां पर सत्याग्रह किया । पुलिसवालों ने वहां पर टीयर-गैस छोड़ी—यहां तक ठीक था । पुलिसवाले तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे, लेकिन टीयर-गैस छोड़ने के बाद जब वे महिलाएं अपने घरों को लौटने लगीं तो उनका पीछा किया गया । इतना ही नहीं एक घर में एक 92 साल की बुढ़िया थी, उससे पूछा कि तेरा लड़का कहां है ? उसने कहा कि ड्यूटी पर गया होगा, वस गुस्से में आ गए, क्योंकि उसका लड़का शायद लीडर था । उस बुढ़िया को इस तरह से उटाय़ा और जमीन पर पटक दिया । हमारे यहां की प्राइम मिनिस्टर एक महिला है, उसके होते हुए ये सब चीजें होती हैं, क्या इससे गुस्सा नहीं आता है ? जरूर गुस्सा आता है । क्या ऐसी चीजों की जांच नहीं करायेंगे—इस चीज़ की न्यायिक जांच क्यों नहीं होगी—आप इसको देखें । आखिर इसमें डर की क्या बात है ? हुकूमत कहती है कि न्यायिक जांच नहीं होगी, हमारे मैजिस्ट्रेट जांच करेंगे । जैसा डांगे साहब ने कहा—एक सर्वोर्डिनेट मैजिस्ट्रेट ऊपरवाले मैजिस्ट्रेट की न्यायिक जांच कर रहा है—यह सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता है । न्यायिक जांच अवश्य होनी चाहिए ।

मैं जानता हूँ कि हमारे यहां पर बोलने का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनीति हम लोग इसमें नहीं लाए हैं । जिस रोज

आर्डिनेंस निकला, आपने हमारे लोगों को पीटा, हमारी महिलाओं को पीटा, तब राजनीति इसमें आई । इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, राजनीति इसमें अवश्य आएगी, क्योंकि हुकूमत आप लोग चला रहे हैं, आपके हाथों में ताकत है, उस ताकत का विरोध करने के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ा । हमसे कहा गया कि तुम अनशन क्यों कर रहे हो, चह्वाण साहब का फोन गया । हमने कहा कि हम उन लोगों के नेता बने हुए हैं, इसलिए कर रहे हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मुझ को करने दो, आप बीच में क्यों आते हो ।

आप कहते हैं कि आप जांच नहीं कराएंगे, तो जैसा मसानी साहब ने बताया कि उन बुजुर्ग लोगों की रिपोर्ट में, जो किसी पार्टी में नहीं हैं, क्या लिखा है . . . . .

श्री कंबर लाल गुप्त : रिपोर्ट टेबिल पर रख दीजिए ।

श्री एस० एम० जोशी : मैं रिपोर्ट रखने के लिए तैयार हूँ । सभापति महोदय, पुरुषोत्तम भाई और सरजू प्रसाद जी ने जो जांच की है, उसकी रिपोर्ट मैं आपकी इजाजत से टेबिल पर रखने के लिए तैयार हूँ, ताकि सब लोग उसको पढ़ें और सोचें कि क्या हमको न्यायिक जांच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए ।

सभापति जी, मुझे बड़ा दुख है, मेरी आयु 64 साल की हो गई है, इस 64 साल की आयु में 40 साल मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया है, हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर थे और आप सही रास्ते पर हों, लेकिन 40 साल के सार्वजनिक जीवन के बाद जब हमारी मां को नंगा करके उसके बच्चे को उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए विवश किया जाए तो इसको कैसे सहन किया जा सकता है ।

[श्री एस० एम० जोशी]

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया गवर्नर को खत लिखते हैं, उसका कोई जवाब तक नहीं आता, इसका क्या मतलब है। उन लोगों ने ता० 12 को प्रदर्शन किया, गोली चलती है, चार आदमी मारे जाते हैं, तीन हरिजन लोग मारे जाते हैं—यह हमने अपनी आंखों से देखा। आपने एक एग्जीमेंट किया, फिर उसको आप ही ने तोड़ दिया, उसके बाद हमसे कहा जाता है कि तुमको स्ट्राइक विद्वा करनी चाहिए। क्यों विद्वा करनी चाहिए, हमने क्या गुनाह किया है? गुनाहगार आप लोग हैं, आपने आशवासन को तोड़ा है, हम इस चीज को हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन हम को दुख होता है, भगवान् ने हमको हमारी आंखों से यह सब देखने के लिए ज़िन्दा रखा है। जिसके लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी, आज हमारे उम स्ट्राइक के अधिकार को छीनने के लिए डण्डे का प्रयोग किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या यह लोकतन्त्र है, इस लोकतन्त्र को लेकर क्या हमारे देश को हिफाजत हम लोग कर सकते हैं? मैंने पब्लिकली इस बात को चैलेंज किया है कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि हम लोगों ने देश का अहित किया है, हम देश के विरोध में काम कर रहे हैं, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई कमीशन नियुक्त होता तो मैं उसके सामने रखता, कि हमारी नीड-बैस्ट-वेजेज की जो मांग है, वह देश के हितों के खिलाफ नहीं है। जो कुछ कहा जाता है, वह सब झूठ है। नीड-बैस्ट-वेजेज लिबिंग वेज नहीं है। जब आदमी काम करता है और उसके बाद दूसरे रोज काम पर जाता है, तो उसकी ताकत, उसकी शक्ति उसकी प्रसन्नता उतनी ही होनी चाहिए, जितनी कि पहले रोज थी। जिस कार्य-क्षमता से उसने पहले रोज काम किया है, उसी कार्य-क्षमता से उसे दूसरे रोज काम करना चाहिए—यही नीड-बैस्ट-वेजेज है। क्या यह ज्यादा मांग

है। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो पंचों के सामने जाइए, उनके सामने रखिए, हम भी अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की जो मांग है, उसको ठीक तरह से समझा जाए। आज यह कहा जाता है कि खेतिहर मजदूरों को क्या मिलता है। खेतिहर मजदूरों को आज क्या मिलता है—यह चीज आज कैसे याद आ गई। चह्वाण साहब को याद होगा, मोरारजी भाई भी थे, इसी सदन में हमारे स्वर्गीय नेता, डा० लोहिया ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस देश में किसी भी परिवार के ऊपर 1500 रुपए से ज्यादा खर्चा न हो, इसको देखने के लिए इसी सदन की एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाए। उन्होंने कोई कानून की बात नहीं रखी थी बल्कि एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि जब इस देश में एक गरीब को 5 आने भी नहीं मिलते हैं तो फिर किसी भी परिवार पर 1500 रु० से ज्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इस चीज की जांच करने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। लेकिन उस समय इन्हीं लोगों ने डाक्टर साहब का मजाक उड़ाया था और कहा था कि आपके आंकड़े गलत हैं और इसलिए कमेटी बनाने से भी इनकार किया था। वही लोग आज हमको याद दिलाना चाहते हैं कि एक खेतिहर मजदूर को क्या मिलता है। पूना कारपोरेशन में झुग्गी वालों के लिए जब मैंने मांग की थी कि उनको पानी और रोशनी मिलनी चाहिए तो पुलिस वालों से धक्के मार कर भगा दिया गया था। और तब कहा जाता था कि ये झुग्गी वाले कौन हैं, ये तो बूटलेगर्म हैं, इनके लिए आप लड़ते हैं? अब हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं तो कहा जाता है कि झुग्गी वालों को क्या मिलता है। यह क्या अजीब मामला है, यह मेरी समझ में नहीं आता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में

यह जो नीड-वैस्ड वेज की मांग है वह देश के हित में है यदि हमें अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है । आप पोस्ट आफिस में जाइए, मैं इनके ग्रुप का आदमी हूँ, हनुमन्चैया साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का जो ग्रुप गया है । मुझे बताया जाता है कि हमारे डिपार्टमेंट में लोग नहीं आते हैं क्योंकि अच्छे लोग तो दूसरी जगहों पर चले जाते हैं । फिर कार्य-क्षमता कैसे रह सकती है ? टाटा के यहां तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नौकरी मिलती है, वहां पर ज्यादा मिलता है, इस लिए आप कम-से-कम नीड-वैस्ड तो दीजिए, अगर वह भी नहीं तो फुल न्यूट्रलाइजेशन कीजिए और अगर यह भी नहीं तो कम-मे-कम आर्डिनेंस निकाल कर हमें पीटो तो नहीं ।

17 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय, एक झूठा प्रचार चल रहा है कि हमने इनडेफिनिट स्ट्राइक के लिए प्रस्ताव पाम किया था । मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं कहता हूँ कि यह प्रचार बिल्कुल गलत है । और जे० सी० ए० भी तभी वनी जब कि जे० सी० एम० नहीं चली । हमने कोई प्रस्ताव नहीं पास किया । फंडरेशन वालों या यूनियन वालों ने कोई प्रस्ताव किया हो तो दूसरी बात है लेकिन जे० सी० ए० ने कभी ऐसा नहीं किया । कहा जाता है कि यह एक रिहर्सल था । यह बात भी बिल्कुल गलत है । इसलिए इस सदन के सामने मेरी भांग है लेकिन मैं जानता हूँ कि हुकूमत उसको नहीं मानेगी, ठुकरा देगी, इनके लिए हमारे कथन की कोई इज्जत नहीं है लेकिन मैं इस सदन के द्वारा सारे देश को बताना चाहता हूँ कि जब मजदूरों ने कोई गुनाह नहीं किया था, अपनी प्रोटेस्ट दिखाने के लिए एक काम किया तो अध्यादेश निकाल कर उनको सजा दी जाती है, रोजी रोटी से उनको

वंचित किया जाता है और सरकार का यह बहुत बड़ा गुनाह है । इस लिए मैं मांग कर रहा हूँ कि जिन कर्मचारियों को उनकी नौकरी से हटाया गया है या जो जेल में हैं, अरेस्ट किए गए हैं, या जो मस्पेन्ड किए गए हैं—ऐसे करीब दस हजार लोग हैं—दिल्ली में कोई पोस्टमैन या कोई दूसरा कर्मचारी मुझे बता रहा था कि कल मुझे गिरफ्तार करेंगे क्योंकि वारन्ट निकाला हुआ है—और जब गिरफ्तारी होगी तो मस्पेन्ड भी कर दिया जाएगा—क्या यह सारी कार्यवाही अब भी चलती रहेगी ? अगर आप यह कहें कि किसी ने वायलेंस किया है तो मैं उसको समझने के लिए तैयार हूँ लेकिन सिर्फ नौकरी पर नहीं गए, स्ट्राइक की और आर्डिनेंस को तोड़ा तो आप ऐसा करें, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अध्यादेशी सरकार है या लोक-तन्त्रीय सरकार है ? क्या आपका सारा काम अध्यादेश से चलेगा ?

मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया था तो मैंने उनसे कहा था कि ये कर्म-चारियों के प्रतिनिधि हैं और उनके नेता हैं, मैं कोई पोलिटिकल नेता बनने नहीं आया हूँ । लेकिन कर्मचारियों का नैतिक प्रभाव अपने कार्यकर्ताओं पर है । आप यदि उस प्रभाव को खत्म करना चाहती हैं, उनके नीडर को डिस्क्रेडिट करना चाहती हैं तो ऐसा न समझिए, उनकी लायलटी खूब है, इससे एनारकी हो जाएगी । अच्छी लीडरी चलनी चाहिए । आखिर ट्रेड यूनियन वालों ने क्या गुनाह किया है जो आप रिक्विजिशन छीन लेती हैं । ब्रिटिश सरकार ने भी काफी कांग्रेस का रिक्विजिशन छीना था लेकिन कांग्रेस भरी नहीं थी । उसी तरह से आप मजदूरों का रिक्विजिशन छीनना चाहते हैं । पहले यूनियन बनायें और बाद में लीडर ढूँढ़ें, यह काम हम नहीं करते हैं । अगर हमारी यूनियन राइट थी तो फिर आपने क्यों आर्डिनेंस निकाला ? मैं बहुत अदब

[श्री एस० एम० जोशी]

के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि मजदूरों ने जो कुछ किया उसके लिए अगर आप उनको लाचार बनाना चाहते हैं तो फिर आप उनको लेकर देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वह दिन देश के सामने आए। इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप उनको दोबारा बहाल कीजिए। आपने जो विक्टिमाइजेशन किया है उसको समाप्त कीजिए और उनके नेताओं से बातचीत कीजिए। मैं तहे दिल से इस सेन्सर मोशन का समर्थन करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि सही मानों में उनके साथ आपने विश्वासघात किया है इसलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है और मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करता हूँ क्योंकि यह प्रस्ताव भावनाओं और कर्तव्य को लेकर नहीं लाया गया है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती पब्लिसिटी का एक साधन है। अभी हमारे दोस्त, आदरणीय जोशी जी ने बहुत कुछ कहा है। यह विचार करना कि सरकारी मुलाजिमों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए केवल उनके दिल में ही दर्द है और किसी के भी दिल में दर्द नहीं है, केवल विरोधी दलों के जो लोग हैं वही मजदूरों की भलाई चाहते हैं, वही सरकारी कर्मचारियों की भलाई चाहते हैं, और हमारी तरफ के जो लोग हैं उनके दिल में कोई दर्द नहीं है, उनके लिए कोई भावना नहीं है, कोई हृदय नहीं है या हम सरकारी मुलाजिमों को अपना दुश्मन समझते हैं, तो यह हमारे साथ एक बहुत बड़ी बेइन्साफी होगी, अन्याय होगा। हम लोग जो यहां पर इस सदन में बैठे हुए हैं वे दस लाख आदमियों ने चुनकर आए हैं और उसी प्रकार से यह

लोग भी चुनकर आए हैं। जितने लोगों की नुमाइन्दगी यह करते हैं, हम भी उतने ही लोगों की नुमाइन्दगी करते हैं। और इस लिहाज से यहां पर हमारा बहुमत है। इससे यह बात साबित हो चुकी है, जनता ने और देश ने साबित की है कि मजदूरों का हित, गरीबों का हित और किसानों का हित कांग्रेस पार्टी के हाथ में मजबूती से सुरक्षित है। यह लोग जो हैं वह केवल भावनाओं से बात करते हैं और यह दिखाते हैं कि हम उन मजदूरों के हक में हैं। इस सदन में, जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है उस दिन को छोड़ कर, बाकी हर रोज यह कहा जाता है, विरोधी दलों की ओर से, कि सरकारी मुलाजिम करप्ट हैं, कुनबापरस्त हैं, वे कोई काम नहीं करते हैं। इस तरह की बातें इस सदन में हर रोज उस तरफ से कही जाती हैं।

मैं अपने उन विरोधी दल वालों के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि वह किस मुंह से हम कांग्रेस वालों के विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं? मेरे उधर के मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने यह अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा था। मुझे उनसे कहना है कि मुझे इस संसद में कार्य करते हुए डेढ़ वर्ष हो गए हैं। उनके मुंह से आज जैसी नीरस स्पीच मुझे सुनने को मिली है इससे पहले ऐसी रसहीन स्पीच में ने उनकी नहीं सुनी है। मुझे कहने दिया जाए कि उनके भाषण में कोई रस नहीं था, उसकी कोई वकअत नहीं थी। यह ठीक है कि वह एक अच्छे वक्ता हैं लेकिन आज उनके पास बोलने के लिए खास मसाला नहीं था। आज जो उन्होंने सदन के सामने अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा था उसके लिए उनके पास कोई यथेष्ट कारण ब बजह नहीं थी। उन्होंने अपने भाषण में इंड्रप्रस्थ भवन की बात कही। यह ठीक है कि इंड्रप्रस्थ भवन की बात जब हमारे

सामने आती है तो हमारा दिल भी रोता है और हमारी आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। वहां पर जो जुल्म हुआ, जो अन्याय हुआ उसके लिए जितना दुख उनके दिल में है उससे अधिक दुख हमारे दिल में है। बाकी उनके दिल में जो दुख है वह केवल इस लिए है कि वह दिल्ली की नुमायन्दगी करते हैं। अब दिल्ली में सरकारी मुलाजिमों की मेजारिटी है और वह सरकारी मुलाजिमों की मेजारिटी को बहुमत को यह जनसंघ पार्टी के पांचों के पांच सदस्य यहां संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर है कि वह यह प्रस्ताव यहां पर ला कर उनकी हमदर्दी लेना चाहते हैं लेकिन वास्तव में उनके साथ उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। अगर वाकई उन्हें कर्मचारियों के साथ हमदर्दी है तो वही बात वह अपने कारखानों में जाकर करें। जितनी हमदर्दी वह मजदूरों के लिए और दूसरों के लिए यहां दिखाना चाहते हैं वही हमदर्दी का सबूत अपनी फैक्टरियों में दें। मैं समझता हूँ कि इसी कारण आज श्री कंवर लाल गुप्त के भाषण में कोई रस नहीं था, कोई खास बात नहीं थी और वह अपना केस जिस शानदार तरीके से उन्हें पेश करना चाहिए था वह उसे पेश नहीं कर सके।

इंद्रप्रस्थ भवन के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो मांग वह जुडिशियरी की करते हैं दरअसल जुडिशिएल इनक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत जल्द कार्यवाही की। अगर उस मामले में जंरा गहराई से देखा जाए तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस पुलिस की ज्यादाती में पुलिस वालों के साथ कुछ सियासी पार्टियों का भी हाथ था। अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन सियासी पार्टियों ने यह चाहा कि वहां पर कोई झगड़े हों या गड़बड़ी हो। मेरे पास ऐसा सबूत है और मैं उन आनरेबुल मੈम्बर

का नाम भी ले सकता हूँ। तमाम सरकारी फ़ाइलों के फोटो आदि उनके पास आए और साथ ही उन फाइलों की कौपी मेरे पास भी गलती से भेज दी। लोग यह कहते भी हैं कि जो इस तरह की कौपीज दो, चार मੈम्बरों में भेजते हैं वही कौपी मुझ को भी भेजते हैं। उन फ़ाइलों की कौपियां मिनिस्टर्स के दस्तखतों और सेनेटरीज के दस्तखतों से इंडोर्स की हुई मिली हैं और जैसा मैंने कहा गलती से मुझे भी वह चिट्ठी उन्होंने इंडोर्स कर दी है। वह सारे इंडोर्सगुदा कागजात मेरे पास मौजूद हैं। उनको पढ़ने से यह बात साबित हो जाती है कि इन लोगों की पुलिस वालों के साथ साजिश थी। उनकी आपस में मिली भगत थी। पुलिस द्वारा सरकारी मुलाजिमों को जो पीटने का काम किया गया उसमें इन लोगों की पुलिस वालों के साथ साजिश थी। जो कागजात मेरे पास इंडोर्स होकर आ गए हैं उससे इस साजिश का पूरी तरह सबूत मिल जाता है।

17.13 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

यह जो सरकारी मुलाजिमों की हड़ताल हुई इसमें केवल 10 फ्रीसदी सरकारी कर्मचारी शामिल हुए थे और उन 10 फ्रीसदी में से केवल एक फ्रीसदी लोग ही ऐसे हैं जिन कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया है। 90 परसेंट कर्मचारी लोग वफ़ादार थे और उन वफ़ादार मुलाजिमों में एक डर पैदा करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वह बेचारे दफ्तर में बैठे हुए जहां शान्तिपूर्वक काम कर रहे थे उनको किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाता। इससे यह बात साबित हो जाती है कि दरअसल बल्क मेजारिटी इस स्ट्राइक के फेवर में नहीं थी और यह साजिश की गई कि किसी तरह

[श्री प्रेमचन्द वर्मा]

से उन बफ़ादार कर्मचारियों को डराया जाए और उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में गहराई से जांच-पड़ताल कराए और वाकई में जो भी अफसर दोषी पाए जाएं उन्हें सजा दे। इसके साथ ही सरकार इस बात का भी प्रयत्न करे और इसके लिए जरूरी कार्य-बाही करे ताकि राजनीतिक पार्टियां जोकि उनके बीच में आकर और उन्हें बहका कर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया करती हैं वह ऐसा न कर सकें।

मैं इस मौके पर कोई पोलिटिकल भाषण नहीं करना चाहता बाकी यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार स्कूली टीचर्स की जायज मांगों को अवश्य स्वीकार करे। अभी यहां पर बनलाया गया कि हजारों स्कूली टीचर्स आज यहां बाहर अपनी बात सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी शिकायतों को दूर किया जाए और जो अभी उन्हें हार्डशिप है उसे रफ़ा किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीने से हड़ताल चल रही है और बहुत बुरी हालत वहां पर हो रही है। वहां पर उन हजारों टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है लेकिन उन पर यह कोठारी कमिशन की सिफारिश लागू नहीं की जा रही है। मैं होम मिनिस्टर साहब और प्रधान मंत्री महोदय से आप की मार्फत अर्ज करना चाहूंगा कि अगर सरकारी मुलाजिमों के बारे में कोई वेज ऐवार्ड आदि की बात आती है तो हमारे हिमाचल प्रदेश के टीचर्स के मामले को सबसे पहले लिया जाए और उनके साथ ईसाफ किया जाए।

इस के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सां एण्ड आर्डर के बारे में श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा। मुझे अफसोस है कि अगर पुलिस ने कोई वैसी ज्यादाती

की है और मैं चाहूंगा कि उसका जुर्म साबित होने पर जो भी उम के लिए जिम्मेदार हो उसे माकूल सजा दी जाए। लेकिन इसी सिलसिले में मैं केरल का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। केरल में कम्युनिस्टों की हुकूमत है और वहां पर यह हालत है कि लोगों की दुकानें लूटी जाती हैं, लोगों की इज्जत लूटी जाती है और पुलिस सामने खड़ी तमाशा देखती रहती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर एक बाजार में किसी व्यापारी का माल का ठेला आया था। उम व्यापारी ने कहा कि मैं अपना माल स्वयं अपने आदमियों से उतरवाऊंगा लेकिन वहां जो उन कम्युनिस्टों के गुंडे और बदमाश लोग खड़े रहते हैं वह उस व्यापारी को कहते हैं कि तुम्हें यह माल हमारे लोगों के जरिए उतरवाना पड़ेगा और एक रुपए में ले कर पांच रुपए बोरी तक उतरवाई देनी पड़ेगी अगर उतना पैसा हमें नहीं दोगे तो हम माल को छीन लेंगे। इम तरह की अंधेरगर्दी वहां के कम्युनिस्ट शासन में चल रही है लेकिन कोई इनक्वायरी नहीं होती है.....

(Interruptions)

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : Your Law Minister incited the people to take the law into their own hands. Is it democracy or hypocrisy ?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : जो हमारे लाँ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया था लेकिन कोई उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की गई। (Interruptions)

SHRI E. K. NAYANAR : Call him and lynch him before Parliament.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : इसी तरह से मद्रास में हो रहा है। वहां पर कोई किसी को पूछता नहीं है, सब जगह पैसा चलता है। डी०एम०के० के शासन में अंधेरगर्दी चल रही है। वहां पर मजदूरों के हित की कोई बात नहीं की जा रही है। वहां पर

मजदूरों, अमीरों सभी को पीसा जा रहा है । कहने का मकसद यह है कि केरल और मद्रास दोनों स्थानों में गड़बड़ चल रही है ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जिन लोगों ने बहकावे में आकर हड़ताल में हिस्सा लिया है उनके साथ सरकार हमदर्दी के साथ पेश आवे । अगर कहीं पुलिस की ज्यादती साबित हो तो जिम्मेदार अफसरों को दंड दिया जाए । सभी ऐसे सरकारी कर्मचारी जोकि केवल बहकावे में आकर हड़ताल पर गए उनके मामलों पर सरकार हमदर्दी में गौर करे और उनके प्रति किसी प्रकार के बदले की भावना न रखे । मैं समझता हूँ कि जितना दुःख और जितना दर्द उन लोगों के दिल में है । उससे ज्यादा सरकार के दिल में और हमारे दिलों में है ।

मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मौके के ऊपर इस हड़ताल को फेल न किया जाता और वह फेल न हो जाती तो इस मुल्क में बड़ी गड़बड़ी होती । इस मौके के ऊपर हमारी सरकार ने जो मजबूती दिखाई है, खास तौर पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो मजबूती दिखाई है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ । साथ ही साथ मैं उन मुलाजिमों को भी जिन्होंने सरकार के साथ वफादारी दिखाई है, बधाई देता हूँ । जिन लोगों ने हड़ताल की है, मैं समझता हूँ वह इन लोगों के कहने में आ गए, वह गुमराह हुए हैं और उनको गलत रास्ते पर रक्खा गया है । मैं चाहता हूँ कि भगवान भले ही उनको सजा दे लेकिन सरकार दोनों को बख्शे !

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री कंवरलाल गुप्त ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसकी तर्जुमानी करने के

लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं समझता हूँ कि 19 सितम्बर की हड़ताल को कुचलने के लिए जो अध्यादेश सरकार ने जारी किया, जो लाठी, बुलेट और गोली का सहारा लेने की कोशिश उसने की है, उसको छोड़कर अगर वह थोड़ी और कोशिश कर लेती तो शायद हड़ताल टल सकती थी । मुझे मालूम है कि जब 12 सितम्बर को हम लोग श्री एस० एम० जोशी की अध्यक्षता में गृह मंत्री जी से मिले तब हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि हड़ताल टल सकती है । कुछ मांगें हम लोगों ने उनके सामने रखीं । नीड वेस्ट मिनिमम वेज के बारे में हम लोग यह समझौता करने के लिए राजी हो गए कि यदि वह यह आश्वासन दे सकते हैं और दे देते कि गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट को मान लिया जाएगा और जब नेशनल कमिशन आफ लेबर की रिपोर्ट आ जाए तो इस नीड वेस्ट मिनिमम वेज के मसले को पंच के सुपुर्द कर सकते हैं, तो हड़ताल टल सकती है । लेकिन जब इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला, न्यूट्रलाइजेशन आफ डिअरनेंस के मसले को आर्बीट्रेशन को देने से इन्कार कर दिया, तब हम लोग क्या कर सकते थे ?

मैं समझता हूँ कि 19 तारीख की जो हड़ताल हुई वह शांतिमय थी । हम को हड़ताल करने के लिए इस सरकार ने मजबूर किया । 12 तारीख के बाद भी हमारे प्रधान पीटर अलवारिस प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले । उन्होंने उनसे भी निवेदन किया कि 27 लाख सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल टल सकती है और वह उसमें हस्तक्षेप करें । इस मसले को वह आर्बीट्रेशन को भेजने के लिए राजी हो जाएं । कच्छ का मसला, देश की घरती का मसला आर्बीट्रेशन को जा सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का मसला, दो सालों से जिस का फैसला नहीं हो सका, ज्वायेंट कन्सल्टेटिव मशीनरी

[श्री स० मो० बनर्जी]

के सामने दो साल से उसका फैसला नहीं हुआ, उसको आर्बीट्रेशन के सामने भेजने से इन्कार कर दिया गया। गांधी जी के चैलेंज को रोज सिखाने वालों ने गांधी जी के आदर्शों को तिलांजलि दे दी। जब उन्होंने कहा कि आर्बीट्रेशन में यह मसला जा नहीं सकता, यह मसला आर्बीट्रिवल है या नहीं, इस पर हम विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तब हमारे लोगों ने इसका बहिष्कार किया। ज्वायेंट कन्सल्टेटिव मशीनरी में अगर इस पर डेडलाक फ्रिएट किया गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। अफसोस की बात है कि इस देश के गृह मंत्री जी ने कभी ज्वायेंट कन्सल्टेटिव मशीनरी के कांस्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं। मुझे आज भी विश्वास है कि उन्होंने उसको नहीं पढ़ा। अगर उसको पढ़ते तो उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आर्बीट्रेशन किस-किस मसले पर मिलेगा। मैं आपकी इजाजत से उसको सदन के सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि जो भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है वह बात दूर हो जाए। इस कांस्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आर्बीट्रेशन किन-किन मसलों पर दिया जाएगा।

"Compulsory arbitration shall be limited etc.—

- (i) pay and allowances,
- (ii) weekly hours of work, and
- (iii) leave".

हम लोग यह चाहते थे कि आर्बीट्रेशन क्लास 4 एम्प्लॉय के मसले पर भी दिया जाए। तब नीड बेस्ट मिनिमम वेज और उसके बाद वेज डिफरेंशल्स कर दें तो यह मसला हल हो सकता है। सरकार के सामने कोई च्वायस नहीं थी। उसमें कहा गया था कि :

"On a final disagreement being recorded as mentioned in clause 18, the Government shall appoint a board of arbitration as soon as possible."

कोई ऐम्बिगुइटी नहीं थी। वह बिल्कुल साफ था। उसमें चाहे तीन मेम्बर हों या एक मेम्बर हो आर्बीट्रेशन में, इसका कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन इसके वावजूद आर्बीट्रेशन से इन्कार कर दिया गया, जबकि यह प्रोविजन भी था कि जब सदन के सामने आर्बीट्रेशन का अवार्ड आए तो गवर्नमेंट उसको माडिफाई कर सकती थी, उसको अमेंड कर सकती थी और सदन की इजाजत से वह रिजेक्ट भी हो सकती है, जब कि बहुमत इस सदन में कांग्रेस के पास है। हजारों मजदूरों की मांगों को बहुमत के आधार पर वह नामंजूर कर सकती थी अब आखिर उसको खतरा क्या था? आर्बीट्रेशन अपना अवार्ड दे देता। अगर वह मजदूरों के पक्ष में होता तो सरकार उसको रिजेक्ट कर सकती थी। लेकिन सवाल ट्राइल आफ स्ट्रैथ का था। गृह मंत्री जी ने पुलिस की हड़ताल को जिस तरीके से कुचल दिया था उसी तरह से दफा 140 लगा कर पालियामेंट के सामने कोई जुलूस ले जाना उन्होंने मना कर दिया। कोई आदमी पालियामेंट के मेम्बरों के सामने अपनी मांगें लेकर नहीं जा सकता है जुलूस की शकल में या मुजाहरे की शकल में। मंत्री जी अपनी ताकत को दिखलाना चाहते थे और साबित करना चाहते थे कि वह बीसवीं सदी के शिवाजी हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अध्यादेश जारी किया गया 13 सितम्बर, 1968 को। 12 सितम्बर के बाद जब हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे, एक तरफ तो नेगोशिएटेड सेंटलमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे थे, सोच रहे थे कि नेगोशिएटेड सेंटलमेंट हो जाए, लेकिन हमको मालूम नहीं था उस वक्त गृह मंत्री जी की जेब में आर्डिनंस का ड्राफ्ट था। 13 तारीख को उन्होंने आर्डिनंस जारी किया। लोगों के दिल में गुस्सा आया। इसी दिल्ली शहर में यह

जानते हुए कि आर्डिनैस की धाराओं का उल्लंघन होगा, उसको लागू किया गया। एक लाख या डेढ़ लाख कर्मचारियों ने उस आर्डिनैस की धज्जियां उड़ाई, उसके टुकड़े-टुकड़े किए। केवल इतना ही नहीं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, खासकर मेरे मोअज्जिज दोस्त श्री चन्द्रजीत यादव ने इसका उल्लेख किया। उन्होंने सरकार को बर्धाई दी। किस चीज के लिए बर्धाई देते हैं? हमलिए कि इस हड़ताल को कुचल दिया। लेकिन उस हड़ताल में क्या हो रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पटानकोट से लेकर कन्या कुमारी तक और कलकत्ते से लेकर आप किसी इलाके में चले जाइए, एक केम आफ वायोलेंस नहीं हुआ। दूसरी तरफ इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में क्या हुआ? वहां वाकर्ड पुलिस ने नंगा नाच किया।

जब हम प्रधान मंत्री से 17 तारीख को मिले और उनसे इन्द्रप्रस्थ इस्टेट की बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको उसका बहुत दुःख है। प्रधान मंत्री को दुःख हो सकता है लेकिन श्री चन्द्रजीत यादव और दूसरे लोगों को दुःख नहीं है। मगर दुःख होते हुए भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिर न्यायिक जांच क्यों नहीं की गई? वह रिपोर्ट हम लोगों के पास है जो सरजू प्रमाद और त्रिकमदास ने दी है। जो कुछ उन्होंने कहा है कि उसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई? लेकिन उसके बाद पटानकोट में क्या हुआ? पुलिस फायरिंग एण्ड ब्रूटेलिटीज अगेन्स्ट वर्कर्स जो है वह एक दास्तान है दर्द भरी। मैं चाहता हूँ कि लोग उसको पढ़ें। इसको एस० एम० जोशी ने नहीं लिखा है, पीटर अलवारिस ने नहीं लिखा। इसको कुछ ऐसे व्यक्तियों ने लिखा है जिन का इस हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं था। एक मां के सामने उसके लड़के को दो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तीसरे पुलिस वाले ने गोली मारी। उसकी जवान

बीबी गर्भवती थी, दस महीने शादी के हुए थे। उसके पेट में होने वाला कोई प्रधान मंत्री देश का शायद छिपा हो। उसको आप गोली मार दें और उसके बाद अगर हम कहें, कि यह अत्याचार हुआ है तब कहते हैं कि इसके पीछे पोलिटिकल मोटिव है। इस तरीके से किया गया। एक आदमी को मारा गया क्योंकि उसकी शकल दूसरे से मिलती थी। यह मर्डर इन कोल्ड ब्लड था।

"Murder in cold blood : The blood-thirsty policemen, however, did not spare cold-blooded murder for all their confusion. Mr. Raj Bahadur (24), Electrical Khalasi was not among the strikers but was murdered in a calculating manner just because his face resembled that of Mr. Surinder Mohan, Vice-President of the Northern Railwaymen's Union."

उसकी शकल मिलती थी इस वास्ते उसको मार दिया गया। यही उसका कसूर था। उसने हड़ताल नहीं की, आर्डिनैस का उल्लंघन नहीं किया, केवल उसकी शकल मिलती थी एक ऐसे मजदूर कार्यकर्ता की शकल के साथ जिनने हिम्मत करके कहा था कि इस आर्डिनैस के खिलाफ हड़ताल करूंगा। क्या किसी को इस तरह से गोली मारी जा सकती थी। उसकी रोती हुई मां को आप यहां से क्या जवाब देंगे? इंदिरा गांधी जो भी एक मां हैं। उनसे ही मैं इसका जवाब पूछना चाहता हूँ। चह्वाण साहब भी एक पिता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। जिन बहनों का मुहाग उजड़ गया है जिनके माथे के सिंदूर को जिन्होंने नोच दिया है आज क्या वह सिंदूर उनको वापिस मिलेगा। अर्जुन सिंह की बीबी को अर्जुन सिंह वापिस मिलेगा? यह सब कैसे होगा? पांच मंजिली इमारत से किसी को पकड़ कर गिरा दिया जाए, क्या यही आपका तरीका है? बीकानेर में गोली चली, गोहाटी में, गोली चली, शहडोल में गोली चली,

### [श्री स० मो० बनर्जी]

कालका में हमारी बहनों को मारा गया, पठानकोट में गोली चली और छः से लेकर आठ वर्करो की खून से होली खेली गई। किशनगंज के स्टेशन पर हमारी बहनों को जिस तरह से बेतहाशा मारा गया, जवान लड़कियों को मारा गया और अपने फटे हुए ब्लाउज लेकर जब वे प्रधानमंत्री महोदया की कोठी पर गईं दिखाने के लिए कि देश की सोना और सावित्रियों को किस तरह से मारा पीटा गया तो बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम ने जरूर कुछ अन्याय किया होगा ? अन्याय किया होगा ? इसी तरीके से अगर कोई बेंत किसी मिनिस्टर की धर्मपत्नी या लड़की के ऊपर चले तो इस देश में क्या होगा ? मान लो कि लोगों ने विद्रोह किया, मान लो कि एक दिन की हड़ताल लोगों ने की। लेकिन वह हड़ताल हिंसात्मक हड़ताल नहीं थी, यह में दावे के साथ कह सकता हूँ। पुलिस ने लाठियाँ और गोलियाँ तक चलाई लेकिन लोग हिंसा पर उतारू नहीं हुए। लेकिन आप देखें कि एक पुलिस वाला भी इस दौरान में नहीं भरा। क्या एक पुलिस वाले को पांच दस हजार आदमी मिलकर मार नहीं सकते थे ? आप एक-एक पुलिस वाले की वर्दी को उतार कर देख लें क्या किसी के जिस्म पर कोई खरोंच तक लगी है ? नहीं लगी है।

इस सब के बदले कर्मचारियों को क्या मिला ? 65 हजार लोगों की नौकरियाँ ले ली गई हैं। कहा गया कि प्रधानमंत्री जो जब वापिस आयेंगे तब फैसला होगा। उन्होंने काफी तसल्लीबख्श काम किया है। उन्होंने 48 हजार को वापिस ले लिया है। लेकिन चार हजार कर्मचारियों का क्या होगा ? वे कौन हैं ? आपके हाथों में इंसाफ की तराजू है। आपको चाहिए कि इस वक्त आप ज्यूडिशस माइंड से काम लें। आप मेहरबानी करके तोल कर देखें कि जिन चार हजार को नहीं लिया गया है वे कौन

हैं। सब लोग गैर हाजिर उस दिन हुए। 44 हजार जाँ नोटिस वाले थे और जिनके नोटिस 10 तारीख को खत्म हो रहे थे, उनके नोटिस तो वापिस ले लिए गए लेकिन चार हजार कर्मचारियों को जिनको तनख्वाह दे कर निकाल दिया गया था उनको अभी तक वापिस नहीं लिया गया है ? उनका क्या कसूर था ? वही तो था जो 44 हजार का था। इन चार हजार के बारे में कहा गया कि ये इंसॉटेड हैं। आठ हजार आज भी ससपेंडिड हैं। उनके खिलाफ कौन से मुकदमे हैं ? दफा 144 तोड़ने के, सैकशन 188 और सैकशन 5 आफ दीज अर्डिनैस को तोड़ने के। नन आफ दीज सैकशज इनवाल्ड मारल टरपटियूड। गवर्नमेंट इस्ट्रुक्शज ये हैं कि अगर मारल टरपटियूड इनवाल्ड नहीं है तो नार्मली ससपेंशन नहीं होता चाहिए। वे ससपेंड किए गए। उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि वे हमारे कर्मचारी हैं और उनके साथ काफ़ी फराख-दिलो से, उदारता से हम लोग डील करेंगे लेकिन दूसरी तरफ उनको वापिस नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदया ने काफ़ी फराखदिलो दिखाई भी है। हम लोग जब उनसे निवेदन करते गए थे तब एक बात कही थी। हमने कहा था कि मेहरबानी करके दोवाली से पहले आप फैसला कर दें। चह्वाण साहब ने कहा था कि दोवाली से पहले फैसला हो जाएगा। 44 हजार का तो हो गया। लेकिन आज भी दस हजार लोग जो ससपेंडिड हैं उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। वे कोई क्रिमिनल मुकदमे नहीं हैं। पठानकोट में गरीब मजदूरों के ऊपर एटैम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे चलाये गये। उनकी वीवियों को मारा गया। बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाई गईं। उनके पतियों को मारा गया। बच्चों को अनाथ किया गया। औरतों का सुहाग उजाड़ दिया गया। उसके बाद उलटे मुकदमे चलाए गये। कहा गया।

Here it is 'attempt at murder'. But cases were filed against those whose family members were murdered. This is the history of Pathankot and Bikaner firings.

कलकत्ता में यही कुछ हुआ है। मैं इंदिरा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि चार हज़ार कर्मचारी जिनको केवल एक महीने की तनख्वाह देकर निकाल दिया गया है उनके बारे में वह सोचें। उनका कोई कर्मूर नहीं है। अगर औरो ने एबसेंट किया तो उन्होंने भी किया। जो कर्मूर दूसरों का था वही उनका भी था। जिस तरह में नोयल वर्करों के साथ मलूक हुआ, दिल्ली में इंड्रप्रस्थ एस्टेट में जिस तरह से उनको मारा गया, उसको देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा कोई लायल वर्कर बनने की कोशिश करेगा। आज भी आठ हज़ार आदमी सस्पेंडिड हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन समर्पण आडर्ज को वापिस लिया जाए और नामेलसी को रेस्टोर किया गया। हमारे चह्वाण साहब कोशिश कर रहे हैं कि वह लौह पुरुष बनें। लौह पुरुष बन कर वह खड़े हो गए हैं। वह तो शायद पिग आयरन की तरह के लौह पुरुष हैं। हमने देखा है कि स्पेशल एलाय स्टील का मानिद जो लौह पुरुष थे स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त उन्होंने भी हर एक केस को वापिस लिया था। उनमें अपने आप को वह स्ट्रांग नहीं कह सकते हैं। मैं इन लौह पुरुष से पूछना चाहता हूँ कि उनका यह आर्डिनैस कहाँ गया था जब न्यूज पेपर एम्प्लायीज ने हड़ताल की थी, जब टाटा, बिरला, गोयनका, साहू जैन ने वेज बोर्ड के एवार्ड को लागू करने से इन्कार किया था, जब 58 दिन तक पत्रकार भूखे मरते रहे थे। तब उनमें यह हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके खिलाफ आर्डिनैस लाएं। जब प्राइसिस बढ़ रही थी, चावल, गेहूँ, दालों के भाव बढ़ते जा रहे थे, हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि तब आर्डिनैस क्यों नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि श्री धर्मवीरा के

खिलाफ क्यों आर्डिनैस नहीं आया जब बंगाल में और नार्थ बिहार में हज़ारों लोग मारे गए थे। तब भी आपने कोई ऐकशन ले लिया होता तो लोगों को तसल्ली हो तो जाती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज के बारे में कहा गया कि इनकी गैर-हाजिरी को ब्रेक इन सर्विस समझा जाएगा। और तीन साल के लिए या पांच साल के लिए उन पर निगरानी रखी जाएगी। ब्रेक इन सर्विस फार फाइव यीअर्स। पांच साल के बाद शायद इनकी सर्विस बेकार हो जाएगी, कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। पता नहीं। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो यह कहा गया है कि यह एंटीसोशल मूव थी, ऐसी कतई बात नहीं है। यह भी कहा गया कि पोलिटिकल क्लू बनने जा रहा था। अजीब-अजीब चीजें चल रही थीं। कहा गया कि अच्छा हुआ इंदिरा जी वापिस आ गई हैं वरना शायद अगर देर से आतीं तो उनकी गद्दी पर जोशी जी बैठे होते। इस तरह की बातें पुराने ज़माने में सुनी जाती थीं, ये शेखचिल्लियों के ज़माने में तो कहावतें हुआ करती थीं लेकिन आज के ज़माने में इन पर यकीन कोई नहीं कर सकता है। यह कहा गया था कि मोरार जी देसाई साहब के आने पर फंसला होगा। वह आए। उन्होंने देखा कि चह्वाण साहब ने फंसला नहीं किया इस वास्ते हम झंझट में क्यों पड़ें, हम बाप हैं, लैट इट गो टू दी मदर। उन्होंने इस को इंदिरा जी को पास आन कर दिया। वह जिस तरह से चाहें फंसला करें।

जहां तक नीड बैस्ट मिनिमम वेज का सम्बन्ध है, यह हमारी डिमांड कायम रहेगी। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। आप 23 अक्टूबर 1968 के स्टेट्समैन को पढ़ें। हाई कोर्ट के जज ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं, कम्प्यूटर ने जिस पर आपका इतना बड़ा विश्वास है कि इट कैन डू नो रांग उसने बता दिया है कि क्या नीड बैस्ट वेज होनी

[श्री स० मो० बनर्जी]

चाहिए। उस कम्प्यूटर के आंकड़े हमारे भाई कंवर लाल गुप्त जी ने कोट किए हैं। नीड बैस्ड मिनिमम वेज आपको करनी पड़ेगी। मैं केरल के चीफ मिनिस्टर श्री नम्बूदिरिपाद को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आर्डिनेंस को ठोकर मारी है और ऐसा करके उन्होंने कोई गलत नहीं बल्कि सही काम किया है। कांग्रेस के माननीय सदस्य और मंत्री जो 19 मिनम्बर को केरल में मौजूद थे उन से मैं कहूँगा कि सेंट्रल हाल में जा कर अपने दिव पर हाथ रख कर वे बताएं कि क्या वाकई मैं 19 तारीख को केरल में अमनो अमान था या नहीं था। किसी हारे हुए कांग्रेसमैन को आप वहाँ का गवर्नर बनाते हैं और बना कर वहाँ भेजते हैं और जब उसका विरोध किया जाता है और उम आधार पर वहाँ की हुकूमत को आप हटाने की कोशिश करते हैं तो सरकारी कर्म-चारियों को ही नहीं बल्कि देश की जनता की सहायभूति उस सरकार के साथ होगी। नम्बूदरीपाद का काम बिल्कुल सही था, इसको देश मानता है।

अन्त में मैं कहूँगा कि ज्यूडिशल इन-क्वायरी जो घटना घटी है, उनकी होनी चाहिए। बीकानेर में होनी चाहिए, पठानकोट में होनी चाहिए, इंद्रप्रस्थ इस्टेट में होनी चाहिए, शहडोल में होनी चाहिए जहाँ पर फायरिंग हुआ है।

जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज की लायलटी का सम्बन्ध है उसमें कोई शक नहीं है। आप जानते ही हैं कि जब चीनी आक्रमण हुआ था, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला किया था, तब उन्होंने अपनी लायलटी का सबूत दिया था। 21 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज ने, डिफेंस, पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ और रेलवेमैन फंडरेशन ने अपनी सारी मांगों को एक तरफ रख दिया। वे उस समय के देश के कर्णधार, सेट सेमेन्टिड पंडित नेहरू,

को रामलीला ग्राउंड में ले कर गए। वहाँ उन्हें सिर्फ साढ़े चार लाख रुपए की धैली ही नहीं दी, बल्कि उन लोगों ने खून से प्लेज साइन किया कि जब तक हिन्दुस्तान पर चीन का हमला रहता है, जब तक हमारे देश का चप्पा भी उनके कब्जे में है, तब तक हम ईमानदारी से काम करेंगे और ज्यादा काम करके ओवरटाइम एलाउंस भी नहीं लेंगे।

रेकगनीशन विद्वड़ा कर ली गई है। और रेकगनीशन विद्वड़ा करके किस को दी गई है? आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों को। उनको बुलाया गया कि आओ, हमारे वफादार, हिज्ज मास्टर्ज वायस, तुमको रेकगनीशन दिया जायेगा। एक मिनिस्टर ने मुझ से कहा कि मि० बनर्जी, आपकी यूनियन डी रेकगनाइज हो गई है, अब हम आप से कंमे बात करेंगे, कंमे आप से डील करेंगे। हमने कहा कि आप समझ लीजिए कि हम अंडरग्राउंड नागा हैं, आप हम से नेगो-शिफ्ट कीजिए। लेकिन मुश्किल यह है कि ये लोग अंडर ग्राउंड नागाज के साथ तो बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं करेंगे। अजीब हालत है।

यह सरकार जिन आई० एन० टी० यू० सी० वालों को अपना वफादार समझती है, वे कुछ करने वाले नहीं हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ अवध की एक बहुत पुरानी कहानी है। जिन आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों ने हड़ताल का विरोध किया, गोली चलाए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि गोली चलाना सही है, वे प्रधान मंत्री इन्दिरा जी का साथ नहीं देंगे। वे अपनी जात का भी साथ नहीं देंगे। एक पुराने ज़माने का अंग्रेज अपने कुत्ते की बड़ी तारीफ़ करता था। कहता था कि यह कुत्ता इन्सान से भी ज्यादा वफादार है, रात भर जागता रहता है, और मेरे बच्चों की हिफ़ाजत करता है। एक मुस्ला जी बड़े बालाक

थे । उन्होंने कहा कि सरकार, इसकी बफ़ादारी का सुबूत मैं देता हूँ । उन्होंने कुत्ते के एक छोटे से बच्चे को उस कुत्ते के सामने रख दिया । वह कुत्ता उस बच्चे को काटने लगा । इस पर मुल्ला जी ने कहा कि सरकार, देखें, जो अपनी जात से बफ़ादारी नहीं कर सकता है, वह आप के साथ भी बफ़ादारी नहीं करेगा । यह है काशीनाथ पांडे और उनकी आई० एन० टी० यू० सी० । (ग्यबघान) मैंने कुत्ते की मिसाल दी है । मैंने और कुछ नहीं कहा है । वे लोग नारा देते हैं हड़ताल का, लेकिन खुद भाग जाते हैं । हम ऐसा नहीं करते हैं ।

एक और छोटी सी कहानी कह कर मैं खत्म करता हूँ ।

आई० एन० टी० यू० सी० के लीडरों को कौन हैं ?

DR. MAITREYEE BASU (Darjeeling) : I can also cite many anecdotes about you. You must remember I am also in INTUC.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं डा० मैत्रेयी बोस जैसी आई० एन० टी० यू० सी० के लीडरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ । मैं आज भी उनके चरणों को करने के लिए तैयार हूँ उनकी ईमानदारी के लिए । मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ । मैं श्री काशीनाथ पांडे की तरफ इशारा कर रहा हूँ ।

एक आदमी के यहां बच्चा पैदा नहीं होता था । उसके पास मकान था, तमाम चीजें थीं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता था । बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ । लेकिन जब वह दो तीन साल का हो गया, तो उसको यह बीमारी पैदा हुई कि चौक पड़ता था और चिल्लाता था कि जागते रहो, आगे बढ़ो । उसके मां बाप उस बीमारी का इलाज कराने के लिए डाक्टरों के पास जाने लग । तमाम डाक्टरों ने कहा कि

हम इस बीमारी को नहीं समझ सकते हैं । लेकिन एक डाक्टर बड़ा चालाक था, जैसे डा० मेलकोट हैं । उसने पूछा कि जब यह बच्चा चौकता है और चिल्लाता है जागते रहो, आगे बढ़ो, तो उस वक्त वह खुद मोता है या जागता है । बच्चे की मां ने कहा कि उस वक्त वह खुद तो सोता है । तब डाक्टर ने कहा कि बहन, मिठाई बांटो, तुम्हारे घर में कोई काग्रेसी या आई० एन० टी० यू० सी० का लीडर पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी खासियत यही है कि वे खुद तो सोते रहते हैं और चिल्लाते हैं कि जागते रहो, आगे बढ़ो ।

आखिर मैं मैं कहना चाहता हूँ कि इस आर्डिनेंस को जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाए । हम नीड वैंस्ट वेज के लिए लड़ते रहेंगे । इस तरह का चाहे एक आर्डिनेंस हो या दस, हम उनको डफ़ाई करेंगे ।

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah) : I rise to oppose the Motion of no-confidence moved by Shri Kanwar Lal Gupta. In moving this Motion and in the way in which he supported it, he tried to impress upon this House the necessity....

SHRI J. M. BISWAS : The hon. Member is President of the one of the Postal Unions which had joined the strike.

17-45 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : I confess I could not understand the cogency of his arguments. What was wrong about Government when they tried to tackle the token strike situation ? There was not merely a threat of a token strike but there was to be engineered a general strike in the country; this was also announced in the newspapers and publicised. In the face of such a threat, Government had to act, and act perhaps with caution, dignity and restraint.

We must objectively study the whole situation concerning the strike. What was the demand made by the Central Government employees ? Being a trade union worker

[Shri Krishna Kumar Chatterji]

myself, I stand fully, for the right of the trade union movement to go on strike to get certain demands conceded. I am prepared to say that this right is with the trade union movement. But here I would like the House to take into consideration another aspect to it contained in the remarks made very recently by the Chairman of the National Commission on Labour, ex-Chief Justice of India, Shri Gajendragadkar. He made it perfectly clear as to what in his opinion should be the nature of a trade union movement. He said that the Indian trade union movement should think of furthering the social, economic and industrial advancement of the country without prejudicing the interests of the working class, and although the trade union's primary duty was to look after the interests of the working class, it had also a duty towards the nation and it is time for the Indian trade union movement to be more mature, creative and constructive.

It is from this point of view that we have to study the whole situation created by the token strike and its aftermath. The token strike was sought to be brought about under a threat. It was said that if the demands of the employees were not conceded by Government, they would be forced to call upon all the Central Government employees to go on a general strike for an indefinite period, not for a particular period, but for an indefinite period. In the face of this, Government had to meet the situation quickly, and for that purpose, the Ordinance was promulgated. It was held in a Supreme Court judgment that strike was not a matter of right for the Central Government employees. But there was one difficulty : unless there was an enactment of Parliament, it was not possible to bring the Central Government employees under any kind of punishment. So the Ordinance was promulgated to prevent the Central Government employees from acting rashly.

**SHRI NAMBIAR :** And to victimise and punish them.

**SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI :** No.

**SHRI NAMBIAR :** Then what was the purpose ?

**SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI :** It was not to victimise them. Here I would quote from the main editorial of one of the leading newspapers of the country noted for its sobriety, a paper which has served the country with a patriotic zeal—I refer to the *Amrita Bazar Patrika* editorial of 6 October. It wrote :

"The community, however, cannot allow itself to be held to ransom in this crude fashion, nor can the Government ignore the challenge of saboteurs in trade unionism."

"The drastic steps taken by them to curb anti-social elements would, therefore, have a wide measure of public approval. What is however, not a little disturbing is that central trade unions or the political parties patronising them have not yet thought it fit to utter a single word in condemnation of these acts of sabotage."

We in West Bengal were the worst sufferers from sabotage. There was a strike by the electricity workers and the result was that large scale sabotage was practised. At least five giant transmission line towers were felled during the strike. The daring nature of such acts of sabotage as also the technical knowledge needed is evident from the fact that four of the steel frames supported the high tension 132 KV system. You can imagine what great harm was done to this country. The country cannot be held to ransom by these acts of sabotage and this kind of strike by the Central Government employees.

I was listening to the arguments of Shri Dange. I was amazed by his argument that the demand for need-based wages was met by the engineering sector of our industry to say that the demand for need-based wage by the Central Government employees is justified. Although I am a trade union worker myself, I have tried to understand the responsibility of a public servant in the context of our national duty. If the Central Government employees are treated on the same footing as private sector employees, certainly the country will have to face a real danger in times of emergency. The Central Government employees are not employed in any endeavour which gives profit. They are serving the Government and in doing that, they are not producing anything. They constituted the machinery through which the

Government of the day tried to function and implement its policies. It is almost impossible that my friends in the opposition will some day occupy the Treasury Benches, but I wish they do and if they do, they will then realise the responsibilities that the Government has to discharge in such circumstances.

Our Prime Minister, in a broadcast, had made it perfectly clear why it was not possible for the Government to accede to the demands made by the Central Government employees. She made it clear that the Central Government employees and others like the railway and port and dock workers, even the lowest paid among them, were better off than many other sections of our down-trodden and under-privileged community. This is particularly true of our rural millions, and therefore, it would be neither just nor wise to attempt to satisfy the claims of a few people at the cost of a great many. Such a course would also imply sacrificing long-term national interests for very limited temporary gains.

She has made it clear that she is quite sympathetic to the aspirations and demands of the Central Government employees, but she has to deal with 50 crores, millions in appalling poverty, millions who are unemployed, millions who were not getting even the bare necessities of life. It was not possible for a Prime Minister heading a national Government and a welfare State that only for the sake of 26 lakhs of Central Government employees the whole Government should be jeopardised in such a fashion and the whole economy brought to a standstill. An argument was put forward by the hon. Member, Shri Dange, when he said that it was a small thing to concede to the demands for minimum wage as demanded by the Central Government employees. Perhaps the House will remember that when I came for the first time, I had the honour to represent a constituency in this House, for the first time I brought the question before this House. As a supplementary I asked the Finance Minister and the Deputy Prime Minister if the Government would give us a target date when the minimum wage would be possible in this country. His reply was categorical. He said that on principle they accepted. So far as the question of minimum wage was concerned. Government accepted mini-

imum wage being given to our employees but their financial implications had to be worked out so that it might not have an evil effect on the country's whole economy. That was the answer given by the Deputy Prime Minister on that occasion. It is quite clear therefore that our Government run by the Congress Party is fully aware of the necessity of giving a minimum wage to the Central Government employees. That is quite true, but, at the same time it was not possible for them to look only to the demands and the needs of the Central Government employees. Therefore, the whole difficulty arises there and the Government tried to convince the leaders of the Joint Council of Action that they be given a chance to get the recommendations of the national Commission on Labour. Although it is true technically that the minimum wage question was not before it, certainly the Government would have extended the terms of reference of the National Commission on Labour and the Commission could have also brought that question into the fold of their deliberations and could have made certain recommendations for the purpose of the country and the Government.

This question of fixing the minimum wages for the Central Government employees will also imply certain other obligations. There are several million workers working in the State Governments and they will also press for this minimum wage for themselves. Therefore the implications of such a decision will have to be weighed carefully. Then again there are thousands of employees in the public undertakings and we have also to consider the question of minimum wage for such employees. Naturally the Government wanted to solve this question on a national footing. Until that situation comes the Government is not in a position to accede to the demands made by the Central Government employees or send it to arbitration.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have already taken 15 minutes. Will you please conclude in a couple of minutes ?

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : I will need some more time, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member will resume his speech tomorrow.

**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

**18 hrs.**

**TWENTY-THIRD REPORT**

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) :**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, November 12, 1968 Kartika 21, 1890 (Saka).*

I beg to present the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee.

---